

# विनियोग लेखे

## 2019-2020

(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और  
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन



# **विनियोग लेखे**

**2019-2020**

**(31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020)**

**संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार और  
संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन**



### व्याख्यात्मक ढापन

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के ये वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किये जा रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उप राज्यपालों को भी प्रेषित किये जा रहे हैं।



## विषय सूची

	पृष्ठ
सांविधिक पृष्ठभूमि	(v)
प्रस्तावना	(vii-viii)
विनियोग लेखाओं का सारांश (संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर)	(ix-xv)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(xvii-xix)
अनुभाग-‘क’- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	
अनुदान/ विनियोग का नाम और संख्या	
1. सामान्य प्रशासन विभाग	1-6
2. गृह विभाग	7-11
3. योजना विभाग	12-15
4. सूचना विभाग	16-17
5. लदाख मामले विभाग	18
6. विद्युत विकास विभाग	19-26
7. शिक्षा विभाग	27-30
8. वित्त विभाग	31-39
9. संसदीय मामले विभाग	40-41
10. विधि विभाग	42-45
11. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	46-51
12. कृषि विभाग	52-60
13. पशु/ भेड़ पालन विभाग	61-63
14. राजस्व विभाग	64-66
15. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	67-69
16. लोक निर्माण विभाग	70-75
17. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	76-88
18. समाज कल्याण विभाग	89-96

## विषय सूची- (जारी)

	पृष्ठ
19. आवास एवं शहरी विकास विभाग	97-101
20. पर्यटन विभाग	102-105
21. वन विभाग	106-109
22. सिंचाई और बाढ नियंत्रण विभाग	110-115
23. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	116-118
24. आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	119-121
25. श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	122-124
26. मत्स्यपालन विभाग	125-126
27. उच्चतर शिक्षा विभाग	127-128
28. ग्रामीण विकास विभाग	129-133
29. परिवहन विभाग	134-135
30. जनजातीय मामले विभाग	136-137
31. संस्कृति विभाग	138-139
32. उद्यान कृषि विभाग	140-142
33. आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	143-145
34. युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	146-148
35. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	149-150
36. सहकारी विभाग	151-152

### परिशिष्ट

I आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय	153
II वसूलियों के संबंध में अनुमानों एवं वास्तविकताओं का अनुदान-वार विवरण व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित	154-155



## विषय सूची- (जारी)

पृष्ठ

### अनुभाग-‘ख’- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख

विनियोग लेखाओं का सारांश .. 157-162

### अनुदान/ विनियोग का नाम और संख्या

1.	सामान्य प्रशासन विभाग	.. .. .	163
2.	गृह विभाग	.. .. .	164-166
3.	योजना विभाग	.. .. .	167
5.	लद्दाख मामले विभाग	.. .. .	168-170
6.	विद्युत विकास विभाग	.. .. .	171
7.	शिक्षा विभाग	.. .. .	172-173
8.	वित्त विभाग	.. .. .	174-176
10.	विधि विभाग	.. .. .	177-178
11.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	.. .. .	179-180
12.	कृषि विभाग	.. .. .	181-182
13.	पशु/ भेड़ पालन विभाग	.. .. .	183
15.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	.. .. .	184
16.	लोक निर्माण विभाग	.. .. .	185-186
17.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	.. .. .	187
18.	समाज कल्याण विभाग	.. .. .	188-190
19.	आवास एवं शहरी विकास विभाग	.. .. .	191-192
20.	पर्यटन विभाग	.. .. .	193-194
21.	वन विभाग	.. .. .	195-196

## विषय सूची- (समाप्त)

<b>अनुभाग-‘ख’- संघ शासित क्षेत्र लद्दाख- समाप्त</b>				पृष्ठ
22.	सिंचाई और बाढ नियंत्रण विभाग	..	..	197
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	..	..	198
26.	मत्स्यपालन विभाग	..	..	199
27.	उच्चतर शिक्षा विभाग	..	..	200
28.	ग्रामीण विकास विभाग	..	..	201-202
29.	परिवहन विभाग	..	..	203
30.	जनजातीय मामले विभाग	..	..	204
31.	संस्कृति विभाग	..	..	205-206
32.	उद्यान कृषि विभाग	..	..	207
33.	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	..	..	208
34.	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	209-210
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	..	..	211
36.	सहकारी विभाग	..	..	212
<b>परिशिष्ट</b>				
I	आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय	..	..	213
II	वसूलियों के संबंध में अनुमानों एवं वास्तविकताओं का अनुदान-वार विवरण व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित	..	..	214-215

## सांविधिक पृष्ठभूमि

1. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन तथा इससे संबंधित अथवा तत्संबंधी प्रासंगिक मामलों के लिए बनाया गया था।
2. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 नियुक्त दिवस के प्रभाव से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) में पुनर्गठित किया। पुनर्गठन के उपरांत, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) गजट अधिसूचना एस.ओ. 3937 (ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बना रहा।
3. 1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक की अवधि हेतु तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के वित्त लेखे अलग से तैयार किये गये हैं।
4. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के अनुसरण में, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के ऐसे व्यय को समेकित निधि से किये जाने के लिए संसद में लंबित संस्वीकृति तक अधिकृत किया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 81 के अनुसरण में, तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के माननीय राज्यपाल द्वारा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख हेतु व्यय को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की संचित निधि से किये जाने के लिए अधिकृत किया।
5. वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) की अनुदानों हेतु मांगों को भारतीय संसद द्वारा मार्च 2020 में पारित किया गया था।
6. तदनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) के वित्त लेखाओं को संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं के साथ अलग से दर्शाया गया है। अतः संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के वित्त लेखे 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) 31 अक्टूबर 2019 के नियुक्त दिवस के उपरांत अनुभाग 'क' के रूप में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और अनुभाग 'ख' के रूप में संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं।
7. वित्त लेखे खण्ड-I के अनुभाग 'क' तथा अनुभाग 'ख' के अनुक्रम में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (विधानमण्डल सहित) तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं (लेखाओं पर टिप्पणियाँ) को पृथक रूप से दर्शाया गया है।



### प्रस्तावना

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) प्रशासन के विनियोग लेखे को समाहित करने वाला यह संकलन उक्त अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट धनराशि की तुलना में व्यय की गयी धनराशि के लेखे को प्रस्तुत करता है, जैसा कि संसद द्वारा पारित वर्ष 2020-21 की अनुदानों हेतु मांग में प्रतिबिम्बित था।

इन लेखाओं में-

'ओ' मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

'एस' अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

'आर' सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, आहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग तथा व्यय को *तिरछे अक्षरों* में दिखाया गया है।

2. जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमपुस्तिका में परिकल्पित बजटीय पद्धति से महत्त्वपूर्ण विचलन में, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने विभिन्न प्राथमिक इकाइयों वाली कुछ विशिष्ट योजनाओं के प्रति नियंत्रक अधिकारियों के साथ एकमुश्त बजटीय अनुदानों को प्रस्तुत किया तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अनुदानों की अनुमोदित मांग में अपरिकल्पित, विभिन्न योजनाओं पर नियमित रूप से व्यय किया।

3. संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के लेखाओं में देखा गया बजटीय पद्धति से महत्त्वपूर्ण विचलन निम्नानुसार है:

बजटीय पद्धति से महत्त्वपूर्ण विचलन में संसद द्वारा पारित अनुदानों हेतु मांग में रखे गये बजटीय प्रावधानों के प्रति लेखाओं के अधिकांश मुख्य शीर्षों के प्रति शून्य व्यय प्रदर्शित हुआ है। कोषागार लेखाओं के आधार पर बुक किये गये व्यय के आँकड़ों की संवीक्षा के दौरान यह प्रेक्षित किया गया कि 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख से संबंधित अनुदानों हेतु समस्त मांग ₹ 5,75,400.00 लाख के

कुल बजट प्राक्कलनों के प्रति केवल ₹ 17,656.11 लाख का व्यय प्रदर्शित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,57,743.89 लाख की बचत हुयी।

इन आधारभूत सरकारी लेखांकन सिद्धांतों से विचलनों के कारण, लेखापरीक्षा निम्नलिखित से वंचित रही:

- (क) उप शीर्ष-वार आधिक्य/ बचत की तुलना करने।
- (ख) यह टिप्पणी करने हेतु कि क्या योजनाओं पर किया गया व्यय विधिक रूप से उपलब्ध था तथा अनुमोदित अनुदानों की मांग में अनुपलब्ध किसी "सेवा के नये साधन/ नयी सेवा" पर प्रयुक्त नहीं किया गया।
- (ग) इस प्रकाशन में संबंधित अनुदानों में उपयुक्त टिप्पणियाँ की गयी हैं। उप शीर्षों, जिनके संबंध में बजट प्रावधान पर आधिक्य ₹ 1 लाख और इससे ऊपर और बजट प्रावधान के प्रति बचतें ₹ पाँच लाख और इससे ऊपर हैं, को इस संकलन में प्रदर्शित किया गया है।

संघ शासित क्षेत्र लद्दाख से संबंधित अनुदानों में उपयुक्त टिप्पणियाँ विनियोग लेखे में पृथक रूप से (अनुभाग 'ख' के रूप में) दर्शायी गयी हैं।

विनियोग लेखाओं का सारांश						
अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत	
					राजस्व (%)	पूँजीगत (%)
					2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)
(₹ हजार में)						
1	सामान्य प्रशासन विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	2,08,97,21	1,34,38,46	74,58,75	-	36
	प्रभारित	10,20,95	7,14,16	3,06,79	-	30
	पूँजीगत					
	दत्तमत	1,22,91,81	85,60,67	37,31,14	-	30
2	गृह विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	36,84,34,87	29,78,03,98	7,06,30,89	-	19
	पूँजीगत					
	दत्तमत	6,60,85,93	2,42,93,55	4,17,92,38	-	63
3	योजना विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	47,24,79	33,41,32	13,83,47	-	29
	पूँजीगत					
	दत्तमत	9,30,05,09	3,04,93,70	6,25,11,39	-	67
4	सूचना विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	57,12,87	41,19,13	15,93,74	-	28
	पूँजीगत					
	दत्तमत	75,00	34,80	40,20	-	54
5	लद्दाख मामले विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	..	-	-	-	-
6	विद्युत विकास विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	56,60,90,93	24,54,61,15	32,06,29,78	-	57
	पूँजीगत					
	दत्तमत	15,35,97,94	1,85,20,72	13,50,77,22	-	88
7	शिक्षा विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	54,11,97,85	39,92,64,24	14,19,33,61	-	26
	पूँजीगत					
	दत्तमत	7,68,59,33	86,64,66	6,81,94,67	-	89

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)						
अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत	
					राजस्व (%)	पूँजीगत (%)
					2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)
(₹ हजार में)						
8	वित्त विभाग--					
	राजस्व					
	दत्तमत	42,30,25,51	26,40,93,37	15,89,32,14	-	38
	प्रभारित	18,06,01,32	25,31,63,22	-	7,25,61,90 (7,25,61,90,724)	40
	पूँजीगत					
	दत्तमत	6,38,45,33	5,62,91,28	75,54,05	-	12
	प्रभारित	1,00,53,23,00	1,31,49,34,17	-	30,96,11,17 (30,96,11,16,605)	31
9	संसदीय मामले विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	17,38,37	8,87,81	8,50,56	-	49
	प्रभारित	32,90	3,42	29,48	-	90
	पूँजीगत					
	दत्तमत	1,50,00	..	1,50,00	-	100
10	विधि विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	5,95,90,60	3,35,12,28	2,60,78,32	-	44
	प्रभारित	36,08,70	17,88,53	18,20,17	-	50
	पूँजीगत					
	दत्तमत	41,36,92	18,97,84	22,39,08	-	54
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	1,71,15,81	1,24,50,37	46,65,44	-	27
	पूँजीगत					
	दत्तमत	4,87,97,18	1,52,49,73	3,35,47,45	-	69
12	कृषि विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	7,10,06,76	5,77,19,56	1,32,87,20	-	19
	पूँजीगत					
	दत्तमत	3,18,97,24	1,75,95,52	1,43,01,72	-	45
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	2,94,86,30	2,70,80,60	24,05,70	-	8
	पूँजीगत					
	दत्तमत	1,31,84,08	40,49,88	91,34,20	-	69
14	राजस्व विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	2,09,86,35	1,76,44,87	33,41,48	-	16
	पूँजीगत					
	दत्तमत	13,49,00	2,14,36	11,34,64	-	84
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग-					
	राजस्व					
	दत्तमत	1,92,67,35	80,45,14	1,12,22,21	-	58
	पूँजीगत					
	दत्तमत	2,59,94,08	1,66,66,29	93,27,79	-	36

टिप्पणी: पूरे विनियोग लेखाओं के सारांश में कोष्ठकों में आँकड़े रुपये को इंगित करते हैं।



विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)							
अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत		
					राजस्व (%)	पूँजीगत (%)	
					2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	
(₹ हजार में)							
16	लोक निर्माण विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	3,57,98,64	3,82,20,30	-	24,21,66 (24,21,66,269)	7	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	14,82,62,28	8,79,55,13	6,03,07,15	-		41
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	21,69,51,32	17,54,63,75	4,14,87,57	-	19	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	7,92,85,91	3,96,24,09	3,96,61,82	-		50
18	समाज कल्याण विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	14,66,76,90	8,34,78,19	6,31,98,71	-	43	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	1,31,71,89	28,90,42	1,02,81,47	-		78
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	3,63,99,76	3,50,73,47	13,26,29	-	4	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	6,15,85,74	3,51,37,24	2,64,48,50	-		43
20	पर्यटन विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	1,35,53,94	89,94,99	45,58,95	-	34	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	2,59,35,75	89,24,37	1,70,11,38	-		66
21	वन विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	4,98,05,36	3,68,73,68	1,29,31,68	-	26	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	99,10,88	19,16,29	79,94,59	-		81
22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	2,55,62,26	2,38,90,91	16,71,35	-	7	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	5,95,06,32	1,37,75,40	4,57,30,92	-		77
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-						
	राजस्व						
	दत्तमत	6,32,32,26	5,94,55,76	37,76,50	-	6	
	पूँजीगत						
	दत्तमत	8,79,19,87	3,65,13,55	5,14,06,32	-		58

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)							
अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत		
					राजस्व (%)	पूँजीगत (%)	
					2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	
(₹ हजार में)							
24	आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	1,35,03,16	1,21,67,48	13,35,68	-	10	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	61,97,30	47,43,90	14,53,40	-		23	
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	64,47,01	45,57,34	18,89,67	-	29	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	46,39,65	3,50,95	42,88,70	-		92	
26	मत्स्यपालन विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	42,68,18	39,06,89	3,61,29	-	8	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	25,97,77	6,91,48	19,06,29	-		73	
27	उच्चतर शिक्षा विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	6,78,81,80	5,84,00,07	94,81,73	-	14	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	1,07,70,00	1,37,35,92	-	29,65,92 (29,65,92,315)		28	
28	ग्रामीण विकास विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	3,10,84,36	2,31,93,96	78,90,40	-	25	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	20,09,97,66	6,84,13,46	13,25,84,20	-		66	
29	परिवहन विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	64,38,07	41,06,31	23,31,76	-	36	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	1,13,66,60	81,98,38	31,68,22	-		28	
30	जनजातीय मामले विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	40,32,32	25,32,20	15,00,12	-	37	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	86,43,48	14,17,03	72,26,45	-		84	
31	संस्कृति विभाग-						
	<b>राजस्व</b>						
	दत्तमत	30,56,65	22,23,80	8,32,85	-	27	
	<b>पूँजीगत</b>						
दत्तमत	13,80,92	5,92,22	7,88,70	-		57	

विनियोग लेखाओं का सारांश (समाप्त)						
अनुदान या विनियोग का नाम एवं संख्या	अनुदान/ विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत	
					राजस्व (%)	पूँजीगत (%)
					2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)	2019-20 (31.10.19 से 31.03.2020)
(₹ हजार में)						
32	उद्यान कृषि विभाग-					
	<b>राजस्व</b>					
	दत्तमत	77,67,38	53,40,87	24,26,51	-	31
	<b>पूँजीगत</b>					
	दत्तमत	3,87,22,19	1,64,42,09	2,22,80,10	-	58
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग-					
	<b>राजस्व</b>					
	दत्तमत	4,13,23,84	3,08,78,99	1,04,44,85	-	25
	<b>पूँजीगत</b>					
	दत्तमत	1,51,70,20	2,83,77	1,48,86,43	-	98
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग-					
	<b>राजस्व</b>					
	दत्तमत	2,75,57,29	2,14,16,90	61,40,39	-	22
	<b>पूँजीगत</b>					
	दत्तमत	49,05,31	21,43,40	27,61,91	-	56
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग-					
	<b>राजस्व</b>					
	दत्तमत	6,07,49	4,14,77	1,92,72	-	32
	<b>पूँजीगत</b>					
	दत्तमत	31,12,06	1,57,40	29,54,66	-	95
36	सहकारी विभाग-					
	<b>राजस्व</b>					
	दत्तमत	41,98,36	21,00,70	20,97,66	-	
	<b>पूँजीगत</b>					
	दत्तमत	4,21,50	3,35,20	86,30	-	20
<b>कुल :</b>						
<b>राजस्व-</b>						
	दत्तमत	2,95,54,21,92	2,01,75,53,61	94,02,89,97	24,21,66	
	प्रभारित	18,52,63,87	25,56,69,33	21,56,44	7,25,61,90	
<b>पूँजीगत-</b>						
	दत्तमत	1,38,57,72,21	54,67,74,69	84,19,63,44	29,65,92	
	प्रभारित	1,00,53,23,00	1,31,49,34,17	..	30,96,11,17	

**विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)**

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों के आधिक्यों को नियमित किये जाने की आवश्यकता है:

**राजस्व भाग**

16 लोक निर्माण विभाग

**पूँजीगत भाग**

27 उच्चतर शिक्षा विभाग

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों के आधिक्यों को नियमित किये जाने की आवश्यकता है:

**राजस्व भाग**

08 वित्त विभाग

**पूँजीगत भाग**

08 वित्त विभाग

### विनियोग लेखाओं का सारांश (समाप्त)

जैसा कि अनुदान और प्रभारित विनियोग सकल राशियों के व्यय के लिए आवश्यक हैं, उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित वसूली सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020) के लिए विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित कुल व्यय तथा उस वर्ष के लिए वित्त लेखाओं के मध्य मिलान नीचे दिया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
कुल व्यय				
विनियोग लेखे	25,56,69,33	1,31,49,34,17	2,01,75,53,61	54,67,74,69
परिशिष्ट-II में दर्शायी गयी वसूलियों की कटौती	-	-	12,79,61	7,40,68
वित्त लेखे की विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	25,56,69,33	1,31,49,34,17	2,01,62,74,00	54,60,34,01

उपर्युक्त संदर्भित वसूलियों का विवरण "परिशिष्ट-II" में दिया गया है।



### भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) प्रशासन के **विनियोग लेखे** को समाहित करने वाला यह संकलन उक्त अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट धनराशि की तुलना में व्यय की गयी धनराशि के लेखे को प्रस्तुत करता है, जैसा कि संसद द्वारा पारित वर्ष 2020-21 की अनुदानों हेतु मांग में प्रतिबिम्बित था। वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन की प्राप्तियों एवं संवितरण लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के विनियोग लेखे पृथक संकलन में प्रस्तुत किये गये हैं।

संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सरकार/ प्रशासन के विनियोग लेखे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 149 और धारा 71 के अनुसार तैयार किये गये हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसरण में, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) का व्यय संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के विनियोग लेखे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे सहित दर्शाये गये हैं। वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के विनियोग लेखे अनुभाग 'क' के रूप में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और अनुभाग 'ख' के रूप में संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं।

विनियोग लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 149 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों के अतिरिक्त संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं से संकलित किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/ अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित अनुप्रयोज्य विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने हेतु मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से

किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग प्रणालियों एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संचालित की गयी थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर और लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में प्रेक्षकों के साथ पठित विनियोग लेखे वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) में व्यय की गयी राशि के लेखाओं की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं जैसा कि संसद द्वारा पारित 2020-21 अनुदानों हेतु मांग में प्रतिबिम्बित था।

इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ उक्त अवधि अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय मेरे अन्य प्रतिवेदनों में शामिल किये गये हैं।

### **अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण**


मैं अति महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं:

1. वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि) के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के दो अनुदानों में प्राधिकरण के बिना ₹ 3,875.61 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। आगे, वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि) के दौरान संघ शासित क्षेत्र लद्दाख में भी दो अनुदानों में प्राधिकरण के बिना ₹ 42.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। यह जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धाराओं 43 और 74 का उल्लंघन है जो कि उपबंधित करता है कि उक्त धाराओं के प्रावधानों के अनुपालन में पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संघ शासित क्षेत्र की निधि से कोई धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।



2. ₹ 5,754 करोड़ के कुल विनियोग के प्रति ₹ 5,578 करोड़ की बचत है जो संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के कुल विनियोग का 97 प्रतिशत है।

उपर्युक्त प्रकरणों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का वर्णन वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख प्रशासन (विधानमण्डल रहित) के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 17 फरवरी 2022

स्थान: नई दिल्ली



**अनुभाग-क**

**संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर**



**अनुदान संख्या 1- सामान्य प्रशासन विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

- 2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक  
 2015 चुनाव  
 2051 लोक सेवा आयोग  
 2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं  
 2055 पुलिस  
 2062 सतर्कता  
 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
 2251 सचिवालय-समाज सेवाएं  
 3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण  
 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं  
 3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,08,97,21		
		2,08,97,21	1,34,38,46
पूरक	..		(-)74,58,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
<b>प्रभारित</b>			
मूल	10,20,95		
		10,20,95	7,14,16
पूरक	..		(-)3,06,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

- 4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
 4075 विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय  
 5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

मूल	1,22,91,81		
		1,22,91,81	85,60,67
पूरक	..		(-)37,31,14

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 74,58.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,08,97.21 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 74,58.75 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2015</b>	<b>चुनाव</b>			
102	निर्वाचन अधिकारी			
0099	सामान्य			
0414	निर्वाचन विभाग			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	20.02		
	एस	..	20.02	
			6.85	(-)13.17

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2052</b>	<b>सचिवालय - सामान्य सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0418	वित्त विभाग				
	ओ	3,92.42		मुख्यतः ओई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,92.42	3,77.79	(-)14.63
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	2,21.62		मुख्यतः आतिथ्य/ सत्कार भत्ता एवं पीओएल घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	2,21.62	1,02.75	(-)1,18.87
0443	गृह विभाग				
	ओ	2,60.08		मुख्यतः वेतन और पीओएल घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	2,60.08	2,34.79	(-)25.29
0479	राजस्व विभाग				
	ओ	3,44.87		मुख्यतः वेतन, पीओएल और ओई घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,44.87	2,34.57	(-)1,10.30
0507	विधि विभाग				
	ओ	10,05.06		मुख्यतः वेतन और व्यावसायिक सेवाएं प्रभार घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	10,05.06	4,74.86	(-)5,30.20
0518	सामान्य प्रशासन विभाग				
	ओ	30,12.37		मुख्यतः वेतन, पीओएल और प्रशिक्षण घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	30,12.37	22,97.31	(-)7,15.06
0712	सूचना प्रौद्योगिकी				
	ओ	3,93.62		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,93.62	2,83.71	(-)1,09.91
092	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0448	प्रशिक्षण शाखा-सामान्य शाखा				
	ओ	74.33		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	74.33	41.01	(-)33.32
0451	विधि विभाग का अनुवाद प्रकोष्ठ				
	ओ	1,11.23		मुख्यतः वाहन क्रय घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,11.23	62.55	(-)48.68
0463	व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड				
	ओ	1,96.40		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,96.40	1,20.98	(-)75.42
0516	सेवा चयन बोर्ड				
	ओ	3,20.21		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,20.21	3,03.50	(-)16.71
0519	प्रशासनिक सुधार एवं निरीक्षण विभाग				
	ओ	1,21.01		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,21.01	85.04	(-)35.97
1342	पूर्व-मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं				
	ओ	1,05.31		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,05.31	25.01	(-)80.30
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	32,25.00		विस्तृत शीर्ष 058- गोपनीय सेवाएं खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	32,25.00	11,00.00	(-)21,25.00
0460	नागरिक उड्डयन विभाग				
	ओ	3,00.00		एयर लिफ्ट प्रभारों के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,00.00	70.87	(-)2,29.13

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2062</b>	<b>सतर्कता</b>				
104	राज्य/ यूटी का सतर्कता आयोग				
0099	सामान्य				
2369	राज्य सतर्कता आयोग				
	ओ	4,07.67			मुख्यतः वेतन, विद्युत प्रभारों एवं आरआरटी घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	4,07.67	1,61.59	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
003	प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
0262	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीए)				
	ओ	6,92.79			जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।
	एस	..	6,92.79	6,23.56	
105	विशेष जाँच आयोग				
0099	सामान्य				
0456	जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण				
	ओ	2,55.36			मुख्यतः आरआरटी घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,55.36	1,41.79	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन और प्रशासन				
	ओ	1,19.82			
	एस	..	1,19.82	82.79	
<b>2251</b>	<b>सचिवालय- विशेष सेवा</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0332	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड				
	ओ	1,73.47			
	एस	..	1,73.47	1,61.89	
0412	शिक्षा विभाग				
	ओ	3,54.70			मुख्यतः वेतन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,54.70	2,05.30	
0419	शिक्षा आयुक्त				
	ओ	2,24.77			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,24.77	1,71.09	
0421	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग				
	ओ	2,93.43			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,93.43	2,30.40	
0426	समाज कल्याण विभाग				
	ओ	2,11.26			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,11.26	1,86.47	
0428	राहत और पुनर्वास विभाग				
	ओ	1,36.92			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,36.92	1,09.94	
0430	सचिवालय औषधालय				
	ओ	45.33			
	एस	..	45.33	33.63	
1237	आवास एवं शहरी विकास विभाग				
	ओ	2,21.10			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,21.10	1,86.55	
2301	संस्कृति विभाग				
	ओ	79.66			
	एस	..	79.66	67.15	

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2251</b>	<b>सचिवालय - समाज सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
2426	जनजातीय मामले विभाग				
	ओ	1,24.51			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,24.51	67.12	
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी और पर्यावरण</b>				
04	प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0438	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
	ओ	1,10.54			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,10.54	51.87	
<b>3451</b>	<b>सचिवालय आर्थिक सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0411	सूचना विभाग				
	ओ	1,55.21			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,55.21	52.27	
0425	कृषि विभाग				
	ओ	2,64.88			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,64.88	2,17.77	
0429	वन विभाग				
	ओ	1,94.62			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,94.62	1,52.72	
0437	परिवहन विभाग				
	ओ	1,29.99			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,29.99	84.31	
0440	लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग				
	ओ	3,33.10			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,33.10	2,55.05	
0445	विद्युत विकास विभाग				
	ओ	2,04.66			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,04.66	1,84.27	
0446	लघुमूल्य मामले विभाग				
	ओ	1,25.25			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,25.25	57.04	
0465	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल विभाग				
	ओ	73.80			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	73.80	48.15	
0467	श्रम विभाग				
	ओ	1,12.74			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,12.74	1,05.17	
0469	पशु एवं भेड़ पालन विभाग				
	ओ	2,13.00			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,13.00	1,37.33	
0472	सहकारी विभाग				
	ओ	1,24.39			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,24.39	76.95	
0490	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग				
	ओ	2,58.01			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,58.01	1,83.30	
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग				
	ओ	1,23.98			मुख्यतः दूरभाष और पीओएल घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,23.98	92.39	



**अनुदान संख्या 1 (जारी)**

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3451</b>	<b>सचिवालय आर्थिक सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
1241	पर्यटन विभाग				मुख्यतः वेतन, टीई और ओई घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,45.16			
	एस	..	2,45.16	1,69.75	(-)75.41
1341	ग्रामीण विकास विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,46.94			
	एस	..	2,46.94	1,74.38	(-)72.56
1825	योजना विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	6,09.35			
	एस	..	6,09.35	4,54.58	(-)1,54.77
2273	पीएचई/ सिंचाई विभाग				विस्तृत शीर्ष 002- टी.ई और 071 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,82.66			
	एस	..	1,82.66	1,65.35	(-)17.31
2454	परियोजना अनुवीक्षण इकाई				
	ओ	34.02			
	एस	..	34.02	27.52	(-)6.50
2457	उद्यान कृषि विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,21.21			
	एस	..	1,21.21	96.04	(-)25.17
2458	सड़क सुरक्षा परिषद				विस्तृत शीर्ष 002- टी. ई और 103- कार्यालयीन उपकरण के संबंध में अप्रयुक्त बीई।
	ओ	10.35			
	एस	..	10.35	0.54	(-)9.81
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
80	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	नागरिक उड्डयन				मुख्यतः वेतन और हेलीकॉप्टर हेतु ईंधन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	7,31.04			
	एस	..	7,31.04	5,70.41	(-)1,60.63
3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>2052</b>	<b>सचिवालय - सामान्य सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0892	विधान परिषद			6,19.73	
<b>2062</b>	<b>सतर्कता</b>				
104	सतर्कता				
0099	सामान्य				
2272	जेएण्डके राज्य सूचना आयोग			3,92.52	
4	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 3,06.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 10,20.95 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 3,06.79 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2012</b>	<b>राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक</b>				
03	<i>संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपाल/ प्रशासक</i>				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0461	सचिवालय				
	ओ	5,38.68			
	एस	..	5,38.68	4,31.95	(-)1,06.73

**अनुदान संख्या 1 (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2051</b>	<b>लोक सेवा आयोग</b>				
102	राज्य लोक सेवा आयोग			विस्तृत शीर्ष 001- वेतन और पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0439	राज्य लोक सेवा आयोग				
	ओ	4,82.27			
	एस	..	4,82.27	2,82.21	(-)2,00.06
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 37,31.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,22,91.81 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 37,31.14 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0712	सूचना और प्रौद्योगिकी			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	74,23.13			
	एस	..	74,23.13		69,23.13
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0270	नागरिक उड्डयन				
	ओ	35,88.52			
	एस	..	35,88.52	14,13.07	(-)21,75.45
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0439	राज्य लोक सेवा आयोग			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	64.31			
	एस	..	64.31		2,18.21
9	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>4070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0517	निदेशक सतर्कता संगठन		6,57.43		
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0270	नागरिक उड्डयन		5,52.17		

**अनुदान संख्या 2- गृह विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2056 कारावास

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 समाज सुरक्षा और कल्याण

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		36,84,34,87		
		36,84,34,87	29,78,03,98	(-)7,06,30,89
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल		6,60,85,93		
		6,60,85,93	2,42,93,55	(-)4,17,92,38
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,06,30.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 36,84,34.87 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 7,06,30.89 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			विस्तृत शीर्ष वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0758	सशस्त्र पुलिस				
	ओ	2,37,93.19			
	एस	..	2,37,93.19		2,35,39.00
0780	यातायात पुलिस				
	ओ	54,64.85			
	एस	..	54,64.85	51,47.46	(-)3,17.39
0789	महानिदेशक पुलिस			विस्तृत शीर्ष एमएण्डएस, मानदेय और व्यावसायिक के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,19,42.87			
	एस	..	1,19,42.87		95,90.62

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
003	शिक्षा और प्रशिक्षण				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0181	शिक्षा और प्रशिक्षण					
	ओ	55,27.17				
	एस	..	55,27.17	47,56.03		(-)7,71.14
101	अपराध अन्वेषण और सतर्कता					
0099	सामान्य					
0764	अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी					
	ओ	83,57.43				
	एस	..	83,57.43	66,61.02		(-)16,96.41
0785	सीआईडी वीआईपी सुरक्षा					
	ओ	41,29.05				
	एस	..	41,29.05	29,97.45		(-)11,31.60
1357	सुरक्षा विंग					
	ओ	1,51,59.99				
	एस	..	1,51,59.99	1,51,16.33		(-)43.66
104	विशेष पुलिस					
0099	सामान्य					
1356	आई आर पी 9वीं बटालियन					
	ओ	4,49,44.89				
	एस	..	4,49,44.89	3,58,86.19	(-)90,58.70	
1358	आई आर पी बटालियन					
	ओ	2,29,46.38				
	एस	..	2,29,46.38	1,99,21.57	(-)30,24.81	
109	जिला पुलिस					
0099	सामान्य					
0754	कार्यकारी बल कश्मीर रेन्ज					
	ओ	6,12,46.94				
	एस	..	6,12,46.94	5,42,15.31	(-)70,31.63	
0778	कार्यकारी बल जम्मू रेन्ज					
	ओ	4,77,88.94				
	एस	..	4,77,88.94	4,02,62.52	(-)75,26.42	
111	रेलवे पुलिस					
0099	सामान्य					
1320	रेलवे पुलिस					
	ओ	90,47.54				
	एस	..	90,47.54	62,86.44	(-)27,61.10	
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण					
0099	सामान्य					
0735	पुलिस अस्पतालों का उन्नयन					
	ओ	22,68.03				
	एस	..	22,68.03	18,82.10	(-)3,85.93	
1333	पुलिस दूरसंचार का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण					
	ओ	83,54.30				
	एस	..	83,54.30	64,89.68	(-)18,64.62	

वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
116	न्यायिक विज्ञान			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और डीएच 046-वाहन का क्रय के संबंध में अप्रयुक्त बीई।		
0099	सामान्य					
0727	न्यायिक विज्ञान लेबोरेटरी निदेशक एफएसएल जेएण्डके					
	ओ	9,80.49				
	एस	..	9,80.49	4,83.40	(-)4,97.09	
117	आंतरिक सुरक्षा			विस्तृत शीर्ष 214- नजरबंदियों के कारण भुगतान के संबंध में अप्रयुक्त बीई।		
0099	सामान्य					
0729	कारावास					
	ओ	15,32.40				
	एस	..	15,32.40	15,00.09	(-)32.31	
0957	आंतरिक सुरक्षा			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष एमएण्डई, सभलाई प्रभार, होटलों और पुलिस बटालियनों के किराये के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	6,11,46.28				
	एस	..	6,11,46.28		4,36,08.29	(-)1,75,37.99
<b>2056</b>	<b>कारावास</b>					
001	निदेशन और प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0312	निदेशन कार्यालय					
	ओ	2,29.65				
	एस	..	2,29.65		1,86.56	(-)43.09
101	कारावास					
0099	सामान्य					
0729	कारावास					
	ओ	31,75.98				
	एस	..	31,75.98	30,80.38	(-)95.60	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>					
106	नागरिक सुरक्षा			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	4,43.49				
	एस	..	4,43.49		2,37.88	(-)2,05.61
107	होम गार्ड					
0099	सामान्य					
1702	होम गार्डों का पुनः सक्रियण					
	ओ	13,53.89				
	एस	..	13,53.89		10,05.04	(-)3,48.85
2156	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल					
	ओ	49,91.22				
	एस	..	49,91.22		41,32.24	(-)8,58.98
108	आग सुरक्षा और नियंत्रण					
0099	सामान्य					
0749	आग सुरक्षा और नियंत्रण					
	ओ	1,69,27.87				
	एस	..	1,69,27.87	74,46.77	(-)94,81.10	
<b>2235</b>	<b>समाज सुरक्षा और कल्याण</b>					
02	समाज कल्याण			विस्तृत शीर्ष 032- राहत और पुनर्वास के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	11,46.02				
	एस	..	11,46.02	5,45.06	(-)6,00.96	

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>			
101	अपराध अन्वेषण और सतर्कता			वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 010- एमएण्डएस के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0779	सीआईडी (अपराध)			
	ओ	27,44.97		
	एस	..	27,44.97	
			29,94.37	(+)2,49.40
4	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
				(₹ लाख में)
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1318	अभियोजन		21,19.25	
2395	पीड़ितों को मुआवजा		50.00	
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0750	पुलिस का आधुनिकीकरण		3,76.59	
116	न्यायिक विज्ञान			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0727	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक एफएसएल जेएण्डके		1,40.16	
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
				(₹ लाख में)
<b>2056</b>	<b>कारावास</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0729	कारावास		18.67	

**अनुदान संख्या 2 (समाप्त)**

<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,17,92.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,60,85.93 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 4,17,92.38 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
207	राज्य पुलिस				
0099	सामान्य				
0740	आंतरिक सुरक्षा				
	ओ	3,18,68.00			
	एस	..	3,18,68.00	1,41,32.51	(-1,77,35.49)
0011	सामान्य				
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण				
	ओ	8,92.00			
	एस	..	8,92.00	2.29	(-8,89.71)
1158	आई आर पी बटालियन				
	ओ	1,25,11.08			
	एस	..	1,25,11.08	35,82.70	(-89,28.38)
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण				
	ओ	65,20.00			
	एस	..	65,20.00	33,61.96	(-31,58.04)
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य इमारतें				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2340	एनएफबी गृह				
	ओ	1,40,67.35			
	एस	..	1,40,67.35	29,98.73	(-1,10,68.62)
<b>4070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0979	राज्य आयोजना अग्नि सेवाएं				
	ओ	2,27.50			
	एस	..	2,27.50	1,89.91	(-37.59)
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत व्यय बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य इमारतें				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2304	मॉडल गांव				
				25.45	
9	वर्ष 2014-15 से योजना और गैर-योजना के रूप में नामपद्धति की समाप्ति के फलस्वरूप, लेखा के राजस्व व्यय शीर्ष के संबंध में बजट प्राक्कलनों को वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था और लेखे के पूँजीगत शीर्षों को वर्ग शीर्ष 0011- सामान्य के प्रति बुक किया जाना आवश्यक था। इसके विपरीत, लेखा के पूँजीगत शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय के संबंध में बजट प्राक्कलन अभी तक 0099-सामान्य के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे हैं।				

### अनुदान संख्या 3- योजना विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
3452	पर्यटन
3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		47,24,79		
		47,24,79	33,41,32	(-)13,83,47
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल		9,30,05,09		
		9,30,05,09	3,04,93,70	(-)6,25,11,39
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टीका एवं टिप्पणियाँ

#### राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,83.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 47,24.79 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 13,83.47 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>			
01	पुनर्वास			
202	अन्य पुनर्वास योजनाएं			
0099	सामान्य			
1755	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना			
	ओ	3,73.78		ओई, व्यावसायिक और विशेष सेवा प्रभार घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,10.22	
		3,73.78	(-)1,63.56	
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>			
01	जनगणना			
001	निर्देशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1016	जनशक्ति प्रकोष्ठ			
	ओ	31.43		मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	12.65	
		31.43	(-)18.78	



## अनुदान संख्या 3 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>				
01	जनगणना				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
1018	निदेशालय का पुनर्गठन				
	ओ	2,06.11			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,06.11	1,39.92	
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
112	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी				
0099	सामान्य				
0557	योजना मशीनरी				
	ओ	20,29.52			वेतन और ओई घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	20,29.52	15,74.09	
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
	ओ	4,64.88			वेतन और पीओएल घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	4,64.88	3,59.49	
1009	सांख्यिकीय ब्यूरो का सशक्तिकरण				
	ओ	38.73			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	38.73	24.99	
1010	आर्थिक विश्लेषण				
	ओ	15.36			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	15.36	6.20	
1011	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय				
	ओ	1,50.39			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,50.39	1,09.09	
1012	मार्केट इन्टेलिजेन्स का सुधार				
	ओ	30.07			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	30.07	17.90	
1021	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं मूल्य सांख्यिकी				
	ओ	52.08			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	52.08	38.10	
1024	जिला मुख्यालय में योजना प्रकोष्ठ का सशक्तिकरण				
	ओ	1,24.89			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,24.89	89.77	
1025	पूँजीगत रूपांकन का अनुमान लगाना				
	ओ	14.26			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	14.26	8.14	
1026	योजना मशीनरी का सशक्तिकरण				
	ओ	81.65			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	81.65	73.75	
201	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान				
0099	सामान्य				
1017	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण				
	ओ	3,34.25			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,34.25	2,77.93	
1023	सांख्यिकीय कार्मिक प्रशिक्षण				
	ओ	3,16.86			मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,16.86	64.57	

## अनुदान संख्या 3 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>			
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
205	राज्य सांख्यिकीय अभिकरण			
0099	सामान्य			
1008	जिला सांख्यिकीय अभिकरण			
	ओ	1,38.08		
	एस	..	1,38.08	1,24.61
				(-)13.47
1019	मूल्यांकन मशीनरी			
	ओ	1,17.77		
	एस	..	1,17.77	77.21
				(-)40.56
1020	राज्य आय हेतु इकाई			
	ओ	22.82		
	एस	..	22.82	12.80
				(-)10.02
1022	विभिन्न विभागों में सांख्यिकीय प्रकोष्ठ			
	ओ	13.96		
	एस	..	13.96	8.81
				(-)5.15
2302	आवास और भवन सांख्यिकी			
	ओ	12.83		
	एस	..	12.83	7.41
				(-)5.42
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1518	लघु सिंचाई योजनाओं की गणना			
	ओ	1,44.75		
	एस	..	1,44.75	96.90
				(-)47.85
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>				
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,25,11.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 9,30,05.09 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 9,30,05.09 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
60	अन्य इमारतें			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0459	एनबीएफ योजना			
	ओ	10,50.00		
	एस	..	10,50.00	7,31.40
				(-)3,18.60
<b>4235</b>	<b>सामाज सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	पुनर्वास			
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं			
0011	सामान्य			
1755	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाएं			
	ओ	1,37,71.15		
	एस	..	1,37,71.15	49,61.98
				(-)88,09.17

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

**अनुदान संख्या 3 (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान				
	ओ	18,03.32			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	18,03.32	4,11.06	
0555	खण्ड स्तरीय योजना				
	ओ	3,02,24.22			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,02,24.22	1,00,72.48	
0557	योजना मशीनरी				
	ओ	5,00.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	5,00.00	4,79.00	
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
	ओ	2,13.29			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	2,13.29	37.70	
2154	नये जिलों का सृजन				
	ओ	8,25.78			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	8,25.78	4,83.75	
2338	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	ओ	35,00.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	35,00.00	29,71.68	
2396	बाढ़ों के लिए पीएम पैकेज				
	ओ	89,00.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	89,00.00	54,53.82	
2498	डीडीएस को संयुक्त निधियाँ				
	ओ	10,00.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	10,00.00	7,45.09	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान				
	ओ	1,31,17.33			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,31,17.33	41,13.82	
5	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	
				(₹ लाख में)	
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2337	फास्ट ट्रेक परियोजनाओं का समापन			5,00.00	
2492	स्थायी पुनर्स्थापन			1,75,00.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2346	लघु सिंचाई सांख्यिकी			1,00.00	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	
				(₹ लाख में)	
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0533	विविध निर्माण			31.92	

### अनुदान संख्या 4- सूचना विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना एवं प्रचार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		57,12,87		
		57,12,87	41,19,13	(-)15,93,74
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4220 सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
<b>दत्तमत</b>				
मूल		75,00		
		75,00	34,80	(-)40,20
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

#### राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,93.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 57,12.87 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 15,93.74 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>2220</b>	<b>सूचना एवं प्रचार</b>					
60	अन्य					
001	निदेशन और प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0815	संयुक्त निदेशक कश्मीर					
	ओ	1,00.87				
	एस	..	1,00.87	54.88		(-)45.99
0828	संयुक्त निदेशक जम्मू					
	ओ	79.48				
	एस	..	79.48	46.15		(-)33.33
0835	निदेशन कार्यालय					
	ओ	6,29.60				
	एस	..	6,29.60	3,16.83	(-)3,12.77	
101	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार				वेतन घटक और विज्ञापन एवं प्रचार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0118	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार					
	ओ	29,96.97				
	एस	..	29,96.97	29,02.65	(-)94.32	
102	सूचना केन्द्र				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0816	जिला सूचना केन्द्र					
	ओ	13,36.86				
	एस	..	13,36.86	5,03.96	(-)8,32.90	

## अनुदान संख्या 4 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2220</b>	<b>सूचना एवं प्रचार</b>				
60	अन्य				
102	सूचना केन्द्र				
0099	सामान्य				
0817	सूचना ब्यरो नई दिल्ली				
	ओ	75.90			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	75.90	27.19	
106	क्षेत्र प्रचार				
0099	सामान्य				
0825	लिखित और आयोजना प्रचार				
	ओ	3,71.67			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,71.67	2,19.63	
109	फोटो सेवाएं				
0099	सामान्य				
0830	फोटो एवं फिल्म इकाई				
	ओ	1,21.52			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,21.52	50.78	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 42.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 75.00 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 42.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4220</b>	<b>सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1238	सूचना पर पूँजीगत परिव्यय				
	ओ	75.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	75.00	34.80	

## अनुदान संख्या 5- लद्दाख मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	..		
		..	..
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

## अनुदान संख्या 6- विद्युत विकास विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
2801 विद्युत

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		56,60,90,93		
			24,54,61,15	(-)32,06,29,78
		56,60,90,93		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

मूल		15,35,97,94		
			1,85,20,72	(-)13,50,77,22
		15,35,97,94		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 32,06,29.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 56,60,90.93 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 32,06,29.78 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
01	जल विद्युत उत्पादन				
101	विद्युत का क्रय			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1306	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम				
	ओ	50,63,42.59			
	एस	..	50,63,42.59	18,57,22.35	
				(-)32,06,20.24	
05	संचारण और वितरण				
001	निदेशन और प्रशासन			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1307	जम्मू विद्युत वितरण निगम				
	ओ	2,27,40.98			
	एस	..	2,27,40.98	2,04,66.35	
				(-)22,74.63	
1308	कश्मीर विद्युत वितरण निगम			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,74,11.16			
	एस	..	2,74,11.16		2,46,69.75
				(-)27,41.41	
1309	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम				
	ओ	87,88.58			
	एस	..	87,88.58	79,09.67	
				(-)8,78.91	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>			
80	सामान्य			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1686	एफ ए विद्युत परियोजना संगठन			
	ओ	1,50.01		
	एस	..	1,50.01	1,11.77
				(-)38.24
005	अन्वेषण			
0099	सामान्य			
2170	निदेशक प्रशिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण और कमिश्निंग			
	ओ	4,10.04		
	एस	..	4,10.04	3,39.01
				(-)71.03
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
2111	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)			
			2,43.14	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय विद्युत विकास विभाग में निगम के गठन का अनुसरण करते हुए बिना बजटीय प्रावधान के किया गया; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			



## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>		
05	संचारण और वितरण		
001	निदेशन और प्रशासन		
0099	सामान्य		
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक एवं सर्वेक्षण विंग जम्मू	78.10	
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन कश्मीर	2,01.22	
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन जम्मू	2,04.37	
2455	समर्पित परियोजना विंग	92.64	
602	संचारण लाइन सोपोर		
0099	सामान्य		
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन कश्मीर	65.15	
603	संचारण लाइन बेमिना श्रीनगर		
0099	सामान्य		
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन कश्मीर	60.66	
604	संचारण लाइन जानीपुर		
0099	सामान्य		
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन जम्मू	68.42	
605	संचारण लाइन ग्लाडनी		
0099	सामान्य		
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन जम्मू	62.63	
606	संचारण लाइन ऊधमपुर		
0099	सामान्य		
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन जम्मू	94.50	
607	संचारण लाइन पंपोर		
0099	सामान्य		
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और परिचालन कश्मीर	1,06.42	
609	लोड डिस्पैच एम टी जम्मू		
0099	सामान्य		
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक सर्वेक्षण विंग जम्मू	16.01	
610	लोड डिस्पैच एम टी श्रीनगर		
0099	सामान्य		
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक सर्वेक्षण विंग कश्मीर	29.42	
06	ग्रामीण विद्युतीकरण		
001	निदेशन और प्रशासन		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	99.66	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>		
06	ग्रामीण विद्युतीकरण		
001	निदेशन और प्रशासन		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	88.73	
1678	मुख्य अभियंता अधिप्राप्ति और सामग्री प्रबंधन जम्मू	99.13	
611	ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	8,83.78	
612	ग्रामीण विद्युतीकरण कठुआ		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	2,59.59	
613	ग्रामीण विद्युतीकरण पुंछ		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	97.52	
614	ग्रामीण विद्युतीकरण राजौरी		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	2,24.49	
615	ग्रामीण विद्युतीकरण ऊधमपुर		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	3,03.84	
616	ग्रामीण विद्युतीकरण बटोटे		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	56.62	
617	ग्रामीण विद्युतीकरण डोडा		
0099	सामान्य		
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	96.44	
618	ग्रामीण विद्युतीकरण श्रीनगर		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	9,61.26	
619	ग्रामीण विद्युतीकरण अनंतनाग		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,52.01	
620	ग्रामीण विद्युतीकरण अवंतिपोरा		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,01.96	
621	ग्रामीण विद्युतीकरण पुलवामा		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	2,02.60	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>		
06	ग्रामीण विद्युतीकरण		
622	ग्रामीण विद्युतीकरण बारामूला		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,38.61	
623	ग्रामीण विद्युतीकरण बडगाम		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,61.86	
624	ग्रामीण विद्युतीकरण हंदवाडा		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,63.44	
625	ग्रामीण विद्युतीकरण कुलगाम		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,14.22	
626	ग्रामीण विद्युतीकरण सुंबल		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	67.89	
627	ग्रामीण विद्युतीकरण सोपोर		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	3,05.39	
628	ग्रामीण विद्युतीकरण बिजबेहरा		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	2,07.97	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ			
		(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>					
06	ग्रामीण विद्युतीकरण					
629	ग्रामीण विद्युतीकरण गांदरबल					
0099	सामान्य					
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,72.58				
630	ग्रामीण विद्युतीकरण विजयपुर					
0099	सामान्य					
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	1,02.49				
633	ग्रामीण विद्युतीकरण किश्तवाड					
0099	सामान्य					
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू	81.14				
80	सामान्य					
004	अनुसंधान और विकास					
0099	सामान्य					
2169	मुख्य अभियंता योजना और अभिकल्प	40.52				
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,50,77.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 15,35,97.94 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 13,50,77.22 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
05	संचारण और वितरण					
001	निदेशन और प्रशासन					
0011	सामान्य					
1307	जम्मू विद्युत वितरण निगम			115-निर्माण घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,15,00.00				
	एस	..	1,15,00.00		57.87	(-)1,14,42.13
1308	कश्मीर विद्युत वितरण निगम					
	ओ	1,02,00.00				
	एस	..	1,02,00.00	80,01.93	(-)21,98.07	

**अनुदान संख्या 6 (जारी)**

7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहे; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
05	संचारण और वितरण				
001	निदेशन और प्रशासन			115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0011	सामान्य				
1309	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत संचारण निगम				
	ओ	15,00.00			
	एस	..	15,00.00	1,01,32.98	(+)86,32.98
8	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	जल विद्युत उत्पादन				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2021	विशेष सहायताएं			2,00,00.00	
05	संचारण और वितरण				
001	निदेशन और प्रशासन				
0011	सामान्य				
1400	पीएमडीपी के अंतर्गत परियोजनाएं				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1401	केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं				
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष		वास्तविक व्यय			अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
05	संचारण और वितरण				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0478	संचारण और वितरण			15.00	
10	उचंत संव्यवहार: उचंत शीर्ष के अंतर्गत राजस्व एवं पूँजीगत दोनों अनुदान में शून्य व्यय सम्मिलित है जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 तक तत्कालीन राज्य) और 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020 तक यूटी) के दौरान अनुदान में उचंत शीर्ष के अंतर्गत अथ एवं अंत शेष सहित संव्यवहारों का विश्लेषण नीचे दिया गया है।				
	लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण	31.10.2019 को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 को अंत शेष
		(₹ लाख में)			
<b>2801</b>	<b>विद्युत-</b>				
	खरीदें	(-)35.44	-	-	(-)35.44
		शून्य	-	-	-
	विविध अग्रिम	4,77.81	-	-	4,77.81
		शून्य	-	-	-
	भण्डारण	80,09.35	-	-	80,09.35
		शून्य	-	-	-
	कार्यशाला उचंत	29.38	-	-	29.38
		शून्य	-	-	-
	<b>कुल- 2801</b>	<b>84.81.10</b>			<b>84,81.10</b>

## अनुदान संख्या 6 (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण	31.10.2019 को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 को अंत शेष	
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
	(₹ लाख में)				
खरीदें	(-)1,13.14	-	-	(-)1,13.14	
	शून्य	-	-	-	
विविध अग्रिम	4,78.25	-	-	4,78.25	
	शून्य	-	-	-	
भण्डारण	98.52	-	-	98.52	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	28.85	-	-	28.85	
	शून्य	-	-	-	
<b>कुल- 4801</b>	<b>4,92.48</b>			<b>4,92.48</b>	
11	विद्युत विकास विभाग के औजार और संयंत्र प्रभारों की स्थापना की समीक्षा:- विद्युत विकास विभाग में वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 और 31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान प्रतिशत, जो औजार और संयंत्र की स्थापना पर वहन किया गया, नीचे इंगित किया गया है:-				
लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण	31.10.2019 को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 को अंत शेष	लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत-</b>				
	<b>2019-20</b>	<b>51,26.10</b>	<b>39,33,86.26</b>	<b>76,74.19</b>	-
	2019-20	1,57.00	24,53,04.15	15,62,44.68	-
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
	<b>2019-20</b>	<b>79,16.24</b>	-	-	-
	2019-20	1,85,20.72	-	-	-
सूचना: बोल्ट में आँकड़े तत्कालीन जेएण्डके राज्य से संबंधित हैं।					

**अनुदान संख्या 7- शिक्षा विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ हजार में)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	54,11,97,85		
	54,11,97,85	39,92,64,24	(-)14,19,33,61
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,68,59,33		
	7,68,59,33	86,64,66	(-)6,81,94,67
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 14,19,33.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 54,11,97.85 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 14,19,33.61 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
<b>2202 सामान्य शिक्षा</b>				
<i>01 प्रारंभिक शिक्षा</i>				
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
0099 सामान्य				
0254 निदेशक विद्यालयी शिक्षा जम्मू (प्राथमिक विद्यालय छात्र)				मुख्यतः वेतन, विद्युत प्रभार और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
ओ	11,70,22.88			
एस	..	11,70,22.88	11,50,53.49	(-)19,69.39
1030 मध्याह्न भोजन				062- खाद्यान्नों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
ओ	10,95.73			
एस	..	10,95.73	4,46.43	(-)6,49.30
104 निरीक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में कम व्यय।
0099 सामान्य				
0214 निदेशक शिक्षा कश्मीर				
ओ	10,22,81.96			
एस	..	10,22,81.96	9,92,72.89	(-)30,09.07
<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>				
001 निदेशन और प्रशासन				028-सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031 केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2442 समय				
ओ	14,80,19.00			
एस	..	14,80,19.00	1,54,78.18	(-)13,25,40.82

## अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
<i>02</i>	<i>माध्यमिक शिक्षा</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर			
	ओ	7,70,62.72		
	एस	..	7,70,62.72	
			7,49,59.51	
			(-)-21,03.21	
0274	निदेशक शिक्षा जम्मू			
	ओ	7,41,78.36		
	एस	..	7,41,78.36	
			7,26,79.27	
			(-)-14,99.09	
107	छात्रवृत्तियाँ			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।
0099	सामान्य			
0241	सैनिक विद्यालय नगरोटा			
	ओ	3,85.00		
	एस	..	3,85.00	
			3,46.50	
			(-)-38.50	
0243	सैनिक विद्यालय मानसबल			पुरस्कार घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	5,92.50		
	एस	..	5,92.50	
			5,33.25	
			(-)-59.25	
0905	प्रतिभाशाली छात्र			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	53.50		
	एस	..	53.50	
			22.55	
			(-)-30.95	
109	राजकीय माध्यमिक विद्यालय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1057	प्रवासियों पर व्यय			
	ओ	29,45.83		
	एस	..	29,45.83	
			29,26.92	
			(-)-18.91	
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
107	छात्रवृत्तियाँ			जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
2436	बेटी अनमोल			
	ओ	3,50.00		
	एस	..	3,50.00	
			2,70.88	
			(-)-79.12	
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>			
102	छात्रों हेतु युवा कल्याण कार्यक्रम			वेतन और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0954	राष्ट्रीय कैडेट कोर			
	ओ	4,48.83		
	एस	..	4,48.83	
			4,12.52	
			(-)-36.31	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
003	प्रशिक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य			
0271	राज्य शिक्षा संस्थान कश्मीर			
	ओ	1,23.55		
	एस	..	1,23.55	
			1,51.64	
			(+)-28.09	



## अनुदान संख्या 7 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
80	सामान्य			
003	प्रशिक्षण			
0099	सामान्य			
0277	राज्य शिक्षा संस्थान जम्मू			
	ओ	1,80.09		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	एस	..	1,80.09	
			1,83.03	(+)2.94
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
			(₹ लाख में)	
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
01	प्रारंभिक शिक्षा			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1030	मध्याह्न भोजन			
	1,37.59			
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>				
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,81,94.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,68,59.33 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 6,81,94.67 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
6	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	सामान्य शिक्षा			
201	प्रारंभिक शिक्षा			
0011	सामान्य			
0632	प्रारंभिक शिक्षा			
	ओ	29,30.42		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	29,30.42	
			17,75.37	(-)11,55.05
202	माध्यमिक शिक्षा			
0011	सामान्य			
0149	माध्यमिक शिक्षा			
	ओ	69,74.60		
	एस	..	69,74.60	
			33,29.92	(-)36,44.68

## अनुदान संख्या 7 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	सामान्य शिक्षा			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0987	अध्यापक शिक्षा			
	ओ	4,69.87		
	एस	..	4,69.87	2,23.82
				(-)2,46.05
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1030	मध्याह्न भोजन			
	ओ	1,28,20.73		
	एस	..	1,28,20.73	33,26.57
				(-)94,94.16
7	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	सामान्य शिक्षा			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
2442	समग्र			
			53,64.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2442	समग्र			
			4,82,87.00	

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 8- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030	स्टाम्प और पंजीकरण
2039	राज्य उत्पाद शुल्क
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार
2045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं
2049	ब्याज भुगतान
2054	राजकोष और लेखा प्रशासन
2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
2075	विविध सामान्य सेवाएं
2235	समाज सुरक्षा और कल्याण
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	42,30,25,51		
		42,30,25,51	26,40,93,37
पूरक	..		(-)15,89,32,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित			
मूल	18,06,01,32		
		18,06,01,32	25,31,63,22
पूरक	..		(+)7,25,61,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण
6004	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम
6235	सामाज सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण
6885	उद्योगों एवं खनिजों को अन्य ऋण

दत्तमत			
मूल	6,38,45,33		
		6,38,45,33	5,62,91,28
पूरक	..		(-)75,54,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित			
मूल	1,00,53,23,00		
		1,00,53,23,00	1,31,49,34,17
पूरक	..		(+)30,96,11,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,89,32.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 42,30,25.51 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 15,89,32.14 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2039	राज्य उत्पाद शुल्क			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0334	आयुक्त कार्यालय			
	ओ	24,84.90		
	एस	..	24,84.90	18,14.04
				(-)6,70.86

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2040</b>	<b>बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः प्रतिदाय घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0334	आयुक्त कार्यालय				
	ओ	7,75.00			
	एस	..	7,75.00	1,76.32	(-)5,98.68
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक और वाहन क्रय के संबंध में कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1429	बिक्री कर अधिकरण				
	ओ	76.28			
	एस	..	76.28	42.24	(-)34.04
<b>2043</b>	<b>राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन, विद्युत प्रभारों और अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0334	आयुक्त कार्यालय				
	ओ	4,82,13.74			
	एस	..	4,82,13.74	2,94,64.83	(-)1,87,48.91
<b>2047</b>	<b>अन्य राजकोषीय सेवाएं</b>				
103	लघु बचतों का प्रोत्साहन			मुख्यतः 002-टीई, 017-मानदेय एवं 028-जीआईए के संबंध में कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0293	निदेशक वित्त				
	ओ	33,13.70			
	एस	..	33,13.70	6,81.00	(-)26,32.70
<b>2054</b>	<b>कोषागार और लेखा प्रशासन</b>				
003	प्रशिक्षण			मुख्यतः वेतन और सामग्री एवं आपूर्ति घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0328	लेखाविधि प्रशिक्षण विद्यालय, श्रीनगर				
	ओ	2,50.91			
	एस	..	2,50.91	68.08	(-)1,82.83

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2054</b>	<b>कोषागार और लेखा प्रशासन</b>			
003	प्रशिक्षण			
0099	सामान्य			
0329	उत्तरी आंचलिक लेखाविधि प्रशिक्षण विद्यालय, जम्मू			
	ओ	3,46.31		
	एस	..	3,46.31	1,96.05
				(-)1,50.26
095	लेखे एवं राजकोष निदेशालय			
0099	सामान्य			
0312	लेखे एवं राजकोष महा निदेशालय			
	ओ	5,50.11		
	एस	..	5,50.11	2,82.24
				(-)2,67.87
0316	लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण निदेशालय			
	ओ	5,60.83		
	एस	..	5,60.83	5,22.30
				(-)38.53
2430	निदेशक लेखे एवं राजकोष जम्मू			
	ओ	3,04.08		
	एस	..	3,04.08	2,77.55
				(-)26.53
097	राजकोष स्थापना			
0099	सामान्य			
0324	मुफासिल राजकोष कश्मीर			
	ओ	9,49.55		
	एस	..	9,49.55	9,14.76
				(-)34.79
0335	जिला राजकोष कश्मीर			
	ओ	9,51.19		
	एस	..	9,51.19	7,32.66
				(-)2,18.53
2431	जिला राजकोष जम्मू			
	ओ	9,22.06		
	एस	..	9,22.06	6,75.94
				(-)2,46.12
2432	मुफासिल राजकोष जम्मू			
	ओ	8,35.48		
	एस	..	8,35.48	6,62.34
				(-)1,73.14
098	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा			
0099	सामान्य			
0314	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा संगठन			
	ओ	3,05.30		
	एस	..	3,05.30	2,41.44
				(-)63.86
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0310	प्रभागीय निधि कार्यालय जम्मू/ श्रीनगर			
	ओ	2,93.47		
	एस	..	2,93.47	2,27.19
				(-)66.28
0312	निधि संगठन निदेशालय			
	ओ	2,87.47		
	एस	..	2,87.47	1,85.51
				(-)1,01.96
0418	वित्त विभाग			
	ओ	4,41,28.93		
	एस	..	4,41,28.93	1,34,96.31
				(-)3,06,32.62
1190	जिला निधि कार्यालय			
	ओ	28,68.45		
	एस	..	28,68.45	18,86.53
				(-)9,81.92

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2071</b>	<b>पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>					
01	सिविल					
115	छुट्टी नकदीकरण लाभ			विस्तृत शीर्ष 670- छुट्टी नकदीकरण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2190	सचिव वित्त					
	ओ	3,75,82.31				
	एस	..	3,75,82.31	2,97,31.69	(-)78,50.62	
117	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2327	सरकारी अंशदान					
	ओ	1,86.23			विस्तृत शीर्ष 641- पेंशन संबंधी प्रभार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,86.23	68.27		(-)1,17.96
0099	सामान्य					
2327	सरकारी अंशदान					
	ओ	3,07,92.66			विस्तृत शीर्ष 009- आरआरटी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,07,92.66	2,29,63.11		(-)78,29.55
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
102	विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन					
0099	सामान्य					
0313	जमा संलग्न बीमा योजना					
	ओ	20.84			विस्तृत शीर्ष 009- आरआरटी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	20.84	4.60		(-)16.24
105	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना					
0099	सामान्य					
0323	समूह बीमा हेतु राज्य अंशदान					
	ओ	24,00.00			विस्तृत शीर्ष 500- पेंशन संबंधी लाभ के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	24,00.00	8,39.00		(-)15,61.00
107	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना					
0099	सामान्य					
0965	स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों इत्यादि को पेंशन					
	ओ	3,00.00			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	3,00.00	2.27		(-)2,97.73
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>					
115	अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहयोग					
0099	सामान्य					
1880	अवसंरचना विकास					
	ओ	50.00			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	50.00	10.00		(-)40.00

**अनुदान संख्या 8 (जारी)**

3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>2075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>		
103	राज्य लोटरियाँ		
0099	सामान्य		
0317	पुनः प्राप्त जागीरों के बदले में पेन्शन	8.06	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		
60	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम</i>		
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेन्शन		
0099	सामान्य		
0668	सचिव वित्त	6,00.00	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
<b>2075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>		
104	विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन और पुरस्कार		
0099	सामान्य		
0975	विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेन्शन और पुरस्कार	10.87	
5	लेखे के मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची से विचलन में, संग्रहण प्रभार-मनोरंजन करों हेतु ₹ 28.57 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष 2045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क के अधीनस्थ उचित लघु शीर्ष 101- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर के बजाय उप शीर्ष 0983- संग्रहण प्रभार- मनोरंजन कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 104- संग्रहण प्रभार- वस्तुओं और यात्रियों पर कर के अंतर्गत रखा गया था, परिणामस्वरूप मुख्य शीर्ष 2045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क के अधीनस्थ 104-संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर के अंतर्गत डीडीओ द्वारा ₹ 18.59 लाख का व्यय गलत बुक किया गया।		
6	मुख्य शीर्ष 2071- पेन्शन संबंधी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधीनस्थ उप-शीर्ष 2190- सचिव वित्त के प्रति लघु शीर्ष 101- अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते के अंतर्गत ₹ 24,16,30.25 लाख के एकमुश्त बजटीय अनुदान को रखे जाने से लेखापरीक्षा को लघु-शीर्ष वार आधिक्य/ बचत की तुलना करने से वंचित रखा। तथापि, मुख्य शीर्ष 2071- पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अधीनस्थ उप-शीर्ष 2190- सचिव वित्त के प्रति लघु शीर्ष 101- अधिवर्षिता तथा अन्य सेवानिवृत्ति भत्ते के अंतर्गत कुल ₹ 15,74,26.07 लाख का व्यय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-		
	<b>क्र. सं.</b>	<b>विवरण</b>	<b>(₹ लाख में)</b>
	1	101-अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	8,76,00.60
	2	102-पेन्शन का संराशीकृत मूल्य	2,59,95.11
	3	104-उपदान	3,95,01.34
	4	105-परिवार पेन्शन	40,27.86
	5	111-विधायकों को पेन्शन	3,01.16

**अनुदान संख्या 8 (जारी)**

7	मुख्य शीर्ष-2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण के प्रति क्रमशः लघु शीर्ष 001- निदेशन और प्रशासन तथा 102- स्टाम्पों की बिक्री पर खर्च के अधीनस्थ उप शीर्ष 0344- राज्य स्टाम्प विभाग के अंतर्गत ₹ 7,57.85 लाख (₹ 4,57.85 लाख और ₹ 3,00.00 लाख) की एकमुश्त राशि का प्रावधान आयुक्त वाणिज्यिक कर (नियंत्रण अधिकारी) के निपटान पर रखा गया, जब अनुदान हेतु मांग में अपरिक्लित न्यायिक, हुंडी, न्यायिकेतर, स्टाम्प की लागत, विशेष आसंजक, नोटरी शुल्क तथा न्यायालय शुल्क जैसे उप शीर्षों के प्रति ₹ 2,89.86 लाख का व्यय किया गया तो उप-शीर्ष वार अधिक/ बचत की तुलना करने हेतु लेखापरीक्षा से वंचित हो गये। मुख्य शीर्ष-2030 स्टाम्प और पंजीकरण के अंतर्गत कुल ₹ 8,83.74 लाख का व्यय किया गया परिणामस्वरूप ₹ 1,25.89 लाख का आधिक्य रहा।				
8	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 18,06,01.32 लाख का मूल प्रावधान ₹ 7,25,61.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से अल्प साबित हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
9	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>				
01	<i>आंतरिक ऋण पर ब्याज</i>				
101	बाजार ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0191	बाजार ऋणों पर ब्याज				
	ओ	8,05,98.00			
	एस	..	8,05,98.00	12,71,97.80	(+)4,65,99.80
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>				
05	<i>आरक्षित निधियों पर ब्याज</i>				
105	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0185	अन्य बाध्यताओं पर ब्याज				
	ओ	1,68,62.00			
	एस	..	1,68,62.00	25,91.28	(-)1,42,70.72
11	31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान प्रभारित अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के संबंध में समस्त विनियोग अप्रयुक्त रहे; जिनके कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया है।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>				
01	<i>आंतरिक ऋण पर ब्याज</i>				
101	बाजार ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0184	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज				
			13,50.00		
04	<i>केन्द्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज</i>				
101	राज्य संघ शासित क्षेत्र योजना से ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0723	<i>केन्द्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज</i>				
			36,14.00		
104	गैर-आयोजना योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0171	लघु बचत का अंश				
			1,68,63.00		
60	<i>अन्य देयताओं पर ब्याज</i>				
701	विविध				
0099	सामान्य				
2140	विद्युत बंधपत्र/ यूडीएवाई				
			91,08.00		



**अनुदान संख्या 8 (जारी)**

12	प्रभारित अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>		
04	केन्द्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य संघ शासित क्षेत्र योजना से ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1871	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु सहायता	11,53.67	
109	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1920	अन्य समेकित ऋण	23,37.11	
112	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं हेतु अन्य ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1871	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु सहायता	1,56.36	
60	अन्य बाध्यताओं पर ऋण		
701	विविध		
0099	सामान्य		
0185	अन्य बाध्यताओं पर ऋण	31.21	
13	मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान के अधीनस्थ उप शीर्ष 0163-अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज के अंतर्गत ₹ 1,27,74.00 लाख (प्रभारित) के एकमुश्त विनियोग के प्रति निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय प्रदर्शित हुआ जो अनुदानों हेतु अनुमोदित मांग में परिकल्पित नहीं था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
115	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापय अग्रिमों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
9899	आरबीआई से सामान्य अर्थापय अग्रिम	11,03.64	
9901	ओवरड्राफ्ट	1,82.87	
123	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर ब्याज	1,68,62.83	
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0186	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एनएबीएआरडी)	26,90.58	
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	6,77.15	
2121	जीवन बीमा योजना (एलआईसी)	53,10.82	
2694	यूडीएवाई बंधपत्रों पर ब्याज	91,07.84	
3002	ओरियंटल इंश्योरेन्स कंपनी पर ब्याज	6.86	
3003	यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी पर ब्याज	2.46	
3005	प्लवनशीलता प्रभार	44.11	
3007	विद्युत वित्त निगम	14,74.52	
305	ऋण प्रबंधन		
0099	सामान्य		
3004	ऋण प्रबंधन पर ब्याज	3,89.37	

**अनुदान संख्या 8 (जारी)**

14	राज्य भविष्य निधि तथा राज्य बीमा निधि के विस्तृत लेखे राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं। राज्य भविष्य निधि और बीमा निधि पर क्रमशः ₹ 7,91,21.22 लाख और ₹ 27,21.50 लाख के ब्याज को बजट प्राक्कलन क्रमशः ₹ 3,67,13.32 लाख और ₹ 27,19.00 लाख के प्रति तदर्थ आधार पर यूटी सरकार द्वारा लेखाओं में समायोजित किया गया है, जिसका परिणाम ₹ 4,24,07.90 लाख और ₹ 2.50 लाख के आधिक्य के रूप में हुआ।					
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
15	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 75,54.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,38,45.33 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 75,54.05 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
16	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2341	एनएफबी वित्त					
	ओ	23,55.33			विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	23,55.33	9,01.57		(-)14,53.76
2358	बैंक टू विलिज					
	ओ	75,00.00				
	एस	..	75,00.00	53,89.71		(-)21,10.29
17	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्षा/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ		
			(₹ लाख में)			
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2354	युवा मिशन					
			10,00.00			
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2218	राज्य वित्तीय निगम					
			10,00.00			
<b>6235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ऋण</b>					
02	समाज कल्याण					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण					
0099	सामान्य					
0668	सचिव वित्त					
			5,00.00			
<b>6885</b>	<b>उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण</b>					
01	उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण					
0099	सामान्य					
1211	सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता					
			14,90.00			
18	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 1,00,53,23.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 30,96,11.17 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से अल्प साबित हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।					

**अनुदान संख्या 8 (समाप्त)**

19	₹ 1,00,53,23.00 लाख (मुख्य शीर्ष 6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 99,94,01.00 लाख और मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 59,22.00 लाख) के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 1,31,49.34 लाख (मुख्य शीर्ष 6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 1,30,90,42.93 लाख और मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 58,91.24 लाख) का व्यय प्रदर्शित किया गया है। व्यय का योजना वार विवरण नीचे दिया गया है।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>		
101	बाजार ऋण		
0099	सामान्य		
0161	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	5,70,08.00	
103	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण		
0099	सामान्य		
0167	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	26,64.69	
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>		
104	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण		
0099	सामान्य		
0300	भारतीय सामान्य बीमा निगम और इसकी अनुषंगियों से ऋण	34.64	
105	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण		
0099	सामान्य		
0186	एनएबीएआरडी से ऋण	1,50,95.97	
109	अन्य संस्थानों से ऋण		
0099	सामान्य		
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण	20,46.03	
0303	यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी से ऋण	16.00	
110	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम		
0099	सामान्य		
2420	अर्थापाय पुनर्भुगतान	91,67,50.00	
9901	आरबीआई से ओवरड्राफ्ट	29,37,61.57	
111	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	2,16,66.02	
<b>6004</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>		
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की आयोजना योजनाओं हेतु ऋण		
101	ब्लॉक ऋण		
0099	सामान्य		
0848	ईएपी ऋण	13,95.19	
0105	12वें वित्त आयोग की समेकित सिफारिशों के संदर्भ में राज्य योजना ऋण		
0099	सामान्य		
1920	अन्य समेकित ऋण	44,51.63	
09	विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों हेतु अन्य ऋण		
101	ब्लॉक ऋण		
0099	सामान्य		
0841	ईएपी ऋण	44.42	

## अनुदान संख्या 9- संसदीय मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 राज्य विधानमण्डल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	17,38,37		
	17,38,37	8,87,81	(-)8,50,56
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
<b>प्रभारित</b>			
मूल	32,90		
	32,90	3,42	(-)29,48
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

7610 सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,50,00		
	1,50,00	..	(-)1,50,00
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			..

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,50.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 17,38.37 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 8,50.56 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>राज्य विधानमण्डल</b>			
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल			
101	विधान सभा			
0099	सामान्य			
0890	विधान सभा			
	ओ	1,80.90		विस्तृत शीर्ष 002-टीई के अतिरिक्त एसएच 0890-एलए के संबंध में अप्रयुक्त बीई।
	एस	..	1,80.90	
			(-)0.25	(-)1,80.65
103	विधायी सचिवालय			
0099	सामान्य			
0891	जेएण्डके विधान सभा सचिवालय			
	ओ	15,51.47		वेतन और विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	15,51.47	
			8,87.56	(-)6,63.91

**अनुदान संख्या 9 (समाप्त)**

3	31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>राज्य विधानमण्डल</b>				
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल				
103	विधायी सचिवालय				
0099	सामान्य				
0892	विधान परिषद		6.00		
4	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 29.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 32.90 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 29.48 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>राज्य विधानमण्डल</b>				
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल				
101	विधान सभा				
0099	सामान्य			विस्तृत शीर्ष 002-टीई के अतिरिक्त एसएच 0890-एलए के संबंध में अप्रयुक्त बीई।	
0890	विधान सभा				
	ओ	32.90			
	एस	..	32.90	3.42	(-)29.48
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
6	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)				
<b>7610</b>	<b>सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण</b>				
201	गृह निर्माण अग्रिम				
0099	सामान्य				
2335	एमएलए/ एमएलसी को गृह निर्माण अग्रिम		1,50.00		

**अनुदान संख्या 10- विधि विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2015 चुनाव

2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2230 श्रम एवं रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		5,95,90,60		
		5,95,90,60	3,35,12,28	(-)2,60,78,32
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
<b>प्रभारित</b>				
मूल		36,08,70		
		36,08,70	17,88,53	(-)18,20,17
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		41,36,92		
		41,36,92	18,97,84	(-)22,39,08
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,60,78.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 5,95,90.60 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 2,60,78.32 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
(₹ लाख में)				
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>			
102	उच्च न्यायालय			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 002-टीई, 007-ओई के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय और 046-वाहन का क्रय हेतु अप्रयुक्त बीई।
0099	सामान्य			
0495	उच्च न्यायालय			
	ओ	12,83.75		
	एस	..	12,83.75	4,26.05
				(-)8,57.70
103	विशेष न्यायालय			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष सहायता अनुदान के प्रति बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0889	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	ओ	15,77.22		
	एस	..	15,77.22	8,00.00
				(-)7,77.22

## अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>			
103	विशेष न्यायालय			
0099	सामान्य			
2351	सीबीआई हेतु विशेष न्यायालय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	77.73		
	एस	..	77.73	36.80 (-)40.93
105	सिविल और सत्र न्यायालय			वेतन, ओई और विस्तृत शीर्ष
0099	सामान्य			054- फर्नीचर के संबंध में बीई
0488	जिला और सत्र न्यायाधीश			के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,51,04.61		
	एस	..	1,51,04.61	69,83.76 (-)81,20.85
1243	टीएडीए न्यायालय अस्थायी न्यायालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में
	ओ	57.64		बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	57.64	26.39 (-)31.25
114	विधिक सलाहकार और परामर्श			मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष
0099	सामान्य			071-चिकित्सा के संबंध में बीई
0499	महा अधिवक्ता			के प्रति कम व्यय।
	ओ	6,02.74		
	एस	..	6,02.74	4,07.31 (-)1,95.43
1248	लोक अभियोजक			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,79.20		
	एस	..	3,79.20	1,13.00 (-)2,66.20
2427	राज्य एवं जिला अभियोग नीति			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में
	ओ	6,34.46		बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6,34.46	2,85.45 (-)3,49.01
2483	विधि आयोग			मुख्यतः वेतन और विस्तृत
	ओ	2,89.92		शीर्ष048- मुद्रण के संबंध में बीई
	एस	..	2,89.92	88.48 (-)2,01.44
116	राज्य प्रशासनिक अधिकरण			वेतन घटक के अंतर्गत मुख्यतः
0099	सामान्य			बीई के प्रति कम व्यय।
1251	एम ए सी टी जम्मू			
	ओ	55.05		
	एस	..	55.05	33.89 (-)21.16
<b>2015</b>	<b>चुनाव</b>			
102	निर्वाचन अधिकारी			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष संसदीय
0099	सामान्य			चुनाव, पंचायत चुनाव, निर्वाचन
0493	मुख्य निर्वाचन अधिकारी			पत्रकों और चुनाव सामग्री संबंधी
	ओ	3,82,19.21		ईपीआईसी के मुद्रण के संबंध में
	एस	..	3,82,19.21	2,42,57.58 (-)1,39,61.63
<b>2030</b>	<b>स्टाम्प एवं पंजीकरण</b>			
03	पंजीकरण			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में
0099	सामान्य			बीई के प्रति कम व्यय।
0244	निदेशन और प्रशासन			
	ओ	65.75		
	एस	..	65.75	52.19 (-)13.56
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>			
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में
0099	सामान्य			बीई के प्रति कम व्यय।
0506	राज्य परिवहन अपीलीय न्यायालय/ एमएसीटी श्रीनगर			
	ओ	57.42		
	एस	..	57.42	33.71 (-)23.71

## अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
105	विशेष जाँच आयोग			मुख्यतः वेतन घटक के विरुद्ध बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	ओ	56.54			
	एस	..	56.54	23.97	(-)32.57
<b>2230</b>	<b>श्रम एवं रोजगार</b>				
01	<b>श्रम</b>				
101	औद्योगिक संबंध			मुख्यतः वेतन और 046-वाहन का क्रय के अंतर्गत अप्रयुक्त बीई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0888	औद्योगिक अधिकरण न्यायालय/ श्रम न्यायालय				
	ओ	71.86			
	एस	..	71.86	35.85	(-)36.01
3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		
			(₹ लाख में)		
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>				
105	सिविल और सत्र न्यायालय				
0099	सामान्य				
2459	देही अदालत		2,03.75		
116	राज्य प्रशासनिक अधिकरण				
0099	सामान्य				
0511	मानव अधिकार आयोग		5,21.54		
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2108	सचिव जवाबदेही आयोग		3,32.21		
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधानके किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>				
105	सिविल और सत्र न्यायालय				
0099	सामान्य				
0489	मुंसिफ न्यायालय		13.16		
0500	उप-न्यायाधीश न्यायालय		8.96		
5	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 18,20.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 36,08.70 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 18,20.17 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				



**अनुदान संख्या 10 (समाप्त)**

6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत प्रभारित विनियोग में बचत हुयी थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2014</b>					
102	उच्च न्यायालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	ओ	36,08.70			
	एस	..	36,08.70	17,88.53	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
7	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 22,39.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 41,36.92 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 22,39.08 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य इमारतें</i>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0495	जेएण्डके उच्च न्यायालय				
	ओ	26,66.42			
	एस	..	26,66.42	18,97.84	
9	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य इमारतें</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0495	जेएण्डके उच्च न्यायालय			14,70.50	

## अनुदान संख्या 11- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2851 ग्राम और लघु उद्योग

2853 अलौह खनन और धात्विक उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,71,15,81		
		1,71,15,81	1,24,50,37
पूरक	..		(-)46,65,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4852 लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4853 अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

6885 उद्योग एवं खनिजों को अन्य ऋण

<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,87,97,18		
		4,87,97,18	1,52,49,73
पूरक	..		(-)3,35,47,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 46,65.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,71,15.81 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 46,65.44 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था। 7					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2851</b>	<b>ग्राम और लघु उद्योग</b>					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0812	निदेशन कार्यालय उद्योग					
	ओ	2,06.99			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	2,06.99	1,57.66		
2202	निदेशक उद्योग जम्मू					
	ओ	2,14.85				
	एस	..	2,14.85	1,75.80		
				(-)49.33		
				(-)39.05		

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2851</b>	<b>ग्राम व लघु उद्योग</b>					
003	प्रशिक्षण			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।		
0099	सामान्य					
2196	ई. डी. आई					
	ओ	10,68.96				
	एस	..	10,68.96	3,00.00	(-)7,68.96	
101	औद्योगिक संपदा			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0808	औद्योगिक संपदा गाँधीनगर					
	ओ	31.38				
	एस	..	31.38		24.73	(-)6.65
0811	औद्योगिक संपदा बारजुला श्रीनगर					
	ओ	22.38				
	एस	..	22.38		16.69	(-)5.69
1590	औद्योगिक संपदा ग्रामीण और शहरी कश्मीर					
	ओ	21.80				
	एस	..	21.80	11.44	(-)10.36	
102	लघु पैमाना उद्योग			वेतन और विस्तृत शीर्ष 008-विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0407	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सी.एस.टी./ जी.एस.टी.					
	ओ	1,20.58				
	एस	..	1,20.58	78.36	(-)42.22	
0408	डी आई सी योजनाएं कश्मीर			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	10,49.61				
	एस	..	10,49.61		8,49.04	(-)2,00.57
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र					
	ओ	97.53				
	एस	..	97.53		72.77	(-)24.76
0798	फुटवियर और लैदर वस्तुएं प्रदर्शन कश्मीर					
	ओ	42.13				
	एस	..	42.13		30.26	(-)11.87
0807	निर्माण-सह-उत्पादन केन्द्र कठुआ					
	ओ	24.28				
	एस	..	24.28		12.05	(-)12.23
0809	ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम					
	ओ	80.15				
	एस	..	80.15		71.39	(-)8.76
1907	सूचीग्रथन प्रशिक्षण केन्द्र					
	ओ	61.58				
	एस	..	61.58	37.58	(-)24.00	

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>			
102	लघु पैमाना उद्योग			मुख्यतः वेतन घटक और उप शीर्ष 2271- डी आई सी योजनाएं जम्मू के अंशिन विस्तृत शीर्ष 054-फर्नीचर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
2270	सूचीग्रथन प्रशिक्षण केन्द्र जम्मू			
	ओ	83.07		
	एस	..	83.07	
			50.98	
			(-)32.09	
2271	डी आई सी योजनाएं जम्मू			
	ओ	8,39.10		
	एस	..	8,39.10	
			6,63.90	
			(-)1,75.20	
103	हथकरघा उद्योग			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0244	निदेशन और प्रशासन			
	ओ	11,43.67		
	एस	..	11,43.67	
			9,66.40	
			(-)1,77.27	
0814	यूएनडीपी परियोजना नौशेरा श्रीनगर			
	ओ	1,05.19		
	एस	..	1,05.19	
			85.49	
			(-)19.70	
104	हस्तशिल्प उद्योग			वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 079-विज्ञापन और प्रचार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0805	निदेशन और प्रशासन हस्तशिल्प और अधीनस्थ कार्यालय			
	ओ	69,95.58		
	एस	..	69,95.58	
			51,12.49	
			(-)18,83.09	
105	खादी एवं ग्रामोद्योग			सहायता अनुदान घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0802	सहायता अनुदान, अंशदान और सहायिकी			
	ओ	16,61.90		
	एस	..	16,61.90	
			13,40.00	
			(-)3,21.90	
<b>2853</b>	<b>अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग</b>			
02	खानों का विनियमन और विकास			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और 046- वाहन का क्रय से संबंधित अप्रयुक्त बीई।
0099	सामान्य			
0244	निदेशन और प्रशासन			
	ओ	27,21.68		
	एस	..	27,21.68	
			23,63.02	
			(-)3,58.66	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)	
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>			
117	आंतरिक सुरक्षा			
0099	सामान्य			
0957	आंतरिक सुरक्षा		4,74.34	

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

पूँजीगत अनुभाग					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,35,47.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,87,97.18 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 3,35,47.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
102	लघु पैमाना उद्योग				
0011	सामान्य				
0407	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
	ओ	2,50,00.00			
	एस	..	2,50,00.00	39,58.52	(-)2,10,41.48
1880	अवसंरचना विकास				
	ओ	50,66.31			
	एस	..	50,66.31	10,00.00	(-)40,66.31
103	हथकरघा उद्योग				
0011	सामान्य				
0367	हथकरघा उद्योग				
	ओ	6,10.32			
	एस	..	6,10.32	5,25.08	(-)85.24
0399	हथकरघा विकास निगम				
	ओ	4,84.00			
	एस	..	4,84.00	2,38.50	(-)2,45.50
104	हस्तशिल्प उद्योग				
0011	सामान्य				
0363	हस्तशिल्प उद्योग				
	ओ	60,85.70			
	एस	..	60,85.70	48,35.47	(-)12,50.23
0383	हस्तशिल्प निगम उद्योग				
	ओ	6,21.25			
	एस	..	6,21.25	3,10.62	(-)3,10.63

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
105	खादी एवं ग्रामोद्योग			
0011	सामान्य			
0365	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता			
	ओ	17,73.38		
	एस	..	17,73.38	8,86.19
				(-)8,87.19
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
2196	ई. डी. आई.			
	ओ	6,06.25		
	एस	..	6,06.25	3,03.12
				(-)3,03.13
2346	जम्मू कश्मीर उद्योग			
	ओ	24,18.75		
	एस	..	24,18.75	12,09.37
				(-)12,09.38
<b>4852</b>	<b>लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	<i>विनिर्माण</i>			
190	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
0011	सामान्य			
0711	एसआईडीसीओ में निवेश			
	ओ	3,45.00		
	एस	..	3,45.00	1,72.50
				(-)1,72.50
<b>4853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	<i>खनिज समन्वेषण और विकास</i>			
190	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
0011	सामान्य			
0377	जेएण्डके खनिज लिमिटेड			
	ओ	4,00.00		
	एस	..	4,00.00	2,00.00
				(-)2,00.00
<b>6885</b>	<b>उद्योगों एवं खनिजों को अन्य ऋण</b>			
01	<i>औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण</i>			
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण			
0099	सामान्य			
1211	सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता			
	ओ	42,51.72		
	एस	..	42,51.72	15,14.37
				(-)27,37.35
6	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
102	लघु पैमाना उद्योग			
0011	सामान्य			
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र			
			1,00.00	

## अनुदान संख्या 11 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
102	लघु पैमाना उद्योग	
0011	सामान्य	
0798	फुटवियर एवं लैदर केन्द्र	1,00.00
2469	एम आई आई यू	7,94.00
<b>4853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
01	<i>खनिज समन्वेषण और विकास</i>	
190	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	
0011	सामान्य	
0977	भू-विज्ञान एवं खनन	44.50

## अनुदान संख्या 12- कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2029	भू-राजस्व
2250	अन्य समाज सेवाएं
2401	फसल पैदावार
2402	मृदा और जल संरक्षण
2403	पशुपालन
2406	वानिकी और वन्य जीवन
2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा
2435	अन्य कृषिगत कार्यक्रम
2705	कमान क्षेत्र विकास
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
मूल	7,10,06,76		
	7,10,06,76	5,77,19,56	(-)1,32,87,20
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4401	फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय
4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय
4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय
4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	3,18,97,24		
	3,18,97,24	1,75,95,52	(-)1,43,01,72
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,32,87.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,10,06.76 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,32,87.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2029</b>	<b>भू- राजस्व</b>				
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और 023-एमएण्डआर के प्रति अप्रयुक्त बीई।	
0099	सामान्य				
0067	रकख और फार्म कश्मीर				
	ओ	3,69.23			
	एस	..	3,69.23	2,62.51	(-)1,06.72



## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
<b>2250</b>	<b>अन्य समाज सेवाएं</b>					
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0061	निदेशक कृषि (कश्मीर)					
	ओ	1,66.68				
	एस	..	1,66.68	83.13	(-)83.55	
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>					
001	निदेशन और प्रशासन			विस्तृत शीर्ष 006- दूरभाष और 364- बाह्य स्रोतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0039	निदेशक कृषि (जम्मू)					
	ओ	59,14.30				
	एस	..	59,14.30	58,76.16	(-)38.14	
0043	निदेशक कृषि कश्मीर			बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः वेतन घटक और 071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में है।		
	ओ	90,57.55				
	एस	..	90,57.55		50,60.16	(-)39,97.39
103	बीज			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0019	बीज बहुगुणक फार्म (कश्मीर)					
	ओ	3,20.45				
	एस	..	3,20.45		2,08.71	(-)1,11.74
2180	विद्यमान फार्मों का सुधार					
	ओ	2,29.10				
	एस	..	2,29.10		1,28.51	(-)1,00.59
104	कृषि फार्म					
0099	सामान्य					
0083	कृषि फार्म (जम्मू)					
	ओ	8,63.44				
	एस	..	8,63.44	6,41.78	(-)2,21.66	
0102	कृषि फार्म (कश्मीर)					
	ओ	3,07.20				
	एस	..	3,07.20	1,87.77	(-)1,19.43	
105	खाद और उर्वरक					
0099	सामान्य					
0045	स्थानीय जागीर संबंधी संसाधनों का विकास (कश्मीर)					
	ओ	1,06.64				
	एस	..	1,06.64	43.51	(-)63.13	
0232	जिला कृषि (जम्मू)			010-एमएण्डएस के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	54.51				
	एस	..	54.51		34.17	(-)20.34
1430	स्थानीय जागीर संबंधी संसाधनों का विकास (जम्मू)			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,42.47				
	एस	..	1,42.47		98.21	(-)44.26
107	पौध सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0458	पौध सुरक्षा सेवा (कश्मीर)					
	ओ	18,96.00				
	एस	..	18,96.00	16,10.95	(-)2,85.05	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>			
107	पौध सुरक्षा			
0099	सामान्य			
0995	पौध सुरक्षा सेवा (जम्मू)			
	ओ	3,00.65		
	एस	..	3,00.65	2,07.47
				(-)93.18
108	वाणिज्यिक फसलें			
0099	सामान्य			
0080	आलू विकास योजनाएं (जम्मू)			
	ओ	1,43.44		
	एस	..	1,43.44	1,17.31
				(-)26.13
0082	आलू विकास योजनाएं (कश्मीर)			
	ओ	4,38.00		
	एस	..	4,38.00	2,62.59
				(-)1,75.41
109	विस्तार और कृषक प्रशिक्षण			
0099	सामान्य			
1435	प्रशिक्षण और दौरे			
	ओ	31,30.09		
	एस	..	31,30.09	18,26.88
				(-)13,03.21
2191	कृषि विस्तार और प्रशिक्षण			
	ओ	3,75.00		
	एस	..	3,75.00	1,27.21
				(-)2,47.79
111	दालों का कृषिगत आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास			
0099	सामान्य			
0058	कृषि निदेशन कार्यालय में योजना प्रकोष्ठ (कश्मीर)			
	ओ	68.70		
	एस	..	68.70	7.13
				(-)61.57
113	कृषिगत अभियांत्रिकी			
0099	सामान्य			
0054	उन्नत कृषि सुधार			
	ओ	3,37.20		
	एस	..	3,37.20	2,03.19
				(-)1,34.01
0356	उन्नत कृषि सुधार (जम्मू)			
	ओ	1,16.05		
	एस	..	1,16.05	66.26
				(-)49.79
119	उद्यान कृषि और सब्जी फसलें			
0099	सामान्य			
0048	सब्जी विकास (कश्मीर प्रभाग)			
	ओ	52,56.00		
	एस	..	52,56.00	23,53.11
				(-)29,02.89
0050	सब्जी विकास (जम्मू प्रभाग)			
	ओ	15,56.96		
	एस	..	15,56.96	11,80.81
				(-)3,76.15
2325	किसानों के विकास हेतु जेएण्डके राज्य सलाहकार बोर्ड			
	ओ	89.63		
	एस	..	89.63	43.67
				(-)45.96
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0013	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला			
	ओ	87.02		
	एस	..	87.02	60.79
				(-)26.23

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

वेतन के संबंध में बीई प्रति कम व्यय और 022- कैम्प/ संगोष्ठियों के प्रति अप्रयुक्त बीई।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>					
101	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर					
	ओ	8,93.80				
	एस	..	8,93.80	5,25.08	(-)3,68.72	
102	मृदा संरक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0010	मृदा संरक्षण योजनाएं (जम्मू प्रभाग)					
	ओ	6,03.70				
	एस	..	6,03.70	4,85.71		(-)1,17.99
103	भूमि उद्धार और विकास					
0099	सामान्य					
0008	सूखी भूमि विकास कार्यक्रम					
	ओ	26.14				
	एस	..	26.14	13.32	(-)12.82	
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>					
107	चारा और खाद्य विकास				बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 008-विद्युर प्रभारों एवं 364-बाह्य स्रोतन के संबंध में है।	
0099	सामान्य					
0124	चारा और खाद्य विकास (कृषि) निदेशक कृषि कश्मीर					
	0	3,26.10				
	एस	..	3,26.10	2,92.62	(-)33.48	
<b>2406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन</b>					
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन</i>					
001	निदेशन और प्रशासन				बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 364-बाह्य स्रोतन घटक के संबंध में है।	
0099	सामान्य					
1136	पुष्प कृषि निदेशालय कश्मीर				एचएच 2203- प्रांतीय और जिला कार्यालय से संबंधित विस्तृत शीर्ष 008 के संबंध में कम व्यय।	
	ओ	21,55.03				
	एस	..	21,55.03	20,87.17		(-)67.86
2203	प्रांतीय और जिला कार्यालय जम्मू					
	ओ	13,92.24				
	एस	..	13,92.24	12,90.05	(-)1,02.19	
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा</b>					
01	<i>फसल पैदावार</i>					
004	अनुसंधान				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0033	कृषि अनुसंधान इकाई (कश्मीर)					
	ओ	2,01.73				
	एस	..	2,01.73	1,15.63		(-)86.10
0123	कृषि अनुसंधान इकाई (जम्मू)					
	ओ	87.90				
	एस	..	87.90	67.66	(-)20.24	
80	<i>सामान्य</i>					
120	अन्य संस्थानों को सहायता				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।	
0099	सामान्य					
0060	एसकेयूएसटी जम्मू					
	ओ	79,94.00				
	एस	..	79,94.00	62,81.00	(-)17,13.00	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
<b>2435</b>	<b>अन्य कृषिगत कार्यक्रम</b>			
01	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण			
102	ग्रेडिंग और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं			
0099	सामान्य			
0623	विधि प्रवर्तन सहित बीज प्रमाण पत्र योजना कश्मीर			
	ओ	4,23.14		
	एस	..	4,23.14	3,23.47 (-)99.67
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0345	विधि प्रवर्तन सहित बीज प्रमाण पत्र योजना जम्मू			
	ओ	2,40.36		
	एस	..	2,40.36	1,97.89 (-)42.47
<b>2705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास</b>			
602	कमान क्षेत्र कश्मीर			
0099	सामान्य			
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)			
	ओ	4,23.31		
	एस	..	4,23.31	3,27.53 (-)95.78
603	कमान क्षेत्र जम्मू			
0099	सामान्य			
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मू)			
	ओ	10,55.65		
	एस	..	10,55.65	10,00.81 (-)54.84
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0050	सब्जियों का विकास (जम्मू प्रभाग)			
	ओ	1,55.22		
	एस	..	1,55.22	1,24.18 (-)31.04
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>			
004	अनुसंधान और विकास			
0099	सामान्य			
0104	मशरूम (कश्मीर)			
	ओ	4,62.20		
	एस	..	4,62.20	2,97.44 (-)1,64.76
102	लघु पैमाना उद्योग			
0099	सामान्य			
0053	मधुमक्खी पालन का विकास ( जम्मू प्रभाग)			
	ओ	3,15.29		
	एस	..	3,15.29	2,57.64 (-)57.65
0091	मधुमक्खी पालन का विकास (कश्मीर प्रभाग)			
	ओ	3,91.67		
	एस	..	3,91.67	2,81.06 (-)1,10.61
107	रेशम उत्पादन उद्योग			
0099	सामान्य			
0336	अपर निदेशक रेशम उत्पादन (जम्मू)			
	ओ	18,28.59		
	एस	..	18,28.59	15,09.36 (-)3,19.23
0416	निदेशक रेशम उत्पादन जेएण्डके			
	ओ	33,73.63		
	एस	..	33,73.63	24,79.79 (-)8,93.84

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष 037-व्यावसायिक और विशेष सेवा प्रभार।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

**अनुदान संख्या 12 (जारी)**

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>				
101	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य				
1489	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण प्रयोगशाला जम्मू				
	ओ	1,13.05			
	एस	..	1,13.05	1,18.75	(+)5.70
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा</b>				
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
120	अन्य संस्थानों को सहायता			अनुदान सहायता के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य				
0040	एसकेयूएसटी कश्मीर				
	ओ	1,55,00.00			
	एस	..	1,55,00.00	1,72,13.00	(+)17,13.00
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>				
004	अनुसंधान और विकास			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य				
0093	मशरूम पर अनुसंधान (जम्मू)				
	ओ	51.66			
	एस	..	51.66	1,05.77	(+)54.11
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,43,01.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,18,97.24 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,43,01.72 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
103	बीज			विस्तृत शीर्ष 260-बीजों का क्रय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0081	बीजों का क्रय (जम्मू)					
	ओ	21,43.15				
	एस	..	21,43.15	5,30.15	(-)16,13.00	
2221	तिलहन का विकास			निर्माण घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	26.02				
	एस	..	26.02		13.54	(-)12.48
0099	सामान्य			विस्तृत शीर्ष 260-बीजों का क्रय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0081	बीजों का क्रय (जम्मू)					
	ओ	38,61.52				
	एस	..	38,61.52		15,60.27	(-)23,01.25
0327	बीजों का क्रय (कश्मीर)					
	ओ	13,48.10				
	एस	..	13,48.10	6,59.06	(-)689.04	
113	कृषि अभियांत्रिकी			विस्तृत शीर्ष 020- एमएण्डई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0054	उन्नत कृषि सुधार					
	ओ	21,96.77				
	एस	..	21,96.77	5,55.55	(-)16,41.22	
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0039	निदेशक कृषि (जम्मू)					
	ओ	49,67.94				
	एस	..	49,67.94		31,32.63	(-)18,35.31
0061	निदेशक कृषि (कश्मीर)					
	ओ	44,12.64				
	एस	..	44,12.64		37,22.22	(-)6,90.42
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					
	ओ	2,26.43				
	एस	..	2,26.43		41.11	(-)1,85.32
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन					
	ओ	2,30.58				
	एस	..	2,30.58		17.58	(-)2,13.00
2417	कृषि, विस्तारण और प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय मिशन					
	ओ	10,09.61				
	एस	..	10,09.61	5.49	(-)10,04.12	
2440	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम					
	ओ	25,00.00				
	एस	..	25,00.00	17,64.18	(-)7,35.82	
8054	जेएण्डके एगो इण्डस्ट्रीज निगम					
	ओ	2,52.50				
	एस	..	2,52.50	2,12.50	(-)40.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन					
	ओ	10,07.61				
	एस	..	10,07.61	6,53.86	(-)3,53.75	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0014	मृदा सर्वेक्षण जम्मु					
	ओ	6,03.62				
	एस	..	6,03.62	2,16.95	(-)3,86.67	
<b>4406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
112	सार्वजनिक उद्यान			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1136	पुष्प कृषि निदेशालय					
	ओ	9,61.96				
	एस	..	9,61.96		8,66.28	(-)95.68
2203	निदेशक पुष्प कृषि जम्मु					
	ओ	9,24.03				
	एस	..	9,24.03	2,66.06	(-)6,57.97	
<b>4415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
80	सामान्य					
277	शिक्षा			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0056	कृषि विश्वविद्यालय (कश्मीर)					
	ओ	8,93.23				
	एस	..	8,93.23	6,64.83	(-)2,28.40	
<b>4705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
602	कमान क्षेत्र कश्मीर			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)					
	ओ	2,32.58				
	एस	..	2,32.58		1,92.98	(-)39.60
603	कमान क्षेत्र जम्मु					
0011	सामान्य					
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मु)					
	ओ	1,91.00				
	एस	..	1,91.00	1,85.85	(-)5.15	
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
107	रेशम उत्पादन उद्योग			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1202	रेशम उत्पादन					
	ओ	8,19.04				
	एस	..	8,19.04	3,23.92	(-)4,95.12	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना					
	ओ	83.39				
	एस	..	83.39	6,24.82	(+)5,41.43	

**अनुदान संख्या 12 (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	सामान्य				
277	शिक्षा			विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0011	सामान्य				
0032	कृषि विश्वविद्यालय (जम्मू)				
	ओ	10,09.49			
	एस	..	10,09.49	11,04.62	(+)95.13
7	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		
			(₹ लाख में)		
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
105	खाद और उर्वरक				
0099	सामान्य				
0232	जिला कृषि (जम्मू)		6.00		
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2416	संधारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन		3,33.23		
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		16,38.00		
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय ओन</b>				
107	रेशम उत्पादन उद्योग				
0011	सामान्य				
2114	रेशम उत्पादन उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय योजना		18.80		
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
103	बीज				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0082	आलू विकास योजनाएं (कश्मीर)		34.32		
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2088	निदेशक उद्यान कृषि जम्मू		4.37		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		1,63.32		
<b>4402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर		78.37		



## अनुदान संख्या 13- पशु/ भेड़ पालन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2403 पशुपालन

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		2,94,86,30		
		2,94,86,30	2,70,80,60	(-)24,05,70
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4403 पूँजीगत परिव्यय ओं पशुपालन

4404 डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,31,84,08		
		1,31,84,08	40,49,88	(-)91,34,20
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,05.70लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,94,86.30 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 24,05.70लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0138	भेड़ पालन कश्मीर			
	ओ	71,79.64		
	एस	..	71,79.64	54,50.63
				(-)17,29.01
0195	भेड़ पालन जम्मू			
	ओ	43,84.42		
	एस	..	43,84.42	38,18.05
				(-)5,66.37
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर			
	ओ	1,18,86.23		
	एस	..	1,18,86.23	1,14,27.69
				(-)4,58.54

बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः वेतन घटक और उप शीर्ष 0844-निदेशक पशुपालन कश्मीर के अधीन विस्तृत शीर्ष 364- बाह्य स्रोतन के प्रति है।

**अनुदान संख्या 13 (जारी)**

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>					
001	निर्देशन और प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य					
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू					
	ओ	60,36.01				
	एस	..	60,36.01	63,84.23	(+)3,48.22	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 91,34.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,31,84.08 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 91,34.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
0195	भेड़ पालन जम्मू					
	ओ	2,86.19				
	एस	..	2,86.19	1,90.48		(-)95.71
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर					
	ओ	8,19.03				
	एस	..	8,19.03	4,47.60		(-)3,71.43
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू					
	ओ	19,30.11				
	एस	..	19,30.11	5,29.82		(-)14,00.29
2402	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम					
	ओ	1,69.56				
	एस	..	1,69.56	1,56.06		(-)13.50
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1925	पशु रोग नियंत्रण					
	ओ	9,25.00				
	एस	..	9,25.00	3,48.09	(-)5,76.91	
2062	पशुपालन निदेशालय जम्मू					
	ओ	3,13.91				
	एस	..	3,13.91	0.35	(-)3,13.56	

## अनुदान संख्या 13 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2402	राष्ट्रीय आजीविका प्रबंधन कार्यक्रम					
	ओ	20,29.90		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बोई के प्रति कम व्यय।		
	एस	..	20,29.90		1,30.41	(-)18,99.49
2499	राष्ट्रीय पशुधन मिशन					
	ओ	28,27.34				
	एस	..	28,27.34		9.16	(-)28,18.18
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य					
0011	सामान्य					
0138	भेड़ पालन कश्मीर (निदेशक भेड़ पालन कश्मीर)					
	ओ	8,49.75		विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बोई पर अधिक व्यय।		
	एस	..	8,49.75		17,76.11	(+)9,26.36
1925	पशु रोग नियंत्रण					
	ओ	81.45				
	एस	..	81.45	3,22.75	(+)2,41.30	
7	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ				
(₹ लाख में)						
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0138	निदेशक भेड़पालन कश्मीर					
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर					
1469	एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण					
104	भेड़ और ऊन विकास					
0011	सामान्य					
1499	भेड़ विकास बोर्ड					
<b>4404</b>	<b>डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
102	डेयरी विकास परियोजना					
0011	सामान्य					
2497	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना					
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ				
(₹ लाख में)						
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
107	चारा और खाद्य विकास					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएस					
2078	राष्ट्रीय कीट उन्मूलन परियोजना					

## अनुदान संख्या 14- राजस्व विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2250 अन्य समाज सेवाएं

2401 फसल पैदावार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		2,09,86,35		
			1,76,44,87	(-)33,41,48
		2,09,86,35		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		13,49,00		
			2,14,36	(-)11,34,64
		13,49,00		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 33,41.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,09,86.35 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 33,41.48 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				

**2053 जिला प्रशासन**

093	जिला स्थापनाएं			वेतन और विस्तृत शीर्ष 092-समारोह के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1049	उपायुक्त				
	ओ	20,27.46			
	एस	..	20,27.46	(-)55.15	
094	अन्य स्थापनाएं			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0569	कृषि संबंधी सुधार				
	ओ	5,90.62			
	एस	..	5,90.62		(-)1,52.73
0700	उप- प्रभागीय मजिस्ट्रेट				
	ओ	6,97.33			
	एस	..	6,97.33	(-)1,02.69	

## अनुदान संख्या 14 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2053</b>	<b>जिला प्रशासन</b>					
094	अन्य स्थापनाएं				वेतन और विस्तृत शीर्ष 008-विद्युत प्रभागों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1046	तहसीलें					
	ओ	53,98.64				
	एस	..	53,98.64	47,59.40	(-)6,39.24	
1050	निदेशक भू-अभिलेख				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,27.66				
	एस	..	1,27.66	88.24		(-)39.42
1052	राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय					
	ओ	1,36.14				
	एस	..	1,36.14	88.58		(-)47.56
1058	संग्रहण प्रभार					
	ओ	1,00,57.82				
	एस	..	1,00,57.82	82,08.30		(-)18,49.52
1059	धारण का समेकन					
	ओ	2,26.98				
	एस	..	2,26.98	2,03.49	(-)23.49	
1209	सरकारी संपदाओं का प्रबंधन					
	ओ	1,39.17				
	एस	..	1,39.17	1,33.59	(-)5.58	
2205	बंदोबस्त आयुक्त					
	ओ	2,89.50				
	एस	..	2,89.50	2,31.56	(-)57.94	
2310	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास अधिकारी					
	ओ	75.12				
	एस	..	75.12	63.95	(-)11.17	
101	आयुक्त				विस्तृत शीर्ष 011-पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएं और 054-फर्नीचर के संबंध में अप्रयुक्त बीई।	
0099	सामान्य					
1048	प्रभागीय आयुक्त					
	ओ	4,62.49				
	एस	..	4,62.49	4,50.51	(-)11.98	
1051	वित्तीय आयुक्त				वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष 054-फर्नीचर के प्रति अप्रयुक्त बीई।	
	ओ	1,46.03				
	एस	..	1,46.03	1,33.04	(-)12.99	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 006-दूरभाष के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1078	महा अभिरक्षक					
	ओ	44.21				
	एस	..	44.21	38.48	(-)5.73	
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>					
800	अन्य व्यय				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0216	कृषि गणना					
	ओ	1,31.56				
	एस	..	1,31.56	17.31	(-)1,14.25	

## अनुदान संख्या 14 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>				
800	अन्य व्यय			सहायता अनुदान के संबंध में अप्रयुक्त बीई।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0748	यथासमय रिपोर्टिंग योजना				
	ओ	1,68.35			
	एस	..	1,68.35	35.45	(-)1,32.90
1516	फसल सांख्यिकी का सुधार			मुख्यतः जीआईए घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	93.40			
	एस	..	93.40		24.59
3	मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन के अधीनस्थ लघु शीर्ष 101-आयुक्त के अंतर्गत उचित क्रेडिट हेतु ₹ 21,57.00 लाख के बजट प्राक्कलन के प्रति शून्य संव्यवहार प्रकट हुए। मामला सरकार के साथ उठाया गया अवलोकन करें डीओ एनओबीटी/अकाउंट्स/2020-21/167-68 दिनांक 10.08.2020				
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,34.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 13,49.00 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 11,34.64 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	सामान्य				
201	भूमि अधिग्रहण			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
1285	भूमि अधिग्रहण				
	ओ	4,72.00			
	एस	..	4,72.00	2,14.36	(-)2,57.64
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1050	निदेशक भू-अभिलेख			8,77.00	

**अनुदान संख्या 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, संग्रहण और भण्डारण

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,92,67,35		
			80,45,14	(-)1,12,22,21
		1,92,67,35		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4408 खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		2,59,94,08		
			1,66,66,29	(-)93,27,79
		2,59,94,08		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,12,22.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,92,67.35 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,12,22.21 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2408</b>	<b>खाद्य, संग्रहण और भण्डारण</b>			
01	<i>खाद्य</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0383	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण कश्मीर			
	ओ	69,34.42		विस्तृत शीर्ष वेतन के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष 046- वाहन का क्रय के संबंध में अप्रयुक्त बीई।
	एस	..	69,34.42	
			52,49.90	(-)16,84.52
0397	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण जम्मू			
	ओ	20,97.56		विस्तृत शीर्ष 110- संभलाई प्रभार के संबंध में कम व्यय।
	एस	..	20,97.56	
			16,06.08	(-)4,91.48
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0942	पी.डी.एस. का सशक्तिकरण			
	ओ	92,35.92		
	एस	..	92,35.92	
			5,01.06	(-)87,34.86

## अनुदान संख्या 15 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2408</b>	<b>खाद्य, संग्रहण और भण्डारण</b>				
02	संग्रहण और भण्डारण				
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति			लेखा के किसी विस्तृत शीर्ष का वर्णन नहीं किया गया।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0942	पी.डी.एस. का सशक्तिकरण				
	ओ	3,12.38			
	एस	..	3,12.38	1,90.70	(-)1,21.68
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0942	पी.डी.एस. का सशक्तिकरण (जेएण्डके राज्य उपभोक्ता सुरक्षा आयोग)			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,55.84			
	एस	..	1,55.84	40.05	(-)1,15.79
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>				
106	भार एवं माप का विनियमन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1063	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान				
	ओ	5,16.93			
	एस	..	5,16.93	4,57.34	(-)59.59
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>				
106	भार एवं माप का विनियमन			जीआईए के संबंध में बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1063	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान				
			13.82		
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 93,27.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,59,94.08 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 93,27.79 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1256	महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति, (शक्कर) सीएएण्डपीडी कश्मीर			विस्तृत शीर्ष 311-लागत मूल्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	17,00.00			
	एस	..	17,00.00		6,88.93
<b>4408</b>	<b>खाद्य, संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	खाद्य				
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति			विस्तृत शीर्ष 311-लागत मूल्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2160	चावल (कश्मीर)				
	ओ	62,14.83			
	एस	..	62,14.83	67.44	(-)61,47.39



## अनुदान संख्या 15 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>4408</b>	<b>खाद्य, संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
01	खाद्य					
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति				विस्तृत शीर्ष 311-लागत मूल्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2161	गेहूँ (जम्मू)					
	ओ	80,00.00				
	एस	..	80,00.00	58,02.13		(-)21,97.87
2162	चावल (जम्मू)					
	ओ	80,00.00				
	एस	..	80,00.00	59,48.07		(-)20,51.93
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 311-लागत मूल्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1228	महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति, (शक्कर) सीएएण्डपीडी जम्मू					
	ओ	15,00.00				
	एस	..	15,00.00	24,75.71	(+)9,75.71	
<b>4408</b>	<b>खाद्य, संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
02	संग्रहण और भण्डारण					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0011	सामान्य					
0508	उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण विभाग					
	ओ	5,37.74				
	एस	..	5,37.74	16,41.92	(+)11,04.18	

## अनुदान संख्या 16- लोक निर्माण विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
2059 लोक निर्माण  
2216 आवास  
3054 सड़कें और पुल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
मूल	3,57,98,64		
		3,57,98,64	(+)24,21,66
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
..			

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष  
4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय  
5054 सड़कें और पुल पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	14,82,62,28		
		14,82,62,28	(-)6,03,07,15
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
..			
टीका एवं टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,21.66 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 3,57,98.64 लाख का मूल प्रावधान अल्प साबित हुआ। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>3054</b>	<b>सड़कें और पुल</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन और प्रशासन			विस्तृत शीर्ष 009-आरआरटी और 037-पीएण्डएस सेवाओं के संबंध में बीईपर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य				
2342	पी एम आर पी सड़कें				
	ओ	45.11			
	एस	..	45.11	60.00	(+)14.89
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन और प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1034	सर्किल और प्रभागीय कार्यालयों सहित मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग जम्मू				
	ओ	12,16.62			
	एस	..	12,16.62	11,80.77	(-)35.85
1035	सर्किल और प्रभागीय कार्यालयों सहित मुख्य अभियंता आर एण्ड बी विभाग कश्मीर				
	ओ	1,31,19.09			
	एस	..	1,31,19.09	1,23,88.60	(-)7,30.49

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>			
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1041	सर्किल और प्रभागीय कार्यालयों सहित मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर			
	ओ	17,15.14		
	एस	..	17,15.14	17,04.05
				(-)11.09
1042	प्रवासियों को शामिल करते हुए सर्किल और प्रभागीय कार्यालयों सहित मुख्य अभियंता आरण्डबी जम्मू			
	ओ	85,01.93		
	एस	..	85,01.93	78,87.58
				(-)6,14.35
1044	भण्डार अधिप्राप्ति विभाग			
	ओ	2,70.64		
	एस	..	2,70.64	2,36.96
				(-)33.68
1281	अभिकल्प निदेशालय			
	ओ	6,84.12		
	एस	..	6,84.12	5,92.13
				(-)91.99
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना			
	ओ	13,79.47		
	एस	..	13,79.47	13,68.10
				(-)11.37
2275	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई (जम्मू)			
	ओ	18,84.18		
	एस	..	18,84.18	17,76.00
				(-)1,08.18
<b>2216</b>	<b>आवास</b>			
<i>07</i>	<i>अन्य आवास</i>			
053	अनुरक्षण और मरम्मत			
0099	सामान्य			
1029	सड़क और भवन विभाग, जम्मू			
	ओ	2,50.00		
	एस	..	2,50.00	2,34.82
				(-)15.18
1040	सड़क और भवन विभाग, कश्मीर			
	ओ	2,50.00		
	एस	..	2,50.00	1,01.38
				(-)1,48.62
<b>3054</b>	<b>सड़कें और पुल</b>			
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1027	आरण्डबी विभाग जम्मू			
	ओ	25,25.00		
	एस	..	25,25.00	25,04.79
				(-)20.21
1028	आरण्डबी विभाग कश्मीर			
	ओ	28,26.84		
	एस	..	28,26.84	21,19.49
				(-)7,07.35
2275	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई (जम्मू)			
	ओ	3,40.00		
	एस	..	3,40.00	3,30.99
				(-)9.01

वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

डीएच-449 बर्फ निर्बाधता के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

**अनुदान संख्या 16 (जारी)**

4	यद्यपि मुख्य शीर्ष 3054-सड़कें और पुलों के अंतर्गत आरक्षित निधि जमा लेखा में हस्तांतरण हेतु विशिष्ट रूप से प्रावधान का कोई भाग चिह्नित ही था, फिर भी ₹ 49,48.00 लाख की राशि निधि खाते में हस्तांतरित की गयी थी, परिणामस्वरूप राजस्व अनुभाग में प्रावधान के ऊपर आधिक्य हुआ, जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,03,07.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 14,82,62.28 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 6,03,07.15 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	<i>कार्यालय भवन</i>				
001	निदेशन और प्रशासन				
0011	सामान्य				
1027	आरएण्डबी विभाग जम्मू				
	ओ	2,95,98.38			
	एस	..	2,95,98.38	93,77.71	(-)2,02,20.67
1028	आरएण्डबी विभाग कश्मीर				
	ओ	2,77,55.89			
	एस	..	2,77,55.89	80,16.50	(-)1,97,39.39
1270	यांत्रिक अभियांत्रिकी जम्मू				
	ओ	3,83.50			
	एस	..	3,83.50	3,35.85	(-)47.65
1281	अभिकल्प निदेशालय				
	ओ	82.15			
	एस	..	82.15	35.13	(-)47.02
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1027	आरएण्डबी विभाग जम्मू				
	ओ	1,00,00.00			
	एस	..	1,00,00.00	42,03.97	(-)57,96.03
1028	आरएण्डबी विभाग कश्मीर				
	ओ	1,00,00.00			
	एस	..	1,00,00.00	50,91.76	(-)49,08.24
60	<i>अन्य भवन</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1717	गैर-प्रकार्यात्मक भवन (पीडब्ल्यूडी) जम्मू				
	ओ	3,47.55			
	एस	..	3,47.55	2,55.09	(-)92.46
1899	गैर-प्रकार्यात्मक भवन (पीडब्ल्यूडी) कश्मीर				
	ओ	1,95.76			
	एस	..	1,95.76	1,27.37	(-)68.39
<b>5054</b>	<b>सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	<i>राज्य राजमार्ग</i>				
101	पुल				
0011	सामान्य				
1718	पुलों का पुनर्निर्माण				
	ओ	40,00.00			
	एस	..	40,00.00	24,93.23	(-)15,06.77

विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>5054</b>	<b>सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
03	राज्य राजमार्ग					
101	पुल			विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2181	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कें					
	ओ	2,63,60.00				
	एस	..	2,63,60.00	2,28,90.00	(-)34,70.00	
05	सड़कें					
011	सामान्य					
337	सड़क निर्माण कार्य					
2342	पीएमआरपी सड़कें					
	ओ	10,00.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	10,00.00	7,37.90		(-)2,62.10
2444	शहर और कस्बे					
	ओ	2,50,00.00				
	एस	..	2,50,00.00	62,29.33	(-)1,87,70.67	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>5054</b>	<b>सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
03	राज्य राजमार्ग					
101	पुल			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
2181	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़कें					
	ओ	66,40.00				
	एस	..	66,40.00	1,79,46.65	(+)1,13,06.65	
8	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>5054</b>	<b>सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
05	सड़कें					
337	सड़क निर्माण कार्य					
0011	सामान्य					
2471	रिंग रोड			25,00.00		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1028	रेलवे पहुँच मार्ग			11,14.75		
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित (नवंबर 2020) नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>5054</b>	<b>सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
05	सड़कें					
337	सड़क निर्माण कार्य					
0011	सामान्य					
0515	निर्माण			99,33.06		

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

10	उचंत संव्यवहार: शीर्ष उचंत के अंतर्गत अनुदान में शून्य व्यय शामिल है। वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 31.10.2019 और 31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान इस अनुदान में शीर्ष के अंतर्गत अथ और अंत शेषों के साथ लेखाबद्ध संव्यवहारों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:				
लेखा का मुख्य शीर्ष /विवरण	31.10. 2019 को अथ शेष	नामे जमाएं 2019-2020 (31.10.2019 से 31.03.2020)	खाते जमाएं 2019-2020 (31.10.2019 से 31.03.2020)	31.03.2020 को अंत शेष	
					(₹ लाख में)
<b>2059-लोक निर्माण -</b>					
खरीदें	(-)13,48.51	-	-	(-)13,48.51	
	शून्य	-	-	-	
भण्डार	47,09.42			47,09.42	
	शून्य	-	-	-	
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	9,03.02	-	-	9,03.02	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	0.28	-	-	0.28	
<b>कुल</b>	<b>42,64.21</b>			<b>42,64.21</b>	
	शून्य	-	-	-	
<b>2216-आवास-</b>					
खरीदें	(-)9.37	-	-	(-)9.37	
	शून्य	-	-	-	
भण्डार	61.60	-	-	61.60	
	शून्य	-	-	-	
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	0.89	-	-	0.89	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	(-)2.09	-	-	(-)2.09	
	शून्य	-	-	-	
<b>कुल</b>	<b>51.03</b>			<b>51.03</b>	
	शून्य	-	-	-	
<b>3054-सड़कें और पुल-</b>					
खरीदें	(-)1,17.88	-	-	(-)1,17.88	
	शून्य	-	-	-	
भण्डार	(-)3,76.99	-	-	(-)3,76.99	
	शून्य	-	-	-	
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	1,11.05	-	-	1,11.05	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	0.01	-	-	0.01	
	शून्य	-	-	-	
<b>कुल</b>	<b>कुल</b>	<b>कुल</b>		<b>(-)3,83.81</b>	
	शून्य	-	-	-	
<b>4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
खरीदें	-	-	-	-	
	शून्य	-	-	-	
भण्डार	0.11	-	-	0.11	
	शून्य	-	-	-	
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	-	-	-	-	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	-	-	-	-	
	शून्य	-	-	-	
<b>कुल</b>	<b>0.11</b>			<b>0.11</b>	
	शून्य	-	-	-	

## अनुदान संख्या 16 (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष /विवरण	31.10. 2019 को अथ शेष	नामे जमाएं 2019-2020 (31.10.2019 से 31.03.2020)	खाते जमाएं 2019-2020 (31.10.2019 से 31.03.2020)	31.03.2020 को अंत शेष	
(₹ लाख में)					
<b>5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>					
खरीदें	1.44	-	-	1.44	
	शून्य	-	-	-	
भण्डार	4.63	-	-	4.63	
	शून्य	-	-	-	
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	(-)1.00	-	-	(-)1.00	
	शून्य	-	-	-	
कार्यशाला उचंत	-	-	-	-	
	शून्य	-	-	-	
<b>कुल</b>	<b>5.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.07</b>	
	शून्य	-	-	-	
11	लोक निर्माण विभाग के औजार और संयंत्र, स्थापना प्रभारों की समीक्षा: वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 और 30.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान लोक निर्माण विभाग में निर्माण परिव्यय हेतु औजार और संयंत्र की स्थापना पर व्यय का प्रतिशत नीचे इंगित किया गया था: (अन्य विभागों, निकायों से इतर इत्यादि हेतु किये गये निर्माण कार्यों के लिए प्राप्य पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए सन् 1955 में सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की लागत पर आधारित स्थापना प्रभारों हेतु 7.5 और 15 के बीच तथा औजार और संयंत्र प्रभारों हेतु 0.5 और 1 के बीच प्रतिशत निर्धारित किया।)				
लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2059-लोक निर्माण</b>					
2019-20	18,25.86	3,47,86.39	19,05.20	-	-
2019-20	12,43.83	2,58,90.35	20,81.50	-	-
<b>2216-आवास</b>					
2019-20	607.88	-	-	-	-
2019-20	3,36.21	-	-	-	-
<b>3054-सड़कें और पुल</b>					
2019-20	81,65.19	2,02,65.54	2,48.19	-	-
2019-20	30,23.68	77,26.24	2,55.52	-	-
<b>4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2019-20	86,49.19	-	-	-	-
2019-20	2,77,24.96	-	-	-	-
<b>5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2019-20	4,94,20.64	-	-	-	-
2019-20	6,02,30.17	-	-	-	-
12	<b>केन्द्रीय सड़क निधि (संहायिकी)</b>				
<p>सड़क विकास के लिए निर्धारित मोटर स्पिरिट्स पर उत्पाद शुल्क की आय में से, केंद्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि नाम से एक निधि का गठन किया गया है। इस निधि राशि में से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लेखे में सहायता-अनुदान (सीआरएफ संसहायिकी) जमा करके राज्य सरकार को आबंटित की जाती है। आबंटन को मुख्य शीर्ष 3054- सड़कें और पुल को कोन्ट्रा डेबिट द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से मुख्य शीर्ष 8449- अन्य संसहायिकी जमाओं में जमा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत इस तरह के व्यय की प्राप्ति आबंटन (आरक्षित के अलावा) से की जानी है तथा जमा शीर्ष अर्थात् 8449- केन्द्रीय सड़क निधि से अन्य जमाएं संसहायिकी से समकक्ष राशि के हस्तांतरण द्वारा सेट ऑफ किया जाता है।</p> <p>वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार को ₹ 49,48.00 लाख का कुल आबंटन किया गया था, जिसके प्रति राज्य सरकार द्वारा 31.03.2020 के अंत तक ₹ 25,30.34 लाख का अंत शेष छोड़ते हुए ₹ 24,17.66 लाख की वास्तविक राशि संवितरित की गयी थी।</p> <p>सूचना: बोल्ड में आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित हैं।</p>					

**अनुदान संख्या 17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	21,69,51,32		
		17,54,63,75	(-)4,14,87,57
	21,69,51,32		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,92,85,91		
		3,96,24,09	(-)3,96,61,82
	7,92,85,91		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,14,87.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 21,69,51.32 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 4,14,87.57 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा और जन स्वास्थ्य</b>			
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0602	जम्मू राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन			
	ओ	1,16.92		वेतन एवं आरआरटी-घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,16.92	
			1,00.98	(-)15.94
0630	राज्य टी.बी. कार्यालय ,जम्मू			
	ओ	11.19		वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	11.19	
			2.54	(-)8.65
0638	निदेशन कार्यालय कश्मीर (डीएचएसके)			
	ओ	78,14.20		वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	78,14.20	
			53,44.98	(-)24,69.22
104	चिकित्सा भण्डारण आगार			
0099	सामान्य			
0598	चिकित्सा भण्डारण विभाग कश्मीर			
	ओ	1,44.05		वेतन घटक बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,44.05	
			80.33	(-)63.72



## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा और जन स्वास्थ्य</b>			
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी</i>			
104	चिकित्सा भण्डारण आगार			
0099	सामान्य			
1279	चिकित्सा भण्डारण विभाग जम्मू			
	ओ	1,16.75		
	एस	..	1,16.75	1,01.69
				(-)15.06
109	विद्यालयी स्वास्थ्य योजना			
0099	सामान्य			
0643	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं विद्यालयी स्वास्थ्य कश्मीर			
	ओ	95.77		
	एस	..	95.77	62.85
				(-)32.92
110	अस्पताल और औषधालय			
0099	सामान्य			
0557	सीडी अस्पताल जम्मू			
	ओ	8,30.47		
	एस	..	8,30.47	6,76.55
				(-)1,53.92
0562	सुधार और जम्मू नये औषधालयों को खोलना			
	ओ	21,97.03		
	एस	..	21,97.03	21,87.65
				(-)9.38
0568	लाल देड़ महिला अस्पताल श्रीनगर			
	ओ	20,41.25		
	एस	..	20,41.25	19,57.77
				(-)83.48
0622	उप जिला अस्पताल कश्मीर			
	ओ	96,58.00		
	एस	..	96,58.00	71,22.23
				(-)25,35.77
0660	सीडी अस्पताल श्रीनगर			
	ओ	8,69.75		
	एस	..	8,69.75	7,32.20
				(-)1,37.55
0662	सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल जम्मू			
	ओ	3,60.01		
	एस	..	3,60.01	2,47.41
				(-)1,12.60
0678	संबद्ध अस्पताल श्रीनगर			
	ओ	92.81		
	एस	..	92.81	83.12
				(-)9.69
0680	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू			
	ओ	47,07.43		
	एस	..	47,07.43	41,69.04
				(-)5,38.39
1293	एस एम जी एस अस्पताल जम्मू			
	ओ	32,24.23		
	एस	..	32,24.23	27,22.99
				(-)5,01.24
2508	एंटी-हीमोफीलिक ड्रग			
	ओ	2,50.00		
	एस	..	2,50.00	37.45
				(-)2,12.55
200	अन्य स्वास्थ्य योजना			
0099	सामान्य			
1765	राज भवन एम्बुलेन्स			
	ओ	14.04		
	एस	..	14.04	8.13
				(-)5.91
02	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- दवा की अन्य प्रणालियाँ</i>			
101	आयुर्वेद			
0099	सामान्य			
0681	निदेशन और प्रशासन (निदेशक आईएसएम जेएण्डके)			
	ओ	3,93.52		
	एस	..	3,93.52	3,79.46
				(-)14.06

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>					
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- दवा की अन्य प्रणालियाँ					
101	आयुर्वेद			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
1315	बैडेड अस्पताल आयुर्वेदिक जम्मू					
	ओ	1,87.42				
	एस	..	1,87.42	1,54.71	(-)32.71	
103	यूनानी			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0694	चिकित्सा भण्डार आई एस एम कश्मीर					
	ओ	40.74				
	एस	..	40.74		34.39	(-)6.35
1837	चिकित्सा भण्डार आई एस एम जम्मू			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,26.72				
	एस	..	1,26.72		95.12	(-)31.60
03	ग्रामीण स्वास्थ्य- एलोपैथी					
101	स्वास्थ्य उप केन्द्र			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0580	उप केन्द्र कश्मीर					
	ओ	33,96.98				
	एस	..	33,96.98		33,65.12	(-)31.86
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बुनियादी सेवा)					
0099	सामान्य					
0644	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर					
	ओ	1,13,81.05				
	एस	..	1,13,81.05		1,10,06.23	(-)3,74.82
0649	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आर एस पोरा (चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू)			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,87.44				
	एस	..	1,87.44		1,71.36	(-)16.08
2356	खण्ड विकास परिषद			डीएच-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	15.00				
	एस	..	15.00	3.34	(-)11.66	
110	अस्पताल और औषधालय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और एसएच 0577-मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ जम्मू से संबंधित डीएच 092- समारोह के संबंध में अप्रयुक्त बीई।		
0099	सामान्य					
0576	सुधार और नये औषधालयों को खोलना					
	ओ	43,64.42				
	एस	..	43,64.42		27,43.12	(-)16,21.30
0577	मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ जम्मू					
	ओ	2,10.48				
	एस	..	2,10.48	1,29.46	(-)81.02	
1531	दृष्टिहीनता परिषद			विस्तृत शीर्ष 081- मादक द्रव्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,42,49.56				
	एस	..	1,42,49.56	1,40,73.64	(-)1,75.92	
800	अन्य व्यय			सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	2,74,26.00				
	एस	..	2,74,26.00	1,37,04.52	(-)1,37,21.48	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
05	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105	एलोपैथी			
0099	सामान्य			
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू			
	ओ	87,80.19		
	एस	..	87,80.19	75,47.10
				(-)12,33.09
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर			
	ओ	84,22.76		
	एस	..	84,22.76	81,32.68
				(-)2,90.08
0586	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (हाजन ब्लॉक)			
	ओ	11,15.87		
	एस	..	11,15.87	8,27.28
				(-)2,88.59
0590	आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर			
	ओ	2,61,09.08		
	एस	..	2,61,09.08	1,70,83.61
				(-)90,25.47
0679	प्रधानाचार्य दंत महाविद्यालय श्रीनगर			
	ओ	17,84.79		
	एस	..	17,84.79	14,43.26
				(-)3,41.53
0682	एमटी विद्यालय जम्मू			
	ओ	1,87.75		
	एस	..	1,87.75	1,34.65
				(-)53.10
1544	प्रधानाचार्य एसकेआईएसएस चिकित्सा महाविद्यालय बेमिना श्रीनगर			
	ओ	53,60.84		
	एस	..	53,60.84	39,50.54
				(-)14,10.30
1756	टी.बी. प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र			
	ओ	2,94.59		
	एस	..	2,94.59	91.66
				(-)2,02.93
2023	दंत महाविद्यालय जम्मू			
	ओ	12,50.77		
	एस	..	12,50.77	9,35.21
				(-)3,15.56
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय			
	ओ	1,61,06.38		
	एस	..	1,61,06.38	98,62.79
				(-)62,43.59
06	जन स्वास्थ्य			
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण			
0099	सामान्य			
0584	आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण			
	ओ	19,21.10		
	एस	..	19,21.10	13,34.77
				(-)5,86.33
1300	एस ई मेडीकल (एसपीएम)			
	ओ	3,09.79		
	एस	..	3,09.79	2,97.99
				(-)11.80
102	खाद्य अपमिश्रण रोकथाम			
0099	सामान्य			
0648	खाद्य प्रयोगशालाएं कश्मीर			
	ओ	67.12		
	एस	..	67.12	43.46
				(-)23.66

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
06	जन स्वास्थ्य			
104	मादक द्रव्य नियंत्रण			
0099	सामान्य			
0654	उप नियंत्रक मादक द्रव्य और खाद्य जम्म्			
	ओ	2,86.43		
	एस	..	2,86.43	2,58.75
				(-)27.68
1294	नियंत्रक मादक द्रव्य और खाद्य जेएण्डके नियंत्रण संगठन			
	ओ	1,63.45		
	एस	..	1,63.45	1,09.99
				(-)53.46
2266	अर्ध-चिकित्सा सहायता केन्द्र कश्मीर			
	ओ	25.13		
	एस	..	25.13	18.64
				(-)6.49
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
0099	सामान्य			
0615	कश्मीर क्षेत्र अध्ययन और प्रदर्शन की स्थापना			
	ओ	44.78		
	एस	..	44.78	18.96
				(-)25.82
0626	मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी			
	ओ	68.09		
	एस	..	68.09	53.70
				(-)14.39
0656	मादक द्रव्य प्रयोगशाला कश्मीर			
	ओ	1,32.70		
	एस	..	1,32.70	1,25.44
				(-)7.26
0676	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी			
	ओ	55.71		
	एस	..	55.71	49.80
				(-)5.91
0689	मुफासिल सेनीटेशन प्रीवेन्टिव ऑर्गनाइजेशन सेट सेन्टर सेन्ट्रल लेबोरेट्री श्रीनगर			
	ओ	34.89		
	एस	..	34.89	28.25
				(-)6.64
2267	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी -नियंत्रक मादक द्रव्य और खाद्य नियंत्रण संगठन			
	ओ	1,07.22		
	एस	..	1,07.22	91.01
				(-)16.21
112	जन स्वास्थ्य शिक्षा			
0099	सामान्य			
1545	स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कश्मीर			
	ओ	60.53		
	एस	..	60.53	22.08
				(-)38.45
200	अन्य प्रणालियाँ			
0099	सामान्य			
0565	रहबार-ए-सेचत कश्मीर			
	ओ	1,09.27		
	एस	..	1,09.27	83.30
				(-)25.97
0620	रहबार-ए-सेचत जम्म्			
	ओ	1,21.62		
	एस	..	1,21.62	1,04.95
				(-)16.67

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>					
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2204	निदेशक परिवार कल्याण					
	ओ	4,41.00				
	एस	..	4,41.00	2,47.99	(-)1,93.01	
2509	आयुष्मान भारत (एबी-पीएमजेएवाई)			जीआईए के संबंध में कम निर्मोचन।		
	ओ	7,00.00				
	एस	..	7,00.00	4,33.74	(-)2,66.26	
003	प्रशिक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2204	निदेशक परिवार कल्याण					
	ओ	46.87				
	एस	..	46.87		31.82	(-)15.05
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं					
0099	सामान्य					
2204	निदेशक परिवार कल्याण जेएण्डके					
	ओ	13,90.45				
	एस	..	13,90.45		9,20.20	(-)4,70.25
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0581	उप केन्द्र जम्मू					
	ओ	63,27.33				
	एस	..	63,27.33		46,60.93	(-)16,66.40
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो					
	ओ	12,53.59				
	एस	..	12,53.59	6,87.64	(-)5,65.95	
1654	एएनएम/ एलएचवी/ एएमटी विद्यालयों का प्रशिक्षण					
	ओ	3,77.15				
	एस	..	3,77.15	1,87.27	(-)1,89.88	
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो					
	ओ	4,23.65				
	एस	..	4,23.65	2,18.00	(-)2,05.65	
1770	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र					
	ओ	88.27				
	एस	..	88.27	48.65	(-)39.62	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओंके अंतर्गत बचत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
001	निदेशन और प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य					
0558	जिला चिकित्सा सुविधाएं जम्मू					
	ओ	15,45.06				
	एस	..	15,45.06	18,02.24	(+)2,57.18	
0579	गांधीनगर अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	4,62.51				
	एस	..	4,62.51	6,19.03		(+)1,56.52
0610	जिला टी.बी. अधिकारी और चिकित्सालय जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	2,84.47				
	एस	..	2,84.47	3,90.38		(+)1,05.91
0618	जिला चिकित्सा अधिकारी जम्मू (एच .एस.)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	2,28.69				
	एस	..	2,28.69	2,72.70		(+)44.01
0636	निदेशन और प्रशासन जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 007-ओई के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	48,89.27				
	एस	..	48,89.27	59,09.01		(+)10,19.74
110	अस्पताल और औषधालय				मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 007-ओई के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
0099	सामान्य					
0567	हड्डी, जोड़ शल्य चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पताल श्रीनगर					
	ओ	8,97.69				
	एस	..	8,97.69	9,70.10	(+)72.41	
0576	सुधार और नये औषधालय खोलना				मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 007-ओई के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	1,48.50				
	एस	..	1,48.50	1,78.83		(+)30.33
0585	उप जिला अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 007-ओई के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	33,91.29				
	एस	..	33,91.29	41,06.39		(+)7,15.10
0625	एस.एम.एच.एस. अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन और ओई घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	45,38.39				
	एस	..	45,38.39	46,53.87		(+)1,15.48
0666	कृत्रिम अंग केन्द्र श्रीनगर आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति				मुख्यतः वेतन और ओई घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	20.85				
	एस	..	20.85	25.79		(+)4.94
0688	सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	2,91.79				
	एस	..	2,91.79	4,05.43		(+)1,13.64
1529	प्रशासन संबंधी अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।	
	ओ	6,53.77				
	एस	..	6,53.77	6,71.36		(+)17.59

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>			
110	अस्पताल और औषधालय			
0099	सामान्य			
1553	चिल्ड्रेन हॉस्पिटल श्रीनगर			
	ओ	9,55.55		
	एस	..	9,55.55	9,66.19 (+)10.64
1758	सनत नगर अस्पताल			
	ओ	45.34		
	एस	..	45.34	54.78 (+)9.44
1764	जीबी पंत अस्पताल			
	ओ	3,92.34		
	एस	..	3,92.34	5,34.52 (+)1,42.18
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
0099	सामान्य			
0641	एकीकृत बाल विकास योजनाएं जम्मू			
	ओ	2,40.38		
	एस	..	2,40.38	2,74.47 (+)34.09
02	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - औषधि की अन्य प्रणालियाँ</i>			
101	आयुर्वेद			
0099	सामान्य			
0667	यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय कश्मीर (आईएसएम)			
	ओ	27,08.69		
	एस	..	27,08.69	30,71.33 (+)3,62.64
03	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>			
101	आयुर्वेद			
0099	सामान्य			
0581	उप केन्द्र जम्मू			
	ओ	22,18.34		
	एस	..	22,18.34	23,84.95 (+)1,66.61
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आधारभूत सेवाएं)			
0099	सामान्य			
2262	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जम्मू (कोट भलबल)			
	ओ	50,34.42		
	एस	..	50,34.42	65,66.10 (+)15,31.68
110	अस्पताल और औषधालय			
0099	सामान्य			
0696	यूनानी आयुर्वेदिक औषधालय जम्मू			
	ओ	22,00.69		
	एस	..	22,00.69	25,06.01 (+)3,05.32
05	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान</i>			
105	एलोपैथी			
0099	सामान्य			
0592	एएमटी विद्यालय श्रीनगर			
	ओ	78.57		
	एस	..	78.57	1,01.39 (+)22.82

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
06	जन स्वास्थ्य			
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण			
0099	सामान्य			
0603	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जम्मू			
	ओ	8,08.69		
	एस	..	8,08.69	8,87.58 (+)78.89
1277	दृश्य बाधा और दृष्टिहीनता नियंत्रण जम्मू			
	ओ	2,54.92		
	एस	..	2,54.92	2,73.35 (+)18.43
102	खाद्य अपमिश्रण रोकथाम			
0099	सामान्य			
0697	खाद्य अपमिश्रण रोकथाम संगठन कश्मीर			
	ओ	23.76		
	एस	..	23.76	27.31 (+)3.55
104	मादक द्रव्य नियंत्रण			
0099	सामान्य			
0633	अर्ध-चिकित्सा सहायता केन्द्र कश्मीर			
	ओ	1,44.11		
	एस	..	1,44.11	1,57.97 (+)13.86
0658	उप नियंत्रक खाद्य नियंत्रण संगठन कश्मीर			
	ओ	3,01.24		
	एस	..	3,01.24	3,11.20 (+)9.96
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1652	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
	ओ	42.17		
	एस	..	42.17	70.12 (+)27.95
4	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>			
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
2356	खण्ड विकास परिषद			
			13.00	
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
110	अस्पताल और औषधालय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2504	राष्ट्रीय केसर मिशन			
			4,08.76	

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।



## अनुदान संख्या 17 (जारी)

5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</b>		
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी		
001	निदेशन और प्रशासन		
0099	सामान्य		
0560	चिकित्सा सहायता केन्द्र कश्मीर (डीएचएसके)	10.04	
0614	जिला टी.बी. अधिकारी और टी.बी. चिकित्सालय कश्मीर	12.34	
06	जन स्वास्थ्य		
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण		
0099	सामान्य		
0589	आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण जम्मू	3.81	
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>		
001	निदेशन और प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	63.12	
004	अनुसंधान एवं मूल्यांकन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1654	एएनएम/ एलएचवी/ एएमटी प्रशिक्षण विद्यालय	33.49	
0581	उप केन्द्र जम्मू	3,63.11	
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	3.95	
102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ		
1770	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	5.54	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>			
6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,96,61.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,92,85.91 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 3,96,61.82 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
200	अन्य स्वास्थ्य सेवाएं				
0011	सामान्य				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन				
	ओ	21,65.00			
	एस	..	21,65.00	20,09.80	(-)1,55.20
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू				
	ओ	29,70.25			
	एस	..	29,70.25	21,89.53	(-)7,80.72
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर				
	ओ	17,25.50			
	एस	..	17,25.50	11,47.37	(-)5,78.13
1536	निदेशक स्वास्थ्य जम्मू				
	ओ	28,52.00			
	एस	..	28,52.00	17,69.59	(-)10,82.41
1537	निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर				
	ओ	35,33.71			
	एस	..	35,33.71	34,05.81	(-)1,27.90
1538	मादक द्रव्य और खाद्य नियंत्रण				
	ओ	1,00.29			
	एस	..	1,00.29	65.32	(-)34.97
1539	भारतीय औषधि प्रणाली (आईएसएम)				
	ओ	2,15.87			
	एस	..	2,15.87	1,70.02	(-)45.85
1540	दंत महाविद्यालय श्रीनगर				
	ओ	1,06.00			
	एस	..	1,06.00	46.04	(-)59.96
1541	संबद्ध अस्पताल श्रीनगर				
	ओ	4,72.50			
	एस	..	4,72.50	4,33.21	(-)39.29
1542	संबद्ध अस्पताल जम्मू				
	ओ	4,30.00			
	एस	..	4,30.00	2,74.63	(-)1,55.37
1544	झेलम घाटी चिकित्सा महाविद्यालय				
	ओ	16,00.00			
	एस	..	16,00.00	7,23.13	(-)8,76.87

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
0011	सामान्य			
0515	निर्माण			
	ओ	67.00		
	एस	..	67.00	37.08
				(-)29.92
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2256	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
	ओ	2,22,63.80		
	एस	..	2,22,63.80	63,88.50
				(-)1,58,75.30
03	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105	एलोपैथी			
0011	सामान्य			
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय			
	ओ	28,85.00		
	एस	..	28,85.00	23,55.68
				(-)5,29.32
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय			
	ओ	2,41,18.13		
	एस	..	2,41,18.13	1,24,32.06
				(-)1,16,86.07
200	अन्य प्रणालियाँ			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन			
	ओ	36,17.05		
	एस	..	36,17.05	31,63.23
				(-)4,53.82
04	जन स्वास्थ्य			
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1881	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण			
	ओ	75,84.54		
	एस	..	75,84.54	4,05.54
				(-)71,79.00
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1538	मादक द्रव्य और खाद्य नियंत्रण			
	ओ	1,35.05		
	एस	..	1,35.05	2.96
				(-)1,32.09
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4210</b>	<b>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</b>			
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
1543	चिकित्सा संस्थान			
	ओ	17,65.82		
	एस	..	17,65.82	20,48.01
				(+)2,82.19

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।

## अनुदान संख्या 17 (समाप्त)

9	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
<i>04</i>	<i>जन स्वास्थ्य</i>		
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2481	राज्य मादक द्रव्य विनियामक प्रणाली का सशक्तिकरण	1,73.90	
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
<i>03</i>	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान</i>		
105	एलोपैथी		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1654	एएनएम/ एलएचवी/ एएमटी प्रशिक्षण विद्यालय	54.70	

**अनुदान संख्या 18- समाज कल्याण विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236 पोषण

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		14,66,76,90		
		14,66,76,90	8,34,78,19	(-)6,31,98,71
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,31,71,89		
		1,31,71,89	28,90,42	(-)1,02,81,47
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,31,98.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 14,66,76.90 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 6,31,98.71 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
105	विशेष जाँच आयोग			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0502	पिछड़े वर्ग हेतु राज्य आयोग				
	ओ	1,61.58			
	एस	..	1,61.58	57.29	(-)1,04.29
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>				
02	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
277	शिक्षा			जीआईए के संबंध में बीई के प्रति निर्माचन।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1829	माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति				
	ओ	7,94.95			
	एस	..	7,94.95	44.44	(-)7,50.51

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>			
03	पिछड़े वर्ग का कल्याण			
102	आर्थिक विकास			
0099	सामान्य			
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण			
	ओ	15,95.97		
	एस	..	15,95.97	11,92.70
				(-)4,03.27
1828	पहाड़ी भाषी लोगों का कल्याण			
	ओ	20,00.02		
	एस	..	20,00.02	17,36.31
				(-)2,63.71
2324	अन्य पिछड़े वर्ग का विकास			
	ओ	76.62		
	एस	..	76.62	45.17
				(-)31.45
277	शिक्षा			
0099	सामान्य			
1080	मरकाज बहबूदी ख्वातीन मिसकीन बाग की स्थापना			
	ओ	1,68.50		
	एस	..	1,68.50	1,25.00
				(-)43.50
1094	गुज्जर, बकरवाल छात्रावास मिसकीन बाग श्रीनगर			
	ओ	33.02		
	एस	..	33.02	24.77
				(-)8.25
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
1099	महिला व्यावसायिक केन्द्र जम्मू			
	ओ	58.84		
	एस	..	58.84	27.03
				(-)31.81
2036	कुटीर उद्योग केन्द्रों का विकास जम्मू			
	ओ	1,99.79		
	एस	..	1,99.79	1,00.35
				(-)99.44
2037	कुटीर उद्योग केन्द्रों का विकास कश्मीर			
	ओ	79.07		
	एस	..	79.07	71.10
				(-)7.97
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>			
02	समाज कल्याण			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1092	जिला स्तरीय कार्यालय कश्मीर			
	ओ	5,40.25		
	एस	..	5,40.25	3,64.80
				(-)1,75.45
1106	तहसील स्तरीय कार्यालय कश्मीर			
	ओ	4,17.42		
	एस	..	4,17.42	3,31.99
				(-)85.43
2038	निदेशन और प्रशासन कश्मीर			
	ओ	2,36.52		
	एस	..	2,36.52	2,09.44
				(-)27.08
2039	निदेशन और प्रशासन जम्मू			
	ओ	2,63.36		
	एस	..	2,63.36	1,69.67
				(-)93.69

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>					
02	समाज कल्याण					
001	निदेशन और प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और उप शीर्ष 2280- जिला स्तरीय कार्यालय जम्मू के संबंध में अप्रयुक्त सहायता अनुदान।	
0099	सामान्य					
2280	जिला स्तरीय कार्यालय जम्मू					
	ओ	3,66.14				
	एस	..	3,66.14	2,26.63	(-)1,39.51	
2281	तहसील स्तरीय कार्यालय जम्मू					
	ओ	4,29.34				
	एस	..	4,29.34	3,38.40	(-)90.94	
101	दिव्यांगों का कल्याण				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 228- आहार खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1082	दृष्टिहीनों के लिए निवासी विद्यालय					
	ओ	59.63				
	एस	..	59.63	41.77	(-)17.86	
102	बाल कल्याण				जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1444	पूर्व- माध्यमिक छात्रवृत्ति					
	ओ	10,78.68				
	एस	..	10,78.68	53.34	(-)10,25.34	
1829	माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति				विस्तृत शीर्ष 079- वजीफा एवं छात्रवृत्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	39,64.98				
	एस	..	39,64.98	1,96.05		(-)37,68.93
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना				विस्तृत शीर्ष की नामपद्धति अभिलेखबद्ध नहीं की गयी।	
	ओ	18,97.16				
	एस	..	18,97.16	12,25.13		(-)6,72.03
2546	प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना				जीआईए के संबंध में कम व्यय।	
	ओ	7,62.88				
	एस	..	7,62.88	1,30.29		(-)6,32.59
0099	सामान्य				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
	ओ	3,07.64				
	एस	..	3,07.64	2,08.07	(-)99.57	
2044	बाल आश्रम कश्मीर की स्थापना				वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 228-आहार खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,74.29				
	एस	..	2,74.29	1,35.02		(-)1,39.27
2045	बाल आश्रम जम्मू की स्थापना				जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,10.40				
	एस	..	3,10.40	1,83.27		(-)1,27.13
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 633- प्रतिकर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,35.23				
	एस	..	1,35.23	75.00		(-)60.23
103	महिला कल्याण				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 633- प्रतिकर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
	ओ	26,00.00				
	एस	..	26,00.00	25,24.53	(-)75.47	
2040	सामाजिक सुरक्षा केन्द्र कश्मीर				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,11.66				
	एस	..	4,11.66	3,69.02		(-)42.64
2041	सामाजिक सुरक्षा केन्द्र जम्मू				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	9,69.33				
	एस	..	9,69.33	4,24.77		(-)5,44.56

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>			
02	समाज कल्याण			
103	महिला कल्याण			
0099	सामान्य			
2042	निराश्रित और परित्यक्त महिलाओं हेतु आवास नारी निकेतन कश्मीर			
	ओ	1,10.48		
	एस	..	1,10.48	65.22
				(-)45.26
2043	निराश्रितों हेतु आवास नारी निकेतन जम्मू			
	ओ	1,80.23		
	एस	..	1,80.23	1,23.13
				(-)57.10
2461	स्वाधार गृह योजना			
	ओ	15.55		
	एस	..	15.55	7.77
				(-)7.77
104	वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण			
0099	सामान्य			
2429	आसरा			
	ओ	34.09		
	एस	..	34.09	16.80
				(-)17.29
106	सुधारात्मक सेवाएं			
0099	सामान्य			
2392	भिखारियों हेतु आवास की स्थापना			
	ओ	13.55		
	एस	..	13.55	0.60
				(-)12.95
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
1834	सीमा क्षेत्र परियोजनाओं को राज्य अंश 33%			
	ओ	73.39		
	एस	..	73.39	55.04
				(-)18.35
2285	प्रशिक्षण और अनुसंधान जम्मू			
	ओ	40.00		
	एस	..	40.00	21.87
				(-)18.13
03	राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम			
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2387	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेन्शन योजना			
	ओ	1,16,90.77		
	एस	..	1,16,90.77	27.69
				(-)1,16,63.08
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2251	अल्पसंख्यकों को पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्ति			
	ओ	1,47,55.08		
	एस	..	1,47,55.08	11.55
				(-)1,47,43.53
0099	सामान्य			
2372	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)			
	ओ	58.30		
	एस	..	58.30	25.00
				(-)33.30
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>			
02	पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण			
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1287	एकीकृत बाल विकास योजना			
	ओ	3,44,69.46		
	एस	..	3,44,69.46	2,03,28.45
				(-)1,41,41.01

वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 228-आहार खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 664- मैचिंग शेयर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 500- पेन्शन संबंधी लाभ के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।



## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>					
02	पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण					
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1815	पोषण					
	ओ	1,47,55.08				
	एस	..	1,47,55.08	8,42.45	(-)1,39,12.63	
80	सामान्य					
101	आहार सर्वेक्षण और पोषण योजना			विस्तृत शीर्ष 017-मानदेय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
1839	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू					
	ओ	9,94.13				
	एस	..	9,94.13		5,52.90	(-)4,41.23
2307	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम कश्मीर					
	ओ	11,39.39				
	एस	..	11,39.39	5,69.70	(-)5,69.70	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित थी; जिसके कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>					
02	समाज कल्याण					
103	महिला कल्याण			विस्तृत शीर्ष की नामपद्धति को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया।		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2461	स्वाधार गृह योजना					
	ओ	25.37				
	एस	..	25.37	38.86	(+)13.49	
104	वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण			विस्तृत शीर्ष 500-पेन्शन संबंधी लाभ के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।		
0099	सामान्य					
1101	वृद्धावस्था पेन्शन (ओएपी) (एसएसएस) कश्मीर					
	ओ	2,06,72.48				
	एस	..	2,06,72.48	2,13,19.30	(+)6,46.82	
1107	निराश्रितों को वजीफा कश्मीर			विस्तृत शीर्ष 079-वजीफा के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।		
	ओ	2.00				
	एस	..	2.00		3.47	(+)1.47
2282	वृद्धावस्था पेन्शन (आईएसएसएस) जम्मू			विस्तृत शीर्ष 500-पेन्शन संबंधी लाभ के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।		
	ओ	1,62,11.00				
	एस	..	1,62,11.00		1,68,37.36	(+)6,26.36
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>					
02	पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण					
101	विशेष पोषण कार्यक्रम			विस्तृत शीर्ष वेतन और मानदेय के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।		
0099	सामान्य					
1287	एकीकृत बाल विकास योजना					
	ओ	47,37.43				
	एस	..	47,37.43	63,74.35	(+)16,36.92	
4	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
117	आंतरिक सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0957	आंतरिक सुरक्षा				5,00.00	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>		
105	विशेष जाँच आयोग		
0099	सामान्य		
1791	राज्य महिला आयोग	1,49.60	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		
<i>02</i>	<i>समाज कल्याण</i>		
001	निर्देशन और प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1829	माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति	1,35.00	
2438	निशक्तजनों के कार्यान्वयन हेतु योजना	10,96.92	
0099	सामान्य		
0244	निर्देशन और प्रशासन	67.66	
101	दिव्यांगों का कल्याण		
0099	सामान्य		
2284	दिव्यांगों का कल्याण जम्मू	9.90	
102	बाल कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2481	राष्ट्रीय शिशुशाला योजना (एनसीएस)	7,23.08	
0099	सामान्य		
2546	प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना	3,85.00	
<i>60</i>	<i>अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम</i>		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2372	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू)	13.71	
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>		
<i>02</i>	<i>पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण</i>		
101	विशेष पोषण कार्यक्रम		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2239	राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण योजना (एसएबीएलए)	6,24.53	
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>		
<i>01</i>	<i>पुनर्वास</i>		
102	आर्थिक विकास		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2243	विशेष घटक योजना एससी/ एसटी	7.02	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		
<i>02</i>	<i>समाज कल्याण</i>		
001	निर्देशन और प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2038	निर्देशन और प्रशासन कश्मीर	47.74	
102	बाल कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1287	एकीकृत बाल विकास योजना	5,16.22	
<i>03</i>	<i>राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम</i>		
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2388	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	21,92.11	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		
03	राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम		
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2389	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ पेन्शन योजना	24.60	
2390	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला पेन्शन योजना	91.29	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>			
6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,02,81.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,31,71.89 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,02,81.47 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
(₹ लाख में)			
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण		
800	अन्य व्यय		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के
0011	सामान्य		संबंध में बीई के प्रति कम
2286	एससी/ एसटी विकास निगम		व्यय।
	ओ	2,05.00	
	एस	..	2,05.00
			1,81.18
			(-)23.82
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	पुनर्वास		
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के
0011	सामान्य		संबंध में बीई के प्रति कम
2158	आतंकवाद के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु परिषद		व्यय।
	ओ	1,66.67	
	एस	..	1,66.67
			1,41.67
			(-)25.00
02	समाज कल्याण		
102	बाल कल्याण		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के
0011	सामान्य		संबंध में बीई के प्रति कम
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना		व्यय।
	ओ	5,00.00	
	एस	..	5,00.00
			7.99
			(-)4,92.01
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम		
800	अन्य व्यय		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के
0011	सामान्य		संबंध में बीई के प्रति कम
1382	राज्य योजना		व्यय।
	ओ	8,76.54	
	एस	..	8,76.54
			4,18.57
			(-)4,57.97
<b>4236</b>	<b>पोषण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
02	पोषक खाद्य एवं पेय पदार्थों का वितरण		
800	अन्य व्यय		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के
0011	सामान्य		संबंध में बीई के प्रति कम
1287	एकीकृत बाल विकास योजनाएं		व्यय।
	ओ	30,35.38	
	एस	..	30,35.38
			19,79.49
			(-)10,55.89

## अनुदान संख्या 18 (समाप्त)

8	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	अनुसूचित जाति का कल्याण		
277	शिक्षा		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2243	विशेष घटक योजवना एससी/ एसटी	57.94	
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
02	समाज कल्याण		
102	बाल कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1287	एकीकृत बाल विकास योजनाएं	81,38.07	
2243	छात्रावास	20.40	
2244		19.12	
2245	प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना (पीएमएजीवाई)	30.08	
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	अनुसूचित जाति का कल्याण		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2245	प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना (पीएमएजीवाई)	38.83	

**अनुदान संख्या 19- आवास एवं शहरी विकास विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2217 शहरी विकास

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		3,63,99,76		
		3,63,99,76	3,50,73,47	(-)13,26,29
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		6,15,85,74		
		6,15,85,74	3,51,37,24	(-)2,64,48,50
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,26.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,63,99.76 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 13,26.29 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>			
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0999	मुख्य कस्बा योजनाकार			
	ओ	2,82.06		
	एस	..	2,82.06	2,04.46
				(-)77.60
1148	मुख्य वास्तुकार जेएण्डके			
	ओ	3,19.26		
	एस	..	3,19.26	1,78.18
				(-)1,41.08
1149	मुख्य कस्बा योजनाकार जम्मू			
	ओ	2,83.71		
	एस	..	2,83.71	1,99.39
				(-)84.32
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता			
0099	सामान्य			
1297	शहरी विकास			
	ओ	30.00		
	एस	..	30.00	13.62
				(-)16.38
1437	जम्मू नगरपालिका			
	ओ	73,44.00		
	एस	..	73,44.00	72,98.06
				(-)45.94

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>			
<i>03</i>	<i>लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास</i>			
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता			
0099	सामान्य			
1438	श्रीनगर नगरपालिका			
	ओ	93,60.00		
	एस	..	93,60.00	92,92.07
				(-)67.93
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
	ओ	5,13.00		
	एस	..	5,13.00	5,04.73
				(-)8.27
<i>05</i>	<i>अन्य शहरी विकास योजनाएं</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1139	निदेशक स्थानीय निकाय जम्मू			
	ओ	3,49.20		
	एस	..	3,49.20	2,23.80
				(-)1,25.40
1439	निदेशक स्थानीय निकाय कश्मीर			
	ओ	4,18.11		
	एस	..	4,18.11	1,68.94
				(-)2,49.17
2289	सीवरेज अपवाहप्रभाग II श्रीनगर			
	ओ	3,67.71		
	एस	..	3,67.71	2,99.51
				(-)68.20
2290	यांत्रिक अपवाह प्रभाग श्रीनगर			
	ओ	9,31.90		
	एस	..	9,31.90	7,86.00
				(-)1,45.90
2291	शहर अपवाह श्रीनगर			
	ओ	7,73.12		
	एस	..	7,73.12	5,95.26
				(-)1,77.86
2292	कस्बा अपवाह प्रभाग कश्मीर			
	ओ	3,11.03		
	एस	..	3,11.03	3,04.77
				(-)6.26
2293	सीवरेज और अपवाह प्रभाग (पश्चिम), जम्मू			
	ओ	4,11.18		
	एस	..	4,11.18	4,01.64
				(-)9.54
2294	कस्बा अपवाह जम्मू			
	ओ	2,41.07		
	एस	..	2,41.07	1,83.88
				(-)57.19
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1138	मुख्य अभियंता यूईईडी जेएण्डके			
	ओ	10,08.79		
	एस	..	10,08.79	8,31.53
				(-)1,77.26
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>			
<i>03</i>	<i>लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास</i>			
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता		आधिक्य (+)	
0099	सामान्य			
1298	डल विकास			
	ओ	12,80.00		
	एस	..	12,80.00	12,95.00
				(+)15.00

जीआईए घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष- वाहन का क्रय के संबंध में अप्रयुक्त बीई।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

जीआईए के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।

## अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>			
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं			
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता			
0099	सामान्य			
2034	स्थानीय निकाय संस्थान कश्मीर			
	ओ	71,75.62		जीआईए के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।
	एस	..	71,75.62	
			72,86.09	
			(+)1,10.47	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
			(₹ लाख में)	
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>			
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
1297	शहरी विकास			
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
			4.44	
			2.13	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>				
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,64,48.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,15,85.74 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 2,64,48.50 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4216</b>	<b>आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0893	अन्य आवास योजनाएं			
	ओ	10,09.66		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	10,09.66	
			3,22.91	
			(-)6,86.75	
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास			
051	निर्माण			
0011	सामान्य			
1296	अपवाह			
	ओ	5,25.00		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	5,25.00	
			5,08.71	
			(-)16.29	
1297	शहरी विकास			
	ओ	3,17,00.00		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,17,00.00	
			1,75,09.01	
			(-)1,41,90.99	
1299	सीवरेज और अपवाह			
	ओ	18,10.84		विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	18,10.84	
			91.06	
			(-)17,19.78	

## अनुदान संख्या 19 (जारी)

7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	
	(₹ लाख में)			
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर व्यय आधिक्य।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1297	शहरी विकास			
	ओ	5,56.85		
	एस	..	5,56.85	
			1,58,37.70	(+)1,52,80.85
8	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			
	(₹ लाख में)			
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास			
051	निर्माण			
0011	सामान्य			
1298	डल विकास		42,93.75	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन		2,72.00	
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
2035	स्थानीय निकाय संस्थान जम्मू		2,07,50.00	
60	अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
0011	सामान्य			
1303	मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन जम्मू		2,00.00	
1399	मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन कश्मीर		2,00.00	
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	वास्तविक व्यय			
	(₹ लाख में)			
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	राज्य पूँजीगत विकास			
051	निर्माण			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2476	स्मार्ट सिटी मिशन		6,00.00	



## अनुदान संख्या 19 (समाप्त)

10	आवास और शहरी विकास विभाग के औजार और संयंत्र स्थापना प्रभारों की समीक्षा:- वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 और 31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान शहरी विकास विभाग में निर्माण परिव्यय हेतु स्थापना, औजार और संयंत्र पर व्यय का प्रतिशत नीचे इंगित किया गया है:-				
लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2217 शहरी विकास विभाग</b>					
2019-2020	1,63.02	3,60,58.61	2,21,19.13	-	-
2019-2020	96.95	3,49,76.51	3,60,76.85	-	-
<b>4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2019-2020	76,53.66	-	-	-	-
2019-2020	5,22.91	-	-	-	-
<b>4217 शहरी विकास विभाग पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2019-2020	3,88,06.85	-	-	-	-
2019-2020	3,46,14.33	-	-	-	-
<b>बोर्ड में आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित हैं।</b>					

## अनुदान संख्या 20- पर्यटन विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
3452 पर्यटन

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,35,53,94		
			89,94,99	(-)45,58,95
		1,35,53,94		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष  
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		2,59,35,75		
			89,24,37	(-)1,70,11,38
		2,59,35,75		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 45,58.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,35,53.94 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 45,58.95 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>			
01	पर्यटक अवसंरचना			
101	पर्यटक केन्द्र			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1121	निदेशक पर्यटन कश्मीर			
	ओ	1,64.25		
	एस	..	1,64.25	
			1,27.03	
			(-)37.22	
2277	निदेशक पर्यटन जम्मू			
	ओ	3,80.05		
	एस	..	3,80.05	
			2,82.73	
			(-)97.32	
102	पर्यटक आवास			मुख्यतः वेतन घटक और 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0474	निदेशक पर्यटन कश्मीर			
	ओ	7,03.50		
	एस	..	7,03.50	
			5,15.69	
			(-)1,87.81	
2278	निदेशक पर्यटन जम्मू			
	ओ	1,70.82		
	एस	..	1,70.82	
			1,23.44	
			(-)47.38	

## अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>					
01	पर्यटक अवसंरचना					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0650	पटनीटॉप विकास प्राधिकरण					
	ओ	1,37.50			मुख्यतः जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,37.50	1,03.13		(-)34.38
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण					
	ओ	1,62.55				
	एस	..	1,62.55	91.14		(-)71.41
1932	रोयल स्प्रिंग गोल्फ मैदान					
	ओ	5,09.11				
	एस	..	5,09.11	4,07.29		(-)1,01.82
2403	जम्मू तवी गोल्फ मैदान					
	ओ	2,00.00				
	एस	..	2,00.00	1,60.00	(-)40.00	
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0312	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	29,59.41			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 342-अमर नाथ यात्रा के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	29,59.41	19,58.40		(-)10,01.01
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	14,54.18			मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 089-विज्ञापन और प्रचार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	14,54.18	5,81.20		(-)8,72.98
2184	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	22,80.60			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	22,80.60	11,35.11		(-)11,45.49
104	प्रोत्साहन और प्रचार					
0099	सामान्य					
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	1,54.48				
	एस	..	1,54.48	1,21.56		(-)32.92
2279	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	75.33				
	एस	..	75.33	52.75		(-)22.58
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2091	कोकरनाग विकास प्राधिकरण					
	ओ	1,11.14			मुख्यतः जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,11.14	1,00.03		(-)11.11
2198	नवीन विकास प्राधिकरण					
	ओ	9,48.50			मुख्यतः जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	9,48.50	8,82.99		(-)65.51

## अनुदान संख्या 20 (जारी)

पूँजीगत अनुभाग					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,70,11.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,59,35.75 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,70,11.38 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0646	एस के आई सी सी				
	ओ	1,11.50			
	एस	..	1,11.50	55.75	(-)55.75
0650	पटनीटॉप विकास प्राधिकरण				
	ओ	3,43.35			
	एस	..	3,43.35	76.55	(-)2,66.80
0651	पर्यटन विकास निगम				
	ओ	8,83.10			
	एस	..	8,83.10	8,73.05	(-)10.05
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	ओ	25,30.13			
	एस	..	25,30.13	23,25.91	(-)2,04.22
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण				
	ओ	5,51.09			
	एस	..	5,51.09	3,67.30	(-)1,83.79
1891	पहलगाम विकास प्राधिकरण				
	ओ	4,29.25			
	एस	..	4,29.25	2,44.86	(-)1,84.39
1892	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण				
	ओ	6,09.38			
	एस	..	6,09.38	2,97.67	(-)3,11.71
1932	रोयल स्प्रिंग गोल्फ मैदान				
	ओ	5,34.50			
	एस	..	5,34.50	2,67.25	(-)2,67.25
2091	कोकरनाग विकास प्राधिकरण				
	ओ	1,87.50			
	एस	..	1,87.50	1,24.13	(-)63.37
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू				
	ओ	10,58.63			
	एस	..	10,58.63	5,63.98	(-)4,94.65
2198	अन्य विकास प्राधिकरण				
	ओ	22,53.70			
	एस	..	22,53.70	10,05.81	(-)12,47.89
2403	जम्मू तवी गोल्फ मैदान				
	ओ	5,10.94			
	एस	..	5,10.94	2,55.47	(-)2,55.47

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 20 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2406	श्री अमर नाथ यात्रा			
	ओ	41,72.61		
	एस	..	41,72.61	
			24,66.63	(-)17,05.98
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		
		(₹ लाख में)		
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0457	पर्यटन विभाग		15,50.00	
0652	पर्यटन निर्माण योजना		1,00,00.00	
2405	कश्मीर गोल्फ मैदान		1,03.75	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर		1,02.40	

## अनुदान संख्या 21- वन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2402 मृदा एवं जल संरक्षण

2406 वानिकी और वन्य जीवन

3435 ऊर्जा और पर्यावरण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,98,05,36		
	4,98,05,36	3,68,73,68	(-)1,29,31,68
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4402 मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	99,10,88		
	99,10,88	19,16,29	(-)79,94,59
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,29,31.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,98,05.36 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,29,31.68 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1443	मृदा संरक्षण निदेशालय				
	ओ	27,65.01			
	एस	..	27,65.01	19,16.82	(-)8,48.19
102	मृदा संरक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0355	वाटरशेड आधार पर मृदा एवं जल संरक्षण				
	ओ	9,90.80			
	एस	..	9,90.80	9,20.69	(-)70.11
<b>2406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन</b>				
01	<b>वानिकी</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0349	प्रधान मुख्य संरक्षक				
	ओ	2,78,74.45			
	एस	..	2,78,74.45	1,97,58.80	(-)81,15.65

## अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन</b>					
01	<i>वानिकी</i>					
004	अनुसंधान			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान					
	ओ	6,84.91				
	एस	..	6,84.91	6,25.27	(-)59.64	
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्सृजन			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 110-संभलाई और परिवहन प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0352	वन संरक्षण और विकास					
	ओ	30.50				
	एस	..	30.50	24.28	(-)6.22	
102	सामाजिक और फार्म वानिकी			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल					
	ओ	64,23.07				
	एस	..	64,23.07	51,36.77	(-)12,86.30	
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी			विस्तृत शीर्ष चंदन लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	56,49.64				
	एस	..	56,49.64		48,67.21	(-)7,82.43
105	वन उत्पाद					
0099	सामान्य			विस्तृत शीर्ष चंदन लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0358	वन उत्पाद					
	ओ	4,16.30				
	एस	..	4,16.30		2,90.66	(-)1,25.64
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन</i>					
110	वन्य जीवन परिरक्षण			विस्तृत शीर्ष चंदन लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0351	पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन					
	ओ	31,85.08				
	एस	..	31,85.08	21,00.45	(-)10,84.63	
<b>3435</b>	<b>ऊर्जा और पर्यावरण</b>					
04	<i>प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण</i>					
103	वायु एवं जल प्रदूषण रोकथाम			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष 003-एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त बीई।		
0099	सामान्य					
2152	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड					
	ओ	11,87.24				
	एस	..	11,87.24		8,73.44	(-)3,13.80
2179	निदेशक पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन					
	ओ	4,54.82				
	एस	..	4,54.82		3,32.91	(-)1,21.91
2353	जल एवं वायु प्रदूषण अपीलीय प्राधिकरण					
	ओ	16.74				
	एस	..	16.74	11.49	(-)5.25	

## अनुदान संख्या 21 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।						
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ			
	(₹ लाख में)						
<b>2406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन</b>						
01	वानिकी						
800	अन्य व्यय			जीआईए के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।			
0099	सामान्य						
0199	राज्य वन निगम					1,00.00	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>							
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 79,94.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 99,10.88 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 79,94.59 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।						
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।						
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)						
<b>4402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
102	मृदा संरक्षण			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।			
0011	सामान्य						
0266	मृदा संरक्षण (कश्मीर)						
	ओ	2,24.70					
	एस	..	2,24.70	1,73.72	(-)50.98		
<b>4406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
01	वानिकी						
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।			
0011	सामान्य						
0200	वन प्रदेश						
	ओ	6,32.83					
	एस	..	6,32.83			5,60.25	(-)72.58
0213	वन्य जीवन परिरक्षण						
	ओ	2,24.53					
	एस	..	2,24.53			1,43.25	(-)81.28
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल						
	ओ	3,87.14					
	एस	..	3,87.14	2,85.87	(-)1,01.27		
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी						
	ओ	3,77.15					
	एस	..	3,77.15	3,51.07	(-)26.08		
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान						
	ओ	1,97.68					
	एस	..	1,97.68	59.20	(-)1,38.48		



## अनुदान संख्या 21 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
208	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2152	जेएण्डके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड			
	ओ	62.43		
	एस	..	62.43	
			35.55	
			(-)-26.88	
2153	निदेशक पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन			
	ओ	1,31.74		
	एस	..	1,31.74	
			85.28	
			(-)-46.46	
6	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>4406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	वानिकी			
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्सृजन			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0200	वन प्रदेश			26,37.17
0201	आगजनी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना			14,16.40
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0480	टी.डी.एस. मोरारी			3,58.51
1005	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम			24,46.42
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन			
110	वन्य जीवन			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1730	राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य			8,14.18
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
			(₹ लाख में)	
<b>4406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	वानिकी			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0434	वुलर झील के संरक्षण हेतु कार्य योजना			1,71.42
2295	होल्करसर/ सुरिनसर/ मानसर			22.89
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन			
110	वन्य जीवन			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1931	वन्य जीवन अभयारण्य			27.78

## अनुदान संख्या 22- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2700 मुख्य सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2702 लघु सिंचाई

2711 बाढ़ नियंत्रण और अपवाह

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		2,55,62,26		
			2,38,90,91	(-)16,71,35
		2,55,62,26		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		5,95,06,32		
			1,37,75,40	(-)4,57,30,92
		5,95,06,32		
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,71.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,55,62.26 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 16,71.35 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2700</b>	<b>मुख्य सिंचाई</b>				
01	मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक और डीएच 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0855	सिंचाई जम्मू				
	ओ	3,68.73			
	एस	..	3,68.73	2,37.86	(-)1,30.87
<b>2701</b>	<b>मध्यम सिंचाई</b>				
04	मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक और डीएच 008-ईसी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0849	सिंचाई कश्मीर				
	ओ	18,54.59			
	एस	..	18,54.59	16,98.07	(-)1,56.52

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2701</b>	<b>मध्यम सिंचाई</b>			
04	मध्यम सिंचाई-गैर-वाणिज्यिक			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0855	सिंचाई जम्मू			
	ओ	6,28.38		मुख्यतः वेतन घटक और डीएच 008-ईसी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6,28.38	
			5,40.97	(-)87.41
612	तवी लिफ्ट सिंचाई			
0099	सामान्य			
0858	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय (जम्मू)			
	ओ	6,65.63		मुख्यतः डीएच 008-ईसी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6,65.63	
			3,80.27	(-)2,85.36
2357	हलका पंचायत			
	ओ	6.00		मुख्यतः डीएच 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6.00	
			0.03	(-)5.97
80	सामान्य			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
2360	राज्य जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण			
	ओ	1,66.91		मुख्यतः डीएच 001-वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,66.91	
			1,01.20	(-)65.71
<b>2702</b>	<b>लघु सिंचाई</b>			
80	सामान्य			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0342	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय सिंचाई जम्मू			
	ओ	48,86.05		मुख्यतः डीएच 001-वेतन घटक और डीएच 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	48,86.05	
			48,03.18	(-)82.87
0845	रवी तवी सिंचाई कॉम्प्लेक्स जम्मू			
	ओ	9,70.83		मुख्यतः डीएच 001-वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	9,70.83	
			9,42.51	(-)28.32
1448	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय सिंचाई कश्मीर			
	ओ	1,11,27.77		मुख्यतः डीएच 001-वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,11,27.77	
			1,04,31.56	(-)6,96.21
2357	हलका पंचायत			
	ओ	27.67		023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	27.67	
			9.19	(-)18.48
<b>2711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह</b>			
01	बाढ़ नियंत्रण			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0858	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय (जम्मू)			
	ओ	15,15.32		मुख्यतः डीएच 001-वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	15,15.32	
			14,46.83	(-)68.49
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर			
	ओ	33,44.38		
	एस	..	33,44.38	
			32,05.28	(-)1,39.10

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

3	यद्यपि अनुदान हेतु मांग में पृथक प्रावधान का कोई वर्णन नहीं है, तथापि व्यय मुख्य शीर्ष 2700- मुख्य सिंचाई के अधीनस्थ उप शीर्ष 0855-सिंचाई जम्मू के अंतर्गत बुक भिन्न-भिन्न नहरों पर किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:				
	नहरों/ योजना का नाम		वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)		
<b>2700</b>	<b>मुख्य सिंचाई</b>				
01	मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक				
601	रणबीर नहर		71.99		
602	प्राप नहर		12.98		
603	कठुआ फीडर नहर		8.99		
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,57,30.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 5,95,06.92 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 4,57,30.92 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4701</b>	<b>पूँजीगत परिव्यय पर मध्यम सिंचाई</b>				
04	मध्यम सिंचाई				
001	निदेशन और प्रशासन				
0011	सामान्य				
0435	सिंचाई कश्मीर				
	ओ	17,85.99			
	एस	..	17,85.99	96.98	(-)16,89.01
0855	सिंचाई जम्मू				
	ओ	7,48.03			
	एस	..	7,48.03	99.35	(-)6,48.68
612	रवी तवी सिंचाई योजना				
0011	सामान्य				
0840	सिंचाई आरटीआईसी जम्मू				
	ओ	4,06.21			
	एस	..	4,06.21	1,98.91	(-)2,07.30
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	धरातलीय जल				
0011	सामान्य				
1775	लघु सिंचाई जम्मू				
	ओ	50,27.35			
	एस	..	50,27.35	7,05.62	(-)43,21.73
1776	लघु सिंचाई कश्मीर				
	ओ	28,87.66			
	एस	..	28,87.66	7,97.80	(-)20,89.86
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1775	लघु सिंचाई जम्मू				
	ओ	18,70.06			
	एस	..	18,70.06	3,92.96	(-)14,77.10
1776	लघु सिंचाई कश्मीर				
	ओ	1,21,18.21			
	एस	..	1,21,18.21	40,92.14	(-)80,26.07

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	बाढ़ नियंत्रण			
103	सिविल निर्माण			
0011	सामान्य			
1166	बाढ़ पुनर्स्थापन कार्य			
	ओ	2,50,00.00		
	एस	..	2,50,00.00	41,15.12
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर			
	ओ	14,70.00		
	एस	..	14,70.00	5,99.20
				(-)8,70.80
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	बाढ़ नियंत्रण			
103	सिविल निर्माण			
0011	सामान्य			
1450	बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू			
	ओ	26,58.04		
	एस	..	26,58.04	5,42.21
				(-)21,15.83
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर			
	ओ	48,78.63		
	एस	..	48,78.63	16,89.24
				(-)31,89.39
1450	बाढ़ नियंत्रण जम्मू			
	ओ	6,56.14		
	एस	..	6,56.14	4,37.14
				(-)2,19.00
6	यद्यपि अनुदान हेतु मांग में नहर वार पृथक प्रावधान का कोई वर्णन नहीं है, तथापि मुख्य शीर्ष 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ उप शीर्ष 0435-सिंचाई कश्मीर के अंतर्गत भिन्न भिन्न नहरों पर किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	फसल पैदावार			
632	जैनगौर नहर			
			8.75	
7	उचंत संव्यवहार: उचंत शीर्ष के अंतर्गत राजस्व एवं पूँजीगत दोनों अनुदान में शून्य व्यय सम्मिलित है जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 तक तत्कालीन राज्य) और 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020 तक यूटी) के दौरान अनुदान में उचंत शीर्ष के अंतर्गत अथ एवं अंत शेष सहित संव्यवहारों का विश्लेषण नीचे दिया गया है।			
लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण	(31.10.2019) को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 को अंत शेष
(₹ लाख में)				
<b>2701</b>	<b>मध्यम सिंचाई-</b>			
खरीदें	(-)60.663	-	-	(-)60.663
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भण्डार	2,46.355	-	-	2,46.355
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	54.187	-	-	54.187
	शून्य	-	-	0
कार्यशाला उचंत	(-)0.270	-	-	(-)0.270
	शून्य	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>2,39.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,39.609</b>
	शून्य	-	-	-

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

लेखा का मुख्य शीर्ष/ विवरण	(31.10.2019) को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 कोन अंत शेष
(₹ लाख में)				
<b>2702-</b>	<b>लघु सिंचाई-</b>			
	खरीदें	(-)2.032	-	(-)2.032
		शून्य	-	-
	भण्डार	77.776	-	77.776
		शून्य	-	-
	विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	36.190	-	36.190
		शून्य	-	-
	कार्यशाला उचंत	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1,11.934</b>	-	<b>1,11.934</b>
		शून्य	-	-
<b>2711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह -</b>			
	खरीदें	0.110	-	0.110
		शून्य	-	-
	भण्डार	2,07.000	-	2,07.000
		शून्य	-	-
	विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	3.137	-	3.137
		शून्य	-	-
	कार्यशाला उचंत	(-)0.003	-	(-)0.003
		शून्य	-	-
	<b>कुल</b>	<b>2,10.244</b>	-	<b>2,10.244</b>
		शून्य	-	-
<b>4701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय -</b>			
	खरीदें	(-) 2,02.400	-	(-) 2,02.400
		शून्य	-	-
	भण्डार	2,96.279	-	2,96.279
		शून्य	-	-
	विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	45.391	-	45.391
		शून्य	-	-
	कार्यशाला उचंत	18.160	-	18.160
		शून्य	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1,57.430</b>	-	<b>1,57.430</b>
		शून्य	-	-
<b>4711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -</b>			
	खरीदें	-	-	-
		शून्य	-	-
	भण्डार	6.83	-	6.83
		शून्य	-	-
	विविध पी. डब्ल्यू. अग्रिम	0.12	-	0.12
		शून्य	-	-
	कार्यशाला उचंत	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>6.95</b>	-	<b>6.95</b>
		शून्य	-	-

## अनुदान संख्या 22 (समाप्त)

8	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के औजार और संयंत्र स्थापना प्रभारों की समीक्षा:- वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 और 31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में निर्माण परिव्यय हेतु औजार और संयंत्र की स्थापना पर व्यय का प्रतिशत नीचे इंगित किया गया है: (अन्य विभागों, निकायों से इतर इत्यादि हेतु किये गये निर्माण कार्यों के लिए प्राप्य पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए सन् 1955 में सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की लागत पर आधारित स्थापना प्रभारों हेतु 7.5 और 15 के बीच तथा औजार और संयंत्र प्रभारों हेतु 0.5 और 1 के बीच प्रतिशत निर्धारित किया।)				
लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2700-</b>	<b>मुख्य सिंचाई-</b>				
2019-2020	2,73.15	2,63.09	96.31	-	-
2019-2020	59.14	2,72.67	4,61.06	-	-
<b>2701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई-</b>				
2019-2020	2,83.96	36,37.85	12,81.11	-	-
2019-2020	4,39.28	22,81.26	5,19.31	-	-
लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2702-</b>	<b>लघु सिंचाई-</b>				
2019-2020	12,03.93	2,16,09.57	17,94.92	-	-
2019-2020	6,56.81	1,55,29.63	23,64.40	-	-
<b>2711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह-</b>				
2019-2020	10,92.20	53,98.48	4,94.28	-	-
2019-2020	5,76.83	40,75.28	7,06.50	-	-
<b>4701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय -</b>				
2019-2020	6,34.85	-	-	-	-
2019-2020	4,03.98	-	-	-	-
<b>4702-</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय -</b>				
2019-2020	14,75.08	-	-	-	-
2019-2020	59,88.51	-	-	-	-
<b>4711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
2019-2020	58,66.77	-	-	-	-
2019-2020	73,82.90	-	-	-	-
सूचना: बोल्ट में दर्शाये गये आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (01.04.2019 से 31.10.2019) से संबंधित हैं।					

## अनुदान संख्या 23- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2215 जल आपूर्ति और स्वच्छता

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,32,32,26		
	6,32,32,26	5,94,55,76	(-)37,76,50
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,79,19,87		
	8,79,19,87	3,65,13,55	(-)5,14,06,32
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 37,76.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,32,32.26 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 37,76.50 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2215</b>	<b>जल आपूर्ति और स्वच्छता</b>				
01	जल आपूर्ति				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर				
	ओ	2,86,52.49		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	2,86,52.49		
			2,58,19.49		
			(-)28,33.00		
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जम्मू				
	ओ	3,41,87.06			
	एस	..	3,41,87.06		
			3,32,74.93		
			(-)9,12.13		



## अनुदान संख्या 23 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2215</b>	<b>जल आपूर्ति और स्वच्छता</b>					
01	<i>जल आपूर्ति</i>					
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2357	हलका पंचायत					
	ओ	30.00				
	एस	..	30.00	3.67	(-)26.33	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,14,06.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,79,19.87 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 5,14,06.32 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4215</b>	<b>जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
01	<i>जल आपूर्ति</i>					
102	ग्रामीण जल आपूर्ति			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर					
	ओ	1,82,30.35				
	एस	..	1,82,30.35		35,64.13	(-)1,46,66.22
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू					
	ओ	1,82,39.50				
	एस	..	1,82,39.50		66,76.48	(-)1,15,63.02
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर					
	ओ	3,17,38.39				
	एस	..	3,17,38.39		1,15,53.62	(-)2,01,84.77
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू					
	ओ	1,97,11.63				
	एस	..	1,97,11.63	1,47,19.32	(-)49,92.31	
5	<b>उचंत संव्यवहार:</b> उचंत शीर्ष के अंतर्गत राजस्व एवं पूँजीगत दोनों अनुदान में शून्य व्यय सम्मिलित है जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 तक तत्कालीन राज्य) और 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020 तक यूटी) के दौरान अनुदान में उचंत शीर्ष के अंतर्गत अथ एवं अंत शेष सहित संव्यवहारों का विश्लेषण नीचे दिया गया है।					
लेखा का मुख्य शीर्ष / विवरण	31.10.2019 को अथ शेष	नामे जमाएं	खाते जमाएं	31 मार्च 2020 को अंत शेष		
(₹ लाख में)						
<b>2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता</b>						
खरीदें	<b>72.75</b>	-	-	<b>72.75</b>		
	-	-	-	-		
भण्डार	<b>24,86.62</b>	-	-	<b>24,86.62</b>		
	-	-	12,79.59	(-)12,79.59		
विविध लोक निर्माण अग्रिम	<b>2,54.75</b>	-	-	<b>2,54.75</b>		
	-	-	-	-		
कार्यशाला उचंत	<b>(-)9.94</b>	-	-	<b>(-)9.94</b>		
	-	-	-	-		
<b>कुल</b>	<b>28,04.18</b>	-	-	<b>(+)28,04.18</b>		
	-	-	12,79.59	(-)12,79.59		

## अनुदान संख्या 23 (समाप्त)

लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
खरीदें	(-) <b>6,78.11</b>	-	-	-	(-) <b>6,78.11</b>
	-	-	-	-	-
भण्डार	<b>4,05.27</b>	-	-	-	<b>4,05.27</b>
	-	-	-	-	-
विविध लोक निर्माण अग्रिम	<b>94.05</b>	-	-	-	<b>94.05</b>
	-	-	-	-	-
कार्यशाला उचंत	<b>0.01</b>	-	-	-	<b>0.01</b>
	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>(-)<b>1,78.78</b></b>	-	-	-	<b>(-)<b>1,78.78</b></b>
	-	-	-	-	-
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के औजार और संयंत्र प्रभारों की स्थापना की समीक्षा:- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019 और 31.10.2019 से 31.03.2020) के दौरान प्रतिशत, जो औजार और संयंत्र की स्थापना पर वहन किया गया, नीचे इंगित किया गया है:-				
लेखा का शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
<b>2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता</b>					
2019-2020	<b>46,76.29</b>	<b>8,78,26.63</b>	<b>18,78.12</b>	-	-
2019-2020	17,08.56	5,61,09.94	32,84.05	-	-
<b>4215- जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2019-2020	<b>1,01,44.18</b>	-	-	-	-
2019-2020	3,65,13.55	-	-	-	-
सूचना: बोर्ड में दर्शाये गये आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (01.04.2019 से 31.10.2019) से संबंधित हैं।					

**अनुदान संख्या 24- आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2059 लोक निर्माण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216 आवास

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,35,03,16		
			1,21,67,48	(-)13,35,68
		1,35,03,16		
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

मूल		61,97,30		
			47,43,90	(-)14,53,40
		61,97,30		
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,35.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,35,03.16 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 13,35.68 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0464	निवासी आयुक्त नयी दिल्ली				
	ओ	10,09.95			
	एस	..	10,09.95	8,80.63	(-)1,29.32
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>				
80	सामान्य				
103	साज-सज्जा			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 364-बाह्यस्रोतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0459	साज-सज्जा				
	ओ	4,55.66			
	एस	..	4,55.66	4,47.25	(-)8.41

## अनुदान संख्या 24 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0464	निवासी आयुक्त नयी दिल्ली				
	ओ	9,11.21			
	एस	..	9,11.21	6,57.30	(-)2,53.91
0486	व्यापार अभिकरण मुंबई			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	58.80			
	एस	..	58.80		40.37
0790	तोशखाना			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	26.14			
	एस	..	26.14		15.32
0791	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग जम्मू			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,76.93			
	एस	..	3,76.93		3,08.87
0792	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग कश्मीर			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	5,21.88			
	एस	..	5,21.88		3,51.60
0793	निदेशक आतिथ्य और प्रोटोकॉल			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,41.10			
	एस	..	4,41.10		3,08.44
<b>2216</b>	<b>आवास</b>				
05	सामान्य पूल आवास				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0583	उप निदेशक संपदा				
	ओ	18,51.76			
	एस	..	18,51.76	17,00.06	(-)1,51.70
1824	निदेशक संपदा			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,34.46			
	एस	..	4,34.46		3,24.16
053	अनुरक्षण और मरम्मत			मुख्यतः डीएच - 023-एमएण्डआर घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0481	अनुरक्षण				
	ओ	20,29.99			
	एस	..	20,29.99	12,08.56	(-)8,21.43
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण आधिक्य था; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2216</b>	<b>आवास</b>				
05	सामान्य पूल आवास				
001	निदेशन और प्रशासन			023-एमएण्डआर के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0417	संपदा प्रभाग				
	ओ	15,85.11			
	एस	..	15,85.11	21,30.38	(+)5,45.27

## अनुदान संख्या 24 (समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 14,53.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 61,97.30 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 14,53.40 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य इमारतें				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0793	निदेशक आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल				
	ओ	11,69.00			
	एस	..	11,69.00	7,58.81	(-)4,10.19
1824	निदेशक संपदा				
	ओ	50,28.30			
	एस	..	50,28.30	39,85.09	(-)10,43.21

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 25- श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2058 लेखन सामग्री और मुद्रण

2230 श्रम एवं रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		64,47,01		
		64,47,01	45,57,34	(-)18,89,67
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		46,39,65		
		46,39,65	3,50,95	(-)42,88,70
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 18,89.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 64,47.01 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 18,89.67 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1625	निदेशक लेखन सामग्री और आपूर्ति			
	ओ	1,03.24		
	एस	..	1,03.24	58.36
				(-)44.88
101	लेखन सामग्री भण्डारण का क्रय और आपूर्ति			बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः वेतन घटक तथा विस्तृत शीर्ष 048-लेखन सामग्री और मुद्रण के संबंध में अप्रयुक्त बीई।
0099	सामान्य			
1626	लेखन सामग्री विभाग जम्मू			
	ओ	3,05.59		
	एस	..	3,05.59	89.36
				(-)2,16.23

## अनुदान संख्या 25 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण</b>			
101	लेखन सामग्री भण्डारण का क्रय और आपूर्ति			
0099	सामान्य			
1627	लेखन सामग्री विभाग श्रीनगर			
	ओ	3,19.95		
	एस	..	3,19.95	87.90
				(-)2,32.05
103	सरकारी पूर्व एसएईएस			
0099	सामान्य			
1630	रणबीर सरकारी मुद्रणालय जम्मू			
	ओ	20,05.80		
	एस	..	20,05.80	17,74.75
				(-)2,31.05
1631	सरकारी मुद्रणालय श्रीनगर			
	ओ	15,35.73		
	एस	..	15,35.73	10,28.21
				(-)5,07.52
<b>2230</b>	<b>श्रम एवं रोजगार</b>			
01	<i>श्रम</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1633	श्रम आयुक्त			
	ओ	1,96.45		
	एस	..	1,96.45	95.95
				(-)1,00.50
1634	क्षेत्रीय कार्यालय श्रम			
	ओ	4,66.24		
	एस	..	4,66.24	4,23.08
				(-)43.16
102	कार्यकारी अवस्था और सुरक्षा			
0099	सामान्य			
1638	कारखाने			
	ओ	85.74		
	एस	..	85.74	41.41
				(-)44.33
1639	जिला श्रम कल्याण योजना			
	ओ	51.27		
	एस	..	51.27	30.92
				(-)20.35
1640	प्रवासी श्रम			
	ओ	1,20.45		
	एस	..	1,20.45	36.16
				(-)84.29
103	सामान्य श्रम कल्याण			
0099	सामान्य			
1645	रोजगार बीमा			
	ओ	3,99.39		
	एस	..	3,99.39	2,26.53
				(-)1,72.86
02	<i>रोजगार सेवा</i>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
1641	निदेशक रोजगार			
	ओ	5,49.39		
	एस	..	5,49.39	4,41.90
				(-)1,07.49

बीई के प्रति कम व्यय मुख्यतः वेतन घटक तथा विस्तृत शीर्ष 048-लेखन सामग्री और मुद्रण के संबंध में अप्रयुक्त बीई।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 25 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2230</b>	<b>श्रम एवं रोजगार</b>					
02	रोजगार सेवा					
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
1642	रोजगार कार्यालय					
	ओ	3,07.77				
	एस	..	3,07.77	2,24.55	(-)83.22	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 42,88.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 46,39.65 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 42,88.70 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
103	सरकारी मुद्रणालय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई से संबंधित कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1630	सरकारी मुद्रणालय जम्मू					
	ओ	3,47.97				
	एस	..	3,47.97	1,20.83	(-)2,27.14	
1631	सरकारी मुद्रणालय श्रीनगर			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई से संबंधित कम व्यय।		
	ओ	2,05.20				
	एस	..	2,05.20		95.34	(-)1,09.86
<b>4250</b>	<b>अन्य विशेष सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
201	श्रम			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई से संबंधित कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1903	श्रम					
	ओ	2,62.61				
	एस	..	2,62.61		60.72	(-)2,01.89
203	रोजगार					
0011	सामान्य					
1642	रोजगार कार्यालय					
	ओ	1,05.04				
	एस	..	1,05.04		46.20	(-)58.84
1904	रोजगार					
	ओ	37,12.02				
	एस	..	37,12.02	25.70	(-)36,86.32	



## अनुदान संख्या 26- मत्स्यपालन विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
2405 मत्स्यपालन

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		42,68,18		
			42,68,18	39,06,89
पूरक	..			(-)3,61,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष  
4405 मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		25,97,77		
			25,97,77	6,91,48
पूरक	..			(-)19,06,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,61.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 42,68.18 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 3,61.29 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-) अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2405</b>	<b>मत्स्यपालन</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0997	निदेशक मत्स्यपालन			
	ओ	32,54.63		मुख्यतः वेतन घटक से संबंधित बीई के संबंध में कम व्यय।
	एस	..	32,54.63	
			29,97.52	
1000	उप निदेशक मत्स्यपालन			
	ओ	10,13.55		मुख्यतः वेतन घटक से संबंधित बीई के संबंध में कम व्यय।
	एस	..	10,13.55	
			9,09.37	(-)1,04.18
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>				
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 19,06.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 25,97.77 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 19,06.29 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			

## अनुदान संख्या 26 (समाप्त)

4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई से संबंधित कम व्यय।
0011	सामान्य				
0904	भवन निर्माण कार्यक्रम				
	ओ	7,04.65			
	एस	..	7,04.65	4,05.83	(-)2,98.82
5	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		
				(₹ लाख में)	
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2462	नीली क्रांति			60.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2462	नीली क्रांति			18,33.12	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किये गये; जिनके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
				(₹ लाख में)	
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0910	अंतर्देशीय मत्स्यपालन			2,85.65	

## अनुदान संख्या 27- उच्चतर शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2203 तकनीकी शिक्षा

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	6,78,81,80		
	6,78,81,80	5,84,00,07	(-)94,81,73
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	1,07,70,00		
	1,07,70,00	1,37,35,92	(+)29,65,92
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 94,81.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,78,81.80 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 94,81.73 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान			
0099	सामान्य			
0534	सरकारी डिग्री महाविद्यालय			
	ओ	3,45,65.84		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	3,45,65.84	
			2,62,47.10	(-)83,18.74
2507	प्रधानाचार्य जीसीईटी सफापोरा, गांदरबल			
	ओ	6,87.86		जीआईए घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6,87.86	
			1,25.99	(-)5,61.87
2510	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट-सह-छात्रवृत्ति			
	ओ	1,50.00		जीआईए घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	1,50.00	
			75.00	(-)75.00
2511	वास्तुकला विद्यालय			
	ओ	68.74		
	एस	..	68.74	
			34.37	(-)34.37

## अनुदान संख्या 27 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2207	प्रधानाचार्य जीसीईटी जम्मू				
	ओ	12,81.86			
	एस	..	12,81.86	7,90.10	(-)4,91.76
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,07,70.00 लाख का मूल प्रावधान ₹ 29,65.92 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से अल्प साबित हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	<i>सामान्य शिक्षा</i>				
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0011	सामान्य				
0297	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
	ओ	1,07,70.00			
	एस	..	1,07,70.00	1,37,35.92	(+)29,65.92

## अनुदान संख्या 28- ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
मूल		3,10,84,36		
			2,31,93,96	(-)78,90,40
		3,10,84,36		
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल		20,09,97,66		
			6,84,13,46	(-)13,25,84,20
		20,09,97,66		
पूरक		..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 78,90.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,10,84.36 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 78,90.40 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				

<b>2236</b>	<b>पोषण</b>			
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1839	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू			
	ओ	4,58.04		
	एस	..	4,58.04	2,71.29
				(-)1,86.75
<b>2501</b>	<b>ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>			
02	सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0003	आईआरडीपी जम्मू			
	ओ	15,04.93		
	एस	..	15,04.93	9,17.54
				(-)5,87.39
0004	आईआरडीपी कश्मीर			
	ओ	12,79.28		
	एस	..	12,79.28	7,87.92
				(-)4,91.36

## अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2501</b>	<b>ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>			
02	सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0230	ग्रामीण स्वच्छता			
	ओ	1,22.47		
	एस	..	1,22.47	1,01.60
				(-)20.87
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0029	सहायक आयुक्त विकास (कश्मीर)			
	ओ	89.71		
	एस	..	89.71	47.47
				(-)42.24
0055	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओएस (कश्मीर)			
	ओ	42,58.80		
	एस	..	42,58.80	32,75.94
				(-)9,82.86
0105	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओएस (जम्मू)			
	ओ	35,55.93		
	एस	..	35,55.93	31,78.33
				(-)3,77.60
102	सामुदायिक विकास			
0099	सामान्य			
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर			
	ओ	1,06,83.80		
	एस	..	1,06,83.80	74,44.91
				(-)32,38.89
0111	निदेशक ग्रामीण विकास (जम्मू)			
	ओ	2,39.12		
	एस	..	2,39.12	1,36.10
				(-)1,03.02
0118	निदेशक ग्रामीण विकास (कश्मीर)			
	ओ	2,59.19		
	एस	..	2,59.19	1,18.40
				(-)1,40.79
0376	सामुदायिक विकास और पंचायत जम्मू			
	ओ	29,89.11		
	एस	..	29,89.11	27,58.02
				(-)2,31.09
800	अन्य व्यय			
0099	सामान्य			
0097	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग (जम्मू)			
	ओ	11,56.49		
	एस	..	11,56.49	9,97.31
				(-)1,59.18
0099	जिला पंचायत अधिकारी जम्मू			
	ओ	14,01.17		
	एस	..	14,01.17	13,13.75
				(-)87.42
0487	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर			
	ओ	6,22.97		
	एस	..	6,22.97	3,73.68
				(-)2,49.29
0548	जिला पंचायत अधिकारी कश्मीर			
	ओ	22,63.91		
	एस	..	22,63.91	6,94.24
				(-)15,69.67

**अनुदान संख्या 28 (जारी)**

3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
2357	हलका पंचायत		12.00	
101	पंचायती राज			
0099	सामान्य			
1519	पंचायत चुनाव		35.00	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत व्यय बजटीय प्रावधान के बिना किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित (नवंबर 2020) नहीं किये गये थे।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
			(₹ लाख में)	
<b>2501</b>	<b>ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>			
02	सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
001	निदेशन और प्रशासन			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1956	डी आर डी ए		6,33.29	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>				
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,25.84.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 20,09,97.66 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 13,25.84.20 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
102	सामुदायिक विकास			
0011	सामान्य			
0230	ग्रामीण स्वच्छता			
	ओ	30,00.00		
	एस	..	30,00.00	13,88.78
				(-)16,11.22
0384	सामुदायिक विकास जम्मू			
	ओ	1,16,68.00		
	एस	..	1,16,68.00	8,24.83
				(-)1,08,43.17
0704	सामुदायिक विकास कश्मीर			
	ओ	62,67.02		
	एस	..	62,67.02	4,67.32
				(-)57,99.70
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0230	ग्रामीण स्वच्छता			
	ओ	3,00,00.00		
	एस	..	3,00,00.00	42,95.04
				(-)2,57,04.96

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

## अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
103	ग्रामीण विकास			
0011	सामान्य			
2496	आरयूआरबीएएन			
	ओ	1,50.00		
	एस	..	1,50.00	90.00
				(-)60.00
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2377	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान			
	ओ	54,93.27		
	एस	..	54,93.27	2,77.00
				(-)52,16.27
2468	पी एम के एस वार्ड			
	ओ	3,00,00.00		
	एस	..	3,00,00.00	40,77.00
				(-)2,59,23.00
2496	आरयूआरबीएएन			
	ओ	13,63.64		
	एस	..	13,63.64	8,10.00
				(-)5,53.64
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए)			
	ओ	2,00,00.00		
	एस	..	2,00,00.00	83,45.79
				(-)1,16,54.21
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
	ओ	21,00.00		
	एस	..	21,00.00	1,11.94
				(-)19,88.06
2468	पी एम ए वार्ड			
	ओ	47,72.73		
	एस	..	47,72.73	14,11.11
				(-)33,61.62
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
	ओ	3,00,00.00		
	एस	..	3,00,00.00	2,18,18.70
				(-)81,81.30
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
	ओ	1,45,67.00		
	एस	..	1,45,67.00	11,19.36
				(-)1,34,47.64
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
103	ग्रामीण विकास			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2473	हिमायत			
	ओ	50,00.00		
	एस	..	50,00.00	2,33,76.59
				(+)1,83,76.59
विस्तृत शीर्ष-115 के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।				



## अनुदान संख्या 28 (समाप्त)

8	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय</b>		
101	पंचायती राज		
0099	सामान्य		
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर	3,00,00.00	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0871	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	5,00.00	
2377	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	11,16.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0871	एकीकृत वाटरशेड विकास	50,00.00	

## अनुदान संख्या 29- परिवहन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	64,38,07		
	64,38,07	41,06,31	(-)23,31,76
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

7055 सड़क परिवहन हेतु ऋण

<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,13,66,60		
	1,13,66,60	81,98,38	(-)31,68,22
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 23,31.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 64,38.07 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 23,31.76 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन एवं जीआईए घटक के संबंध बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय				
	ओ	27,47.53			
	एस	..	27,47.53	14,31.33	(-)13,16.20
101	संग्रहण प्रभार			मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 006-दूरभाष के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0373	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर				
	ओ	6,30.72			
	एस	..	6,30.72	3,66.66	(-)2,64.06

## अनुदान संख्या 29 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>				
101	संग्रहण प्रभार			मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0395	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू				
	ओ	5,34.32			
	एस	..	5,34.32	3,61.87	(-),1,72.45
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
114	परिवहन का क्रय और अनुरक्षण			मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 014-पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0393	मोटर गराज				
	ओ	25,25.50			
	एस	..	25,25.50	19,46.53	(-),5,78.97
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 31,68.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,13,66.60 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 31,68.22 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य इमारतें</i>				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0255	राज्य मोटर गराज				
	ओ	5,74.18			
	एस	..	5,74.18	93.45	(-),4,80.73
<b>5055</b>	<b>सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय				
	ओ	2,39.09			
	एस	..	2,39.09	53.60	(-),1,85.49
5	पूरे वर्ष में निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>5055</b>	<b>सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
102	बेड़े का अधिग्रहण				
0011	सामान्य				
1317	बेड़े के प्रतिस्थापन हेतु सहायिकी			25,00.00	

**अनुदान संख्या 30- जनजातीय मामले विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
			(₹ हजार में)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	40,32,32		
	40,32,32	25,32,20	(-)15,00,12
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

मूल	86,43,48		
	86,43,48	14,17,03	(-)72,26,45
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,00.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 40,32.32 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 15,00.12 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)	
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>				
02	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
277	शिक्षा			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 079-वजीफा एवं छात्रवृत्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1829	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति				
	ओ	10,48.29			
	एस	..	10,48.29	3,11.95	
				(-)7,36.34	
03	<i>पिछड़े वर्ग का कल्याण</i>				
102	आर्थिक विकास			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0442	गुज्जर एवं बकरवालों हेतु सलाहकार बोर्ड				
	ओ	60.11			
	एस	..	60.11	20.49	
				(-)39.62	
1796	गुज्जर एवं बकरवालों का कल्याण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	17,41.84			
	एस	..	17,41.84		16,55.51
				(-)86.33	
2253	निदेशक जनजातीय मामले				
	ओ	7,09.02			
	एस	..	7,09.02	5,44.25	
				(-)1,64.77	

**अनुदान संख्या 30 (समाप्त)**

3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>				
02	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
277	शिक्षा				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1444	अल्पसंख्यक समुदाय हेतु पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति		4,73.06		
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 72,26.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 86,43.48 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 72,26.45 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1814	जनजातीय उप योजना				
	ओ	2,00.00			
	एस	..	2,00.00	49.38	(-)1,50.62
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1814	जनजातीय उप योजना				
	ओ	4,25.00			
	एस	..	4,25.00	3,83.10	(-)41.90
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण जम्मू				
	ओ	1,27.73			
	एस	..	1,27.73	17.19	(-)1,10.54
2518	जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएटीओटीएसएस)				
	ओ	78,90.75			
	एस	..	78,90.75	9,67.36	(-)69,23.39

विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।

### अनुदान संख्या 31- संस्कृति विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला और संस्कृति

3452 पर्यटन

3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	30,56,65		
		30,56,65	(-)8,32,85
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	13,80,92		
		13,80,92	(-)7,88,70
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,32.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 30,56.65 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 8,32.85 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
80	सामान्य			
004	अनुसंधान			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0278	अनुसंधान और प्रकाशन (कश्मीर)			
	ओ	2,13.95		
	एस	..	2,13.95	(-)67.68
<b>2205</b>	<b>कला और संस्कृति</b>			
102	कला और संस्कृति का प्रोत्साहन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0555	कला, संस्कृति और भाषा अकादमी को अनुदान			
	ओ	12,45.00		
	एस	..	12,45.00	(-)2,49.00
104	अभिलेखागार			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0272	अभिलेखागारों का विकास			
	ओ	6,36.57		
	एस	..	6,36.57	(-)2,77.35

## अनुदान संख्या 31 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2205</b>	<b>कला और संस्कृति</b>				
105	सार्वजनिक पुस्तकालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0221	सरकारी पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष जम्मू				
	ओ	7,72.38			
	एस	..	7,72.38	6,14.94	(-)1,57.44
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
01	पर्यटक अवसंरचना				
800	अन्य व्यय			मुख्यतः सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2299	मुबारक मण्डी जम्मू दाय सोसाइटी				
	ओ	1,10.00			
	एस	..	1,10.00	66.00	(-)44.00
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>				
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
110	राजपत्र एवं सांख्यिकीय संस्मरण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0468	राज्य राजपत्र				
	ओ	78.75			
	एस	..	78.75	41.37	(-)37.38
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,88.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 13,80.92 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 7,88.70 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
04	कला और संस्कृति				
104	अभिलेखागार			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय	
0011	सामान्य				
0272	अभिलेखागार का विकास				
	ओ	4,55.38			
	एस	..	4,55.38	1,93.49	(-)2,61.89
105	सार्वजनिक पुस्तकालय				
0011	सामान्य				
1890	पुस्तकालय निदेशालय				
	ओ	2,82.50			
	एस	..	2,82.50	1,98.73	(-)83.77
5	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
04	कला और संस्कृति				
106	संग्रहालय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0117	कला, संस्कृति और संग्रहालय				
			4,43.04		

## अनुदान संख्या 32- उद्यान कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2401 फसल पैदावार

2435 अन्य कृषिगत कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ हजार में)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	77,67,38		
	77,67,38	53,40,87	(-)24,26,51
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,87,22,19		
	3,87,22,19	1,64,42,09	(-)2,22,80,10
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,26.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 77,67.38 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 24,26.51 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी, जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)
<b>2236 पोषण</b>				
02 पोषक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण				
800 अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099 सामान्य				
0063 सामुदायिक कैनिंग एवं फल संरक्षण केन्द्र, कश्मीर				
ओ	1,37.90			
एस	..	1,37.90	1,09.28	
2313 सामुदायिक कैनिंग एवं फल संरक्षण केन्द्र, जम्मू				
ओ	1,51.92			
एस	..	1,51.92	85.82	(-)66.10
<b>2401 फसल पैदावार</b>				
119 उद्यान कृषि और सब्जी फसलें				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099 सामान्य				
0244 निदेशन और प्रशासन				
ओ	33,62.58			
एस	..	33,62.58	25,38.21	(-)8,24.37



## अनुदान संख्या 32 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>					
119	उद्यान कृषि और शाक फसलें			मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 046- वाहनों का क्रय के संबंध बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
2088	निदेशक उद्यान कृषि जम्मू					
	ओ	21,48.24				
	एस	..	21,48.24	12,97.70	(-)8,50.54	
2249	विभागीय उद्यानों और नर्सरियों का अनुरक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	3,90.18				
	एस	..	3,90.18		1,84.99	(-)2,05.19
<b>2435</b>	<b>अन्य कृषिगत कार्यक्रम</b>					
01	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण					
101	विपणन सुविधाएं			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0612	उद्यान कृषि और विपणन					
	ओ	15,76.56				
	एस	..	15,76.56	11,25.00	(-)4,51.56	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,22,80.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,87,22.19 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 2,22,80.10 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
119	उद्यान कृषि और शाक फसलें			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
2088	निदेशक उद्यान कृषि जम्मू					
	ओ	27.76				
	एस	..	27.76		2.53	(-)25.23
2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन					
	ओ	6,25.46				
	एस	..	6,25.46		1,26.97	(-)4,98.49
2450	क्षतिग्रस्त उद्यान कृषि क्षेत्रों का पुनः स्थापन					
	ओ	6,55.78				
	एस	..	6,55.78		1,95.33	(-)4,60.45
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन					
	ओ	9,33.95				
	एस	..	9,33.95		3,09.02	(-)6,24.93
2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन					
	ओ	2,32,73.48				
	एस	..	2,32,73.48	92,35.65	(-)1,40,37.83	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0222	उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम (कश्मीर)					
	ओ	75,21.39				
	एस	..	75,21.39	49,24.85	(-)25,96.54	

## अनुदान संख्या 32 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0281	एच.पी.एम.सी					
	ओ	1,50.00				
	एस	..	1,50.00	75.00	(-)75.00	
0612	उद्यान कृषि योजना और विपणन			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	12,88.39				
	एस	..	12,88.39		7,56.57	(-)5,31.82
2303	उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम जम्मू					
	ओ	18,42.26				
	एस	..	18,42.26	8,16.16	(-)10,26.10	
5	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ			
(₹ लाख में)						
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1191	शीत भण्डारण			9,72.24		
2472	सोलर ड्रायर्स			14,31.48		

**अनुदान संख्या 33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल		4,13,23,84		
		4,13,23,84	3,08,78,99	(-)1,04,44,85
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल		1,51,70,20		
		1,51,70,20	2,83,77	(-)1,48,86,43
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,04,44.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,13,23.84 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,04,44.85 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक और विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	5,60.49			
	एस	..	5,60.49	(-)1,15.82	
117	आंतरिक सुरक्षा			मुख्यतः वेतन घटक और रोकड़ सहायता के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0872	अन्य योजनाएं				
	ओ	10,06.30			
	एस	..	10,06.30	(-)4,09.91	
1057	प्रवासियों पर व्यय			मुख्यतः वेतन घटक और खाद्यान्न तथा सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,87,63.76			
	एस	..	2,87,63.76		(-)98,66.70
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
<i>01</i>	<i>पुनर्वास</i>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1064	प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय जम्मू				
	ओ	31.47			
	एस	..	31.47	(-)14.36	

**अनुदान संख्या 33 (जारी)**

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2245</b>	<b>प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत</b>				
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1073	मुख्य कार्यकारी अधिकारी				
	ओ	56.06			
	एस	..	56.06	(-)27.07	
102	प्राकृतिक आपदा, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			कोई वित्त शीर्ष अभिलेखबद्ध नहीं किया गया।	
2334	आपदा प्रबंधन				
	ओ	55.76			
	एस	..	55.76		44.78
				(-)10.98	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,48,86.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,51,70.20 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,48,86.43 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
<i>01</i>	<i>पुनर्वास</i>				
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
2165	पुनर्वास				
	ओ	76,55.20			
	एस	..	76,55.20		29.05
					(-)76,26.15
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2165	पुनर्वास				
	ओ	75,15.00			
	एस	..	75,15.00	2,54.72	
				(-)72,60.28	
5	<b>राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ):-</b>				
1 अप्रैल 2010 से प्रभावी "13वें वित्त आयोग" की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अंतर्गत एक अलग राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, 122- राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया गया है। कथित निधि के गठन तथा प्रशासन के लिए योजना के अनुसार, भारत सरकार राज्य द्वारा 10 प्रतिशत के योगदान के साथ 90 प्रतिशत का योगदान करेगी। संबंधित लेखा वर्षों की अनुदान मांगों के प्रति उचित प्रावधान करने के बाद मुख्य शीर्ष 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि से निधि लेखे में हस्तांतरण के द्वारा क्रेडिट प्रभावित होता है हालांकि, वर्ष 2019-20 हेतु 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निधि से निम्नलिखित योगदान किया गया है।					
वर्ष 2019-20 के दौरान निधि एवं निवेश का विवरण निम्नलिखित है:					
<b>निधि का विवरण</b>		<b>8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि 122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि</b>			
		<b>(₹ करोड़ में)</b>			
31.10.2019 को अथ शेष (राज्य)		<b>12,71.48</b>			
यूटी जेएण्डके		शून्य			
2019-2020 के दौरान प्राप्तियाँ [31.10.2019 से 31.03.2020]		1,08.50			
ब्याज		25.91			
2019-2020 के दौरान संवितरण [31.10.2019 से 31.03.2020]		3,11.32			
31.03.2020 को अंत शेष		<b>12,71.48</b>			
		<b>(-)1,76.91</b>			

## अनुदान संख्या 33 (समाप्त)

<b>निवेश का विवरण</b>	
31.10.2019 को अथ शेष	<b>10.86</b>
2019-2020 के दौरान निवेश [31.10.2019 से 31.03.2020 तक]	शून्य
निधि से आहरण	शून्य
31.03.2020 को अंत शेष	<b>10.86</b>
<b>बोल्ड</b> में दर्शाये गये आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित हैं। ₹ 3,11.32 करोड़ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत से प्राप्त ₹ 80.81 करोड़ और मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि से प्राप्त ₹ 2,30.51 करोड़ सम्मिलित हैं।	

## अनुदान संख्या 34- युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

2230 श्रम एवं रोजगार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
मूल	2,75,57,29		
		2,75,57,29	(-)61,40,39
प्रक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	49,05,31		
		49,05,31	(-)27,61,91
प्रक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 61,40.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,75,57.29 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 61,40.39 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			जीआई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0432	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड				
	ओ	59.50			
	एस	..	59.50	35.70	(-)23.80
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय			वेतन, एमएण्डई और 071-चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	37,36.56			
	एस	..	37,36.56		35,53.68

## अनुदान संख्या 34 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			वेतन, टी.ई, मानदेय और संगोष्ठियों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0244	निदेशन और प्रशासन				
	ओ	2,00,56.16			
	एस	..	2,00,56.16	1,70,66.38	(-)29,89.78
<b>2230</b>	<b>श्रम एवं रोजगार</b>				
02	<b>रोजगार सेवा</b>				
001	निदेशन और प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण				
	ओ	4,44.04			
	एस	..	4,44.04	3,62.57	(-)81.47
3	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
			(₹ लाख में)		
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>				
101	शारीरिक शिक्षा			28,56.28	
0099	सामान्य				
0949	सहायता अनुदान खेल परिषद				
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 27,61.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 49,05.31 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 27,61.91 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
201	प्रारंभिक शिक्षा			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
1427	शारीरिक शिक्षा				
	ओ	16,90.93			
	एस	..	16,90.93	13,28.76	(-)3,62.17
02	<b>तकनीकी शिक्षा</b>				
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
1551	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान (जीसीईटी)				
	ओ	15,28.79			
	एस	..	15,28.79	3,61.86	(-)11,66.93

## अनुदान संख्या 34 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4250</b>	<b>अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
203	रोजगार			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण			
	ओ	4,00.49		
	एस	..	4,00.49	
			29.35	(-)3,71.14
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण			
	ओ	8,11.58		
	एस	..	8,11.58	
			4,23.42	(-)3,88.16
6	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	तकनीकी शिक्षा			
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय		4,73.52	



**अनुदान संख्या 35- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

**3435 ऊर्जा और पर्यावरण**

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,07,49		
	6,07,49	4,14,77	(-)1,92,72
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

**5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय**

<b>दत्तमत</b>			
मूल	31,12,06		
	31,12,06	1,57,40	(-)29,54,66
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियाँ

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,92.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,07.49 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 1,92.72 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।					
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>3435 ऊर्जा और पर्यावरण</b>						
04	<i>प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण</i>					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2172	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु अपर निदेशक परिषद					
	ओ	1,16.63			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	1,16.63	95.84		(-)20.79
2173	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएकेईडीए					
	ओ	4,90.86				
	एस	..	4,90.86	3,18.93	(-)1,71.93	

**पूँजीगत अनुभाग**

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 29,54.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 31,12.06 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 29,54.66 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
---	--	--	--	--	--

## अनुदान संख्या 35 (समाप्त)

4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
0868	वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान					
	ओ	3,10.00				
	एस	..	3,10.00	1,57.31		(-)1,52.69
1700	ऊर्जा के नये नवीकरणीय स्रोत					
	ओ	12,13.50				
	एस	..	12,13.50	0.09		(-)12,13.41
5	दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।					
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)					
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0868	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			15,88.56		

## अनुदान संख्या 36- सहकारी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2425 सहकारिता

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	41,98,36		
		41,98,36	(-)20,97,66
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,21,50		
		4,21,50	(-)86,30
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 20,97.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 41,98.36 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 20,97.66 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2425</b>	<b>सहकारिता</b>			
001	निदेशन और प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0244	निदेशन और प्रशासन			
	ओ	24,65.32		
	एस	..	24,65.32	14,74.82
				(-)9,90.50
101	सहकारिताओं की लेखापरीक्षा			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1493	सहकारी लेखापरीक्षा			
	ओ	11,08.04		
	एस	..	11,08.04	4,00.88
				(-)7,07.16
108	अन्य सहकारिताओं को सहायता			मुख्यतः सहायता अनुदान घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
2174	पंजीयक सहकारी			
	ओ	6,25.00		
	एस	..	6,25.00	2,25.00
				(-)4,00.00

## अनुदान संख्या 36 (समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग					
3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 86.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,21.50 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य के रूप में साबित हुआ। ₹ 86.30 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित (नवंबर 2020) नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4425</b>	<b>सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
190	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			विस्तृत शीर्ष 115-निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0369	लोक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश				
	ओ	4,21.50			
	एस	..	4,21.50	3,35.20	(-)86.30

---

परिशिष्ट

---



## परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय
दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि हेतु आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किये गये व्यय की निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

शून्य

परिशिष्ट-			
वसूलियों के संबंध में अनुमानों एवं वास्तविकताओं का अनुदान-वार			
विवरण			
(को संदर्भित			
अनुदान का नाम और संख्या		बजट प्राक्कलन	
		राजस्व	पूँजीगत
		(₹ हजार में)	
12	कृषि विकास	-	15,16,00
14	ग्रामीण विकास	21,57,00	
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	-	-
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	59,88,33	-
	<b>कुल</b>	<b>81,45,33</b>	<b>15,16,00</b>



II			
व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित			
पृष्ठ xv पर)			
वास्तविक		बजट अनुमानों से तुलना किये गये वास्तविक	
राजस्व	पूँजीगत	अधिक (+)	अधिक (+)
		कम (-)	कम (-)
		राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)			
-	4,79,06	-	(-)10,36,94
		(-)21,57,00	
-	2,61,62	-	(+)2,61,62
12,79,61	-	(-)47,08,72	-
<b>12,79,61</b>	<b>7,40,68</b>	<b>(-)68,65,72</b>	<b>(-)7,75,32</b>



**अनुभाग-ख**

**संघ शासित क्षेत्र लद्दाख**



विनियोग लेखाओं का सारांश								
अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत का प्रतिशत/ आधिक्य			
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)	
					2019-20 31.10.2019 to 31.03.2020		2019-20 31.10.2019 to 31.03.2020	
(₹ हजार में)								
1	सामान्य प्रशासन विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत				-	..	-	
	प्रभारित	11,58,20	6,18,07	5,40,13		..	47	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	6,00,00	..	6,00,00	-	..	..	100
2	गृह विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	50,12,11	46,26,90	3,85,21	-	..	8	-
	पूँजीगत							
	दत्तमत	7,35,99	3,26,52	4,09,47	-	..	..	56
3	योजना विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	44,61	27,54	17,07	-	..	38	-
	पूँजीगत							
	दत्तमत	25,77,26	..	25,77,26	-	..	..	100
5	लदाख मामले विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	9,26,14,72	6,10,58	9,20,04,14	-	..	99	-
	पूँजीगत							
	दत्तमत	38,75,17,24	2,29,82	38,72,87,42	-	..	..	99.93
6	विद्युत विकास विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	1,40,14	..	1,40,14	-	..	100	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	68,09,63	..	68,09,63	-	..	..	100
7	शिक्षा विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	32,69,79	..	32,69,79	-	..	100	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	9,24,15	1,77	9,22,38	-	..	..	100
8	वित्त विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	32,76,07	74,09,38	-	41,33,31 (41,33,30,986)	..	126	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	5,14,13	..	5,14,13	-	..	..	100

टिप्पणी:- कोष्ठकों में सभी आँकड़े रुपये को इंगित करते हैं।

विनियोग लेखाओं का सारांश- (जारी)									
अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत का प्रतिशत/ आधिक्य				
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)		
					2019-20 31.10.2019 to 31.03.2020		2019-20 31.10.2019 to 31.03.2020		
(₹ हजार में)									
10	विधि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	12,54,91	14,00,03	-	1,45,12 (1,45,11,573)	..	12		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,81	45	1,36	-			..	75
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,22,35	17,74	1,04,61	-	..	85		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	63,13,50	..	63,13,50	-			..	100
12	कृषि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	40,13	..	40,13	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	35,27,47	..	35,27,47	-			..	100
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग-								
	पूँजीगत								
	दत्तमत	36,97	15,27	21,70	-			..	59
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग-								
	पूँजीगत								
	दत्तमत	15,51,30	3,21,00	12,30,30	-			..	79
16	लोक निर्माण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,51,06	..	1,51,06	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,50,90,36	15,46,77	1,35,43,59	-			..	90
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,26,23	..	1,26,23	-	..	100		
18	समाज कल्याण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	25,10,73	4,29,94	20,80,79	-	..	83		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	99,44	..	99,44	-			..	100

टिप्पणी:- कोष्ठकों में सभी आँकड़े रुपये को इंगित करते हैं।

विनियोग लेखाओं का सारांश- (जारी)									
अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत का प्रतिशत/ आधिक्य				
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)		
					2019-20	31.10.2019 to 31.03.2020	2019-20	31.10.2019 to 31.03.2020	2019-20
(₹ हजार में)									
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,50,00	..	1,50,00	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	19,19,00	..	19,19,00	-			..	100
20	पर्यटन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	5,46,09	..	5,46,09	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	6,35,00	..	6,35,00	-			..	100
21	वन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,47,95	..	1,47,95	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	63,69		63,69				..	100
22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग-								
	पूँजीगत								
	दत्तमत	48,51,29	69,08	47,82,21	-			..	99
25	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग-								
	पूँजीगत								
	दत्तमत	4,00	..	4,00	-			..	100
26	मत्स्यपालन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	63,89	..	63,89	-	..	100		
27	उच्चतर शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	3,47,98	..	3,47,98	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,73,99	..	1,73,99	-			..	100
28	ग्रामीण विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,71,29	..	1,71,29	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,71,90,75	..	2,71,90,75	-			..	100
29	परिवहन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,99,08	..	2,99,08	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,15,00	..	2,15,00	-			..	100

विनियोग लेखाओं का सारांश- (जारी)									
अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत का प्रतिशत/ आधिक्य				
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)		
					2019-20	31.10.2019 to 31.03.2020	2019-20	31.10.2019 to 31.03.2020	31.03.2020
(₹ हजार में)									
30	जनजातीय मामले विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	32,26	..	32,26	-	..	100		
31	संस्कृति विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,88,86	25	2,88,61	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,91,12	..	1,91,12	-			..	100
32	उद्यान कृषि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	8,15	..	8,15	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,86,39	..	1,86,39	-			..	100
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	6,77,00	..	6,77,00	-	..	100		
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	11,10,40	..	11,10,40	-	..	100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	97,02	5,00	92,02	-			..	95
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,00	..	1,00	-	..	100		
36	सहकारी विभाग-								
	पूँजीगत								
	दत्तमत	8,50	..	8,50	-			..	100
<b>कुल:</b>									
	राजस्व-								
	दत्तमत-	11,24,06,80	1,45,22,36	10,21,62,87	42,78,43				
	प्रभारित	11,58,20	6,18,07	5,40,13					
	पूँजीगत-								
	दत्तमत-	46,18,35,00	25,15,68	45,93,19,32	..				
	प्रभारित			..	..				



विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)		
निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों पर आधिकार्यों के नियमितीकरण की आवश्यकता है:		
<b>राजस्व भाग</b>		
08	वित्त विभाग	
10	विधि विभाग	

उपर्युक्त संदर्भित वसूलियों का विवरण "परिशिष्ट II" में दिया गया है।

**विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)**

जैसा कि अनुदान और प्रभारित विनियोग सकल राशियों के व्यय के लिए आवश्यक है, उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित वसूली सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2019-20 (31.10.2019 से 31.03.2020) के लिए विनियोग लेखाओं में प्रदर्शित कुल व्यय तथा उस वर्ष के लिए वित्त लेखाओं के मध्य मिलान नीचे दिया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
कुल व्यय विनियोग लेखे	6,18,07	-	1,45,22,36	25,15,68
परिशिष्ट-II में दर्शायी गयी वसूलियों की कटौती	-	-	-	56.85
वित्त लेखे की विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	6,18,07	-	1,45,22,36	24,58,83

**अनुदान संख्या 1- सामान्य प्रशासन विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
<b>प्रभारित</b>			
मूल	11,58,20		
		11,58,20	6,18,07
अनुपूरक	..		(-)5,40,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

5452

पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ लाख में)		
मूल	6,00,00		
		6,00,00	-
अनुपूरक	..		(-)6,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**प्रभारित अनुभाग**

1	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹5,40.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹11,58.20 लाख का मूल अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹5,40.13 लाख की बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2012</b>					
<b>03</b> राज्यपाल/ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक					
090	सचिवालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष आरआरटी तथा एमएण्डआर के अंतर्गत शून्य व्यय।	
0099	सामान्य				
0462	लद्दाख सचिवालय				
	ओ	6,94.10			
	एस	..	6,94.10	2,85.70	
				(-)4,08.40	
0470	एलजी कार्यालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और विस्तृत शीर्ष एमएण्डआर तथा फर्नीचर के अंतर्गत शून्य व्यय।	
	ओ	4,64.10			
	एस	..	4,64.10		3,32.37
				(-)1,31.73	

**पूँजीगत अनुभाग**

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान ₹6,00.00 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग			
(₹ लाख में)				
<b>5452</b> पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय				
80	सामान्य			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0270	नागरिक उड्डयन	6,00.00		

## अनुदान संख्या 2- गृह विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	50,12,11		46,26,90
		50,12,11	
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,35,99		
		7,35,99	3,26,52
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹3,85.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹50,12.11 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹3,85.21 लाख की बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
104	विशेष पुलिस				
0099	सामान्य				
1358	आई आर पी बटालियन				
	ओ	11,58.25			
	एस	..	11,58.25	11,58.13	(-)0.12
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0957	आंतरिक सुरक्षा				
	ओ	4,30.00			
	एस	..	4,30.00	3,48.43	(-)81.57
मानदेय और पारिश्रमिक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।					

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
2055	<b>पुलिस</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
0789	महानिदेशक पुलिस				
	ओ	26.30			
	एस	..	26.30	26.88	(+)0.58
109	जिला पुलिस				
0099	सामान्य				
0754	कार्यकारी बल कश्मीर रेन्ज				मुख्यतः ओई और आरआरटी घटक के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	30,79.5			
	एस	..	30,79.50	30,93.46	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)				
2070	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
106	नागरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन			15.83	
107	होम गार्ड्स				
0099	सामान्य				
1702	होम गार्ड्स का पुनः सक्रियण			75.55	
2156	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल			94.37	
108	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण				
0099	सामान्य				
0749	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण			78.85	
2235	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
02	समाज कल्याण				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन			53.46	

## अनुदान संख्या 2 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹4,09.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹7,35.99 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹4,09.47 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
207	राज्य पुलिस				
0099	सामान्य				
0740	आंतरिक सुरक्षा				
	ओ	6,45.00			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	6,45.00	3,26.52	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4055</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
207	राज्य पुलिस				
0099	सामान्य				
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण		8.00		
1158	आईआरपी बटालियन		20.00		
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य भवन				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2340	एनएफबी गृह		62.99		
8	वर्ष 2014-15 से योजना/ गैर-योजना व्यय के रूप में नामपद्धति की समाप्ति के परिणामस्वरूप, लेखे के राजस्व व्यय शीर्षों के संबंध में बजट प्राक्कलनों को वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित था तथा लेखाओं के पूँजीगत शीर्षों को वर्ग शीर्ष 0011- सामान्य के प्रति बुक किया जाना आवश्यक था। इसके विपरीत, लेखा के पूँजीगत शीर्ष अर्थात् मुख्य शीर्ष 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय से संबंधित बजट प्राक्कलन अभी तक 0099- सामान्य के अंतर्गत प्रदर्शित किये जा रहे हैं।				

### अनुदान संख्या 3- योजना विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3454

जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	44.61		
		44.61	27.54
			(-)17.07
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

5475

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ लाख में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	25,77,26		
		25,77,26	-
			(-)25,77,26
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

#### राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹17.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹44.61 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹17.07 लाख के कोई भाग के पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>			
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
112	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी			
0099	सामान्य			
0557	योजना मशीनरी			
	ओ	34.85		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	34.85	
			22.15	(-)12.70
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी			
	ओ	9.76		मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	9.76	
			5.39	(-)4.37

#### पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹25,77.26 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग			
(₹ लाख में)				
<b>5475</b>	<b>सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं			
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान	25,77.26		

**अनुदान संख्या 5- लद्दाख मामले विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2575

अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	9,26,14.72		
		9,26,14.72	6,10,58
			(-)9,20,04,14
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4575

अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	38,75,17,24		
		38,75,17,24	2,29,82
			(-)38,72,87,42
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹9,20,04.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹9,26,14.72 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹9,20,04.14 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हूयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
2575	<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>				
02	पिछड़े क्षेत्र				
253	जिला प्रशासन				
0099	सामान्य				
0881	गैर-अभियांत्रिकी कारगिल				
	ओ	3,16,38.96			ओई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और वेतन, एमएण्डएस और औषध तथा यंत्रों पर शून्य व्यय।
	एस	..	3,16,38.96	67.30	
1380	सचिव वित्त, लद्दाख				
	ओ	3,28,91.34			ओई और पीएसएससी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और एमएण्डएस इत्यादि के प्रति शून्य व्यय।
	एस	..	3,28,91.34	22.00	
259	लोक निर्माण				
0099	सामान्य				
1310	परिक्षेत्र कार्यालय, कारगिल				
	ओ	39,52.36			ओई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और वेतन, एमएण्डआर तथा बाह्यस्रोतन के प्रति शून्य व्यय।
	एस	..	39,52.36	11.41	



**अनुदान संख्या 5 (जारी)**

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
2575	<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>		
02	<i>पिछड़े क्षेत्र</i>		
255	पुलिस		
0099	सामान्य		
0877	पुलिस लेह	5,09.88	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग	
		(₹ लाख में)	
2575	<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम</b>		
02	<i>पिछड़े क्षेत्र</i>		
253	जिला प्रशासन		
0099	सामान्य		
0875	गैर-अभियांत्रिकी लेह	1,69,92.12	
0888	सचिवालय परिषद लेह	2,45.26	
259	लोक निर्माण		
0099	सामान्य		
0887	परिक्षेत्र कार्यालय लेह	42,98.09	
334	विद्युत परियोजना		
0099	सामान्य		
0880	डीजल विद्युत उत्पादन	7,85.23	
1193	कारगिल डीजल योजना	11,39.24	
670	उप संचारण लाइनों और वितरण प्रणाली में सुधार		
0099	सामान्य		
0478	संचारण और वितरण	4,89.48	
04	<i>लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद</i>		
113	<i>लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद</i>		
0099	सामान्य		
0882	<i>लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद सचिवालय, कारगिल</i>	1,82.64	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>			
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹38,72,87.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹38,75,17.24 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹38,72,87.42 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		

## अनुदान संख्या 5 (समाप्त)

6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
02	पिछड़े क्षेत्र				
253	जिला प्रशासन				
0011	सामान्य				
2142	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम लेह				
	ओ	94,65.05			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	94,65.05	35.90	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग				
	(₹ लाख में)				
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
02	पिछड़े क्षेत्र				
253	जिला प्रशासन				
0011	सामान्य				
2143	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कारगिल		1,09,42.71		
259	लोक निर्माण				
0099	सामान्य				
1321	एफ सी अनुदान		1,93,22.70		
313	वन				
0099	सामान्य				
0886	वन विभाग कारगिल		15.00		
1860	वन विभाग लेह		35.60		
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1319	आपदा प्रतिक्रिया निधि		41,85.00		

**अनुदान संख्या 6- विद्युत विकास विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2801 विद्युत

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,40,14		
		1,40,14	(-)1,40,14
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	68,09,63		
		68,09,63	(-)68,09,63
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान ₹1,40.14 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>		
05	संचारण और वितरण		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
2455	समर्पित परियोजना विंग	26.39	
06	ग्रामीण विद्युतीकरण		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर	1,13.75	

**पूँजीगत अनुभाग**

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹68,09.63 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
05	संचारण और वितरण		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0011	सामान्य		
1311	लद्दाख विद्युत निगम लिमिटेड	18,86.63	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
1311	लद्दाख विद्युत निगम लिमिटेड	49,23.00	

**अनुदान संख्या 7- शिक्षा विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202

सामान्य शिक्षा

2204

खेल और युवा सेवाएं

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	32,69,79		
		32,69,79	-
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202

शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	9,24,15		
		9,24,15	1,77
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹32,69.79 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)		
2202	<b>सामान्य शिक्षा</b>		
01	<i>प्रारंभिक शिक्षा</i>		
101	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
0099	सामान्य		
1030	मध्याह्न भोजन	22.99	
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
1030	मध्याह्न भोजन	1,74.94	
02	<i>माध्यमिक शिक्षा</i>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
2442	समग्र	30,47.63	
2204	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>		
102	विद्यार्थियों हेतु युवा कल्याण कार्यक्रम		
0099	सामान्य		
0954	राष्ट्रीय कैडेट कोर	24.23	

## अनुदान संख्या 7 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹9,22.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹9,24.15 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹9,22.38 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)		
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
202	माध्यमिक शिक्षा		
0011	सामान्य		
0149	माध्यमिक शिक्षा	2,13.70	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2442	समग्र	60.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
2442	समग्र	6,50.45	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)		
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
201	प्रारंभिक शिक्षा		
0011	सामान्य		
1427	शारीरिक शिक्षा	1.77	

## अनुदान संख्या 8- वित्त विभाग

## मुख्य शीर्ष

2030	स्टाम्प और पंजीकरण
2039	राज्य उत्पाद शुल्क
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
2043	राज्य वस्तु और सेवा कर संग्रहण प्रभार
2054	कोषागार एवं लेखा प्रशासन
2071	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	32,76,07		
		32,76,07	(+)41,33,31
अनुपूरक	...		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## पूँजीगत-

## मुख्य शीर्ष

## दत्तमत

## 4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

मूल	5,14,13		
		5,14,13	(-)5,14,13
अनुपूरक	...		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹41,33.31 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹32,76.07 लाख का मूल प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2071	पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
01	सिविल			
115	अवकाश नकदीकरण लाभ			
0099	सामान्य			
2190	सचिव वित्त			
	ओ	14,29.49		अवकाश नकदीकरण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	14,29.49	
			1,05.00	(-)13,24.49
117	परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना हेतु सरकारी अंशदान			
0099	सामान्य			
2327	सरकारी अंशदान			
	ओ	13,68.96		पेन्शन संबंधी प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	13,68.96	
			65.74	(-)13,03.22
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग			अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2039	राज्य उत्पाद शुल्क			
001	निदेशन एवं प्रशासन			
0099	सामान्य			
0334	आयुक्त का कार्यालय			
			32.84	

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)		अभ्युक्तियाँ
<b>2040</b>	<b>बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0334	आयुक्त का कार्यालय	5.00	
<b>2043</b>	<b>राज्य वस्तु और सेवा कर संग्रहण प्रभार</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0334	आयुक्त का कार्यालय	84.66	
<b>2054</b>	<b>कोषागार एवं लेखा प्रशासन</b>		
097	कोषागार प्रतिष्ठान		
0099	सामान्य		
0324	मुफासिल कोषागार कश्मीर	1,28.26	
0335	जिला कोषागार कश्मीर	99.52	
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
1190	जिला निधि कार्यालय	1,27.34	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)		
<b>2071</b>	<b>पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>		
01	सिविल		
101	अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते		
0099	सामान्य		
2190	सचिव वित्त	50,86.59	
102	पेन्शन का संराशीकृत मूल्य		
0099	सामान्य		
2190	सचिव वित्त	7,09.52	
104	उपदान		
0099	सामान्य		
2190	सचिव वित्त	11,59.43	
105	परिवार पेन्शन		
0099	सामान्य		
2190	सचिव वित्त	2,36.40	
111	विधायकों को पेन्शन		
0099	सामान्य		
2190	सचिव वित्त	47.73	

**अनुदान संख्या 8 (समाप्त)**

5	₹1.29 लाख का व्यय उप-शीर्षों जैसे न्यायिक, हुण्डी, स्टाम्प गैर-न्यायिक, विशेष आसंजक, न्यायालय शुल्क के प्रति मुख्य शीर्ष 2030- स्टाम्प और पंजीकरण के अंतर्गत किया गया था तथा अनुदान की मांग में निदेशन एवं प्रशासन परिकल्पित नहीं था।
---	---

**पूँजीगत अनुभाग**

6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹5,14.13 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
4059	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
80	<i>सामान्य</i>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2341	एमएफबी वित्त	14.13	
2354	युवा मिशन	1,00.00	
2358	बैंक टू विलेज	4,00.00	



### अनुदान संख्या 10- विधि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2015 चुनाव

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	12,54,91		
		12,54,91	(+)1,45,12
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,81		
		1,81	(-)1,36
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

#### राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹1,45.12 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹12,54.91 लाख का मूल प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2015</b>	<b>चुनाव</b>			
102	निर्वाचन अधिकारी			विस्तृत शीर्ष 105- पंचायत चुनावों के संबंध में बीई के अंतर्गत अधिक व्यय।
0099	सामान्य			
0493	मुख्य निर्वाचन अधिकारी			
	ओ	7,98.46		
	एस	..	7,98.46	(+)2,55.29
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>			
105	सिविल और सत्र न्यायालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0488	जिला और सत्र न्यायाधीश			
	ओ	4,07.01		
	एस	..	4,07.01	(-)76.42

## अनुदान संख्या 10 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>					
114	विधिक सलाह और परामर्श				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1248	लोक अभियोजक					
	ओ	17.78				
	एस	..	17.78	8.19	(-)9.59	
2427	राज्य और जिला वाद नीति				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	31.66				
	एस		31.66	6.13		(-)25.53
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।					
शीर्ष			वास्तविक व्यय			
				(₹ लाख में)		
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>					
102	उच्च न्यायालय					
0099	सामान्य					
0495	उच्च न्यायालय			0.21		
114	विधिक सलाह और परामर्श					
0099	सामान्य					
0499	महा अधिवक्ता			1.16		

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹1.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹1.81 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹1.36 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य भवन				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0495	जेएण्डके उच्च न्यायालय				
	ओ	1.81			
	एस	..	1.81	0.45	(-)1.36

**अनुदान संख्या 11- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851

ग्राम और लघु उद्योग

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,22,35		
		1,22,35	17,74
अनुपूरक	..		(-)1,04,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4851

ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4852

लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4853

अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	63,13,50		
		63,13,50	-
अनुपूरक	..		(-)63,13,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹1,04.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹1,22.35 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹1,04.61 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>				
105	खादी एवं ग्रामोद्योग			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 028-जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0802	सहायता अनुदान, अंशदान और सहायिकी				
	ओ	23.34			
	एस	..	23.34	17.74	(-)5.60
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>				
102	लघु पैमाना उद्योग				
0099	सामान्य				
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र			14.76	
0809	ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम			19.88	
104	हस्तशिल्प उद्योग				
0099	सामान्य				
0805	निदेशन एवं प्रशासन हस्तशिल्प और अधीनस्थ कार्यालय			64.37	

## अनुदान संख्या 11 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹63,13.50 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
4851	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
102	लघु पैमाना उद्योग		
0011	सामान्य		
0407	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	2,00.00	
103	हथकरघा उद्योग		
0011	सामान्य		
0367	हथकरघा उद्योग	10.00	
0399	हथकरघा विकास निगम	10.00	
104	हस्तशिल्प उद्योग		
0011	सामान्य		
0363	हस्तशिल्प उद्योग	20.00	
0383	हस्तशिल्प निगम उद्योग	10.00	
0397	अन्य व्यय	55,00.00	
105	खादी एवं ग्रामोद्योग		
0011	सामान्य		
0365	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	2,08.50	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2196	ईडीआई	3,00.00	
4852	<b>लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
02	<i>विनिर्माण</i>		
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश		
0011	सामान्य		
1224	एसआईसीओपी	40.00	
4853	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	<i>खनिज समन्वेषण और विकास</i>		
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश		
0011	सामान्य		
0977	भू- विज्ञान एवं खनन	15.00	

## अनुदान संख्या 12- कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल पैदावार

2402 मृदा एवं जल संरक्षण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	40,13		
		40,13	(-)40,13
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय

4415 कृषिगत अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय

4705 कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	35,27,47		
		35,27,47	(-)35,27,47
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹40.13 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0043	निदेशक कृषि	16.17	
119	उद्यान कृषि और शाक फसलें		
0099	सामान्य		
0048	सब्जियों का विकास (कश्मीर प्रभाग)	18.01	
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>		
101	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण		
0099	सामान्य		
0016	मृदा सर्वेक्षण	5.95	

## अनुदान संख्या 12 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹35,27.47 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0061	निदेशक कृषि	4,07.25	
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.58	
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3.00	
2416	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	15.15	
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2417	राष्ट्रीय कृषि, विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन	42.77	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,93.34	
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	27.31	
2416	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1,50.93	
2417	राष्ट्रीय कृषि, विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन	3,86.72	
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	22,15.00	
<b>4415</b>	<b>कृषिगत अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
80	सामान्य		
277	शिक्षा		
0011	सामान्य		
0056	कृषि विश्वविद्यालय	30.00	
<b>4705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
602	कमान क्षेत्र कश्मीर		
0011	सामान्य		
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)	35.42	

**अनुदान संख्या 13- पशु/ भेड़ पालन विभाग**

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
शून्य			

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	36,97		
		36,97	15,27
अनुपूरक	..		(-)21,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**पूँजीगत अनुभाग**

1	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹21.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹36.97 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹21.70 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4403	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0844	निदेशक पशुपालन विभाग				
	ओ	34.55			
	एस	..	34.55	13.67	(-)20.88
0138	निदेशक भेड़ पालन विभाग				
	ओ	2.42			
	एस	..	2.42	1.60	(-)0.82

**अनुदान संख्या 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
शून्य			

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4408 खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	15,51,30		
		15,51,30	3,21,00
			(-)12,30,30
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**पूँजीगत अनुभाग**

1	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹12,30.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹15,51.30 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹12,30.30 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4408</b>	<b>खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	खाद्य		
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति		
0099	सामान्य		
2160	चावल कश्मीर	15,30.47	
02	संग्रहण और भण्डारण		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग	13.42	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग	7.41	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>4408</b>	<b>खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	खाद्य		
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति		
0099	सामान्य		
0383	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग	3,21.00	



## अनुदान संख्या 16- लोक निर्माण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
मूल	1,51,06		
		1,51,06	(-)1,51,06
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5054 सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	1,50,90,36		
		1,50,90,36	15,46,77
			(-)1,35,43,59
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹1,51.06 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2059	लोक निर्माण		
80	सामान्य		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,51.06	

## अनुदान संख्या 16 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹1,35,43.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹1,50,90.36 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹1,35,43.59 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
					(₹ लाख में)
<b>5054</b>	<b>सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	राज्य राजमार्ग				
101	पुल				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई				
	ओ	17,70.00			
	एस	..	17,70.00	14,66.39	(-)3,03.61
05	सड़कें				
337	सड़क निर्माण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0515	निर्माण				
	ओ	17,99.89			
	एस	..	17,99.89	69.28	(-)17,30.61
2444	शहर एवं कस्बे				
	ओ	5,00.00			
	एस	..	5,00.00	11.10	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
					(₹ लाख में)
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	कार्यालय भवन				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
1028	आरएण्डबी विभाग कश्मीर		60,20.47		
<b>5054</b>	<b>सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	राज्य राजमार्ग				
101	पुल				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
2181	पीएमजीएसवाई सड़कें		50,00.00		

**अनुदान संख्या 17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,26,23		
		1,26,23	-
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

शून्य
-------

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹1,26.23 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा और जन स्वास्थ्य</b>		
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- औषधि की अन्य प्रणाली		
101	आयुर्वेद		
0099	सामान्य		
0667	यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय (आईएसएम)	27.29	
06	जन स्वास्थ्य		
104	मादक द्रव्य नियंत्रण		
0099	सामान्य		
0633	अर्ध चिकित्सा सहायता केन्द्र	6.47	
0658	उप नियंत्रक और खाद्य नियंत्रण संगठन	19.01	
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
2204	निदेशक परिवार कल्याण	7.22	
003	प्रशिक्षण		
0099	सामान्य		
2204	निदेशक परिवार कल्याण	27.34	
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं		
0099	सामान्य		
2204	निदेशक परिवार कल्याण	38.48	
104	परिवहन		
0099	सामान्य		
2204	निदेशक परिवार कल्याण	0.42	

**अनुदान संख्या 18- समाज कल्याण विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236 पोषण

	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>				
मूल	25,10,73			
		25,10,73	4,29,94	(-)20,80,79
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	99,44			
		99,44	-	(-)99,44
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका और टिप्पणियाँ				

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹20,80.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹25,10.73 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹20,80.79 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
02	समाज कल्याण				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना				
	ओ	23.52			विस्तृत शीर्ष 028- जीआईए के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	23.52	8.22	
2501	प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना				
	ओ	15.00			विस्तृत शीर्ष 633- क्षतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	15.00	12.06	
103	महिला कल्याण				
0099	सामान्य				
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	ओ	4,00.00			विस्तृत शीर्ष 633- क्षतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	एस	..	4,00.00	3,52.59	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

2236	<b>पोषण</b>				
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण				
101	विशेष पोषण कार्यक्रम				विस्तृत शीर्ष 007- ओई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और शेष विस्तृत शीर्षों के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1287	एकीकृत बाल विकास योजना				
	ओ	8,99.07			
	एस	..	8,99.07	11.27	(-)8,87.80
3	निम्नलिखित शर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2235	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
02	समाज कल्याण				
104	वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण				विस्तृत शीर्ष 028- जीआईए के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2429	आसरा				
	ओ	3.41			
	एस	..	3.41	45.79	(+)42.38
4	निम्नलिखित शर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा है; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग				
	(₹ लाख में)				
2235	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
02	समाज कल्याण				
001	निर्देशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
2038	निर्देशन एवं प्रशासन कश्मीर				4.80
104	वृद्ध, अशक्त और निराश्रित का कल्याण				
0099	सामान्य				
1101	वृद्धावस्था पेन्शन (ओएपी) (आईएसएसएस) कश्मीर				6,04.73
2236	<b>पोषण</b>				
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण				
101	विशेष पोषण कार्यक्रम				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
1287	राष्ट्रीय पोषण मिशन				5,00.00

## अनुदान संख्या 18 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
	2236	<b>पोषण</b>
80	सामान्य	
101	आहार सर्वेक्षण पोषण नियोजन	
0099	सामान्य	
2307	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम कश्मीर	60.20
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>		
5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹99.44 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।	
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
	4225	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	
800	अन्य व्यय	
0011	सामान्य	
2286	एससी/ एसटी विकास निगम	23.00
4235	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
02	समाज कल्याण	
102	बाल कल्याण	
0011	सामान्य	
2447	एकीकृत बाल विकास योजना	60.00
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	
0011	सामान्य	
1951	महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	8.32
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम	
800	अन्य व्यय	
0011	सामान्य	
1382	राज्य योजना	2.68
4236	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण	
800	अन्य व्यय	
0011	सामान्य	
1287	एकीकृत बाल विकास योजनाएं	5.44

## अनुदान संख्या 19- आवास एवं शहरी विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2217 शहरी विकास

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,50,00		
		1,50,00	(-)1,50,00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	19,19.00		
		19,19.00	(-)19,19.00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
2217	शहरी विकास		
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं		
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता		
0099	सामान्य		
2034	स्थानीय निकाय संस्थान कश्मीर	1,50.00	

## अनुदान संख्या 19 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹19,19.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष			कुल अनुदान
			विनियोग
			(₹ लाख में)
<b>4216</b>	<b>आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
80	सामान्य		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
0893	अन्य आवास योजनाएं	3,60.00	
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास		
051	निर्माण		
0011	सामान्य		
1297	शहरी विकास	15,37.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	22.00	



## अनुदान संख्या 20- पर्यटन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,46,09		
		5,46,09	(-)5,46,09
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,35,00		
		6,35,00	(-)6,35,00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹5,46.09 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ क्योंकि समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>		
01	पर्यटक अवसंरचना		
101	पर्यटक केन्द्र		
0099	सामान्य		
1121	निदेशक पर्यटन कश्मीर	18.25	
80	सामान्य		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
2184	निदेशक पर्यटन कश्मीर	1,57.00	
104	प्रोत्साहन और प्रचार		
0099	सामान्य		
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर	53.30	
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
2198	नये विकास प्राधिकरण	3,17.54	

## अनुदान संख्या 20 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹6,35.00 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
80	सामान्य		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0651	पर्यटन विकास निगम	1,55.00	
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर	1,85.00	
2198	अन्य विकास प्राधिकरण	2,95.00	

## अनुदान संख्या 21- वन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2402 मृदा एवं जल संरक्षण

2406 वानिकी और वन्य जीवन

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,47,95		
		1,47,95	(-)1,47,95
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	63,69		
		63,69	(-)63,69
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹1,47.95 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
1443	मृदा संरक्षण निदेशालय	71.20	
<b>2406</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवन</b>		
01	<i>वानिकी</i>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0349	प्रधान मुख्य संरक्षक	12.85	
070	संचार और भवन		
0099	सामान्य		
0359	संचार और भवन	2.00	
105	वन उपज		
0099	सामान्य		
0358	वन उपज	0.50	
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन</i>		
110	वन्य जीव परिरक्षण		
0099	सामान्य		
0351	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन	61.40	

## अनुदान संख्या 21 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
01	वानिकी		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0200	प्रादेशिक वन	3.36	
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन		
110	वन्य जीवन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
0213	वन्य जीवन परिक्षण	60.33	

## अनुदान संख्या 22- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष

शून्य
-------

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय  
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	48,51,29		
	48,51,29	69,08	(-)47,82,21
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## पूँजीगत अनुभाग

1	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹47,82.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹48,51.29 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹47,82.21 की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।		
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
101	सतही जल		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
1776	लघु सिंचाई कश्मीर	18,95.42	
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	बाढ़ नियंत्रण		
103	सिविल निर्माण कार्य		
0011	सामान्य		
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर	3,00.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर	26,55.87	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	वास्तविक व्यय		
	(₹ लाख में)		
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
101	धरातलीय जल		
0011	सामान्य		
1776	लघु सिंचाई कश्मीर	69.08	

## अनुदान संख्या 25- श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

शून्य
-------

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,00		
		4,00	-
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## पूँजीगत अनुभाग

1	पूँजीगत दत्तमत में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
<b>मुख्य शीर्ष</b>		कुल अनुदान विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4250</b>	<b>अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
203	रोजगार		
0011	सामान्य		
1904	रोजगार	4.00	

## अनुदान संख्या 26- मत्स्यपालन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2405 मत्स्यपालन

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	63,89		
		63,89	(-)63,89
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

शून्य			
टीका और टिप्पणियाँ			
राजस्व अनुभाग			
1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
2405	मत्स्यपालन		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0997	निदेशक मत्स्यपालन	63.89	

## अनुदान संख्या 27- उच्चतर शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,47,98		
		3,47,98	(-)3,47,98
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,73,99		
		1,73,99	(-)1,73,99
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹3,47.98 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2202	सामान्य शिक्षा		
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा		
102	विश्वविद्यालयों को सहायता		
0099	सामान्य		
2460	क्लस्टर विश्वविद्यालय	1,50.00	
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान		
0099	सामान्य		
0534	सरकारी डिग्री महाविद्यालय	1,97.98	

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की वधि के दौरान ₹1,73.99 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा		
0011	सामान्य		
0297	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	1,73.99	



## अनुदान संख्या 28- ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
मूल	1,71,29			
		1,71,29	-	(-)1,71,29
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	2,71,90,75			
		2,71,90,75	-	(-)2,71,90,75
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका और टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹1,71.29 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम		
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0004	आईआरडीपी कश्मीर	1,00.00	
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0055	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बीडीओ (कश्मीर)	55.29	
102	सामुदायिक विकास		
0099	सामान्य		
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर	16.00	

## अनुदान संख्या 28 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹2,71,90.75 लाख का समस्त मूल प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)		
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
101	पंचायती राज		
0099	सामान्य		
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर	24,27.30	
102	सामुदायिक विकास		
0011	सामान्य		
0230	ग्रामीण स्वच्छता	6,09.86	
0704	सामुदायिक विकास कश्मीर	12,64.98	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
0230	ग्रामीण स्वच्छता	54,88.76	
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
103	ग्रामीण विकास		
0011	सामान्य		
2496	आरयूआरबीएएन	15.09	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
2377	राजी गांधी पंच सशक्तिकरण अभियान	5,49.33	
2468	पी एम के एस वाई	55,84.09	
2496	आरयूआरबीएएन	1,36.36	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0871	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	1,00.00	
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए)	28,84.72	
2377	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	1,01.49	
2468	पी एम ए वाई	6,20.45	
2473	हिमायत	11,46.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
0871	एकीकृत वाटरशेड विकास	11,81.82	
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	26,15.94	
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	24,64.56	

**अनुदान संख्या 29- परिवहन विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहनों पर कर

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,99,08		
		2,99,08	(-)2,99,08
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,15,00		
		2,15,00	(-)2,15,00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹2,99.08 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0378	कार्यालय परिवहन आयुक्त	2,99.08	

**पूँजीगत अनुभाग**

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹2,15.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)		
<b>5055</b>	<b>सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश		
0011	सामान्य		
0944	जेएण्डके सड़क परिवहन निगम में निवेश	2,00.00	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय	15.00	

**अनुदान संख्या 30- जनजातीय मामले विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	32,26		
		32,26	(-)32,26
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

शून्य			
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान ₹32.26 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण		
03	पिछड़े वर्ग का कल्याण		
102	आर्थिक विकास		
0099	सामान्य		
2253	निदेशक जनजातीय मामले	32.26	

## अनुदान संख्या 31- संस्कृति विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला और संस्कृति

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,88,86		
		2,88,86	25
अनुपूरक	..		(-)2,88,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,91,12			
		1,91,12	-	(-)1,91,12
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका और टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹2,88.61 लाख की अंतिम बटत की दृष्टि से ₹2,88.86 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹2,88.61 लाख का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2205</b>	<b>कला और संस्कृति</b>				
104	अभिलेखागार			विस्तृत शीर्ष 002- टी.ई. के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और शेष विस्तृत शीर्ष के प्रति शून्य व्यय।	
0099	सामान्य				
0272	अभिलेखागारों का विकास				
	ओ	33.94			
	एस	..	33.94	0.25	(-)33.69

## अनुदान संख्या 31 (समाप्त)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2202	<b>सामान्य शिक्षा</b>		
80	सामान्य		
004	अनुसंधान		
0099	सामान्य		
0278	अनुसंधान एवं प्रकाशन	33.25	
2205	<b>कला और संस्कृति</b>		
102	कला और संस्कृति का प्रोत्साहन		
0099	सामान्य		
0555	कला, संस्कृति और भाषा अकादमी को अनुदान	1,90.50	
105	सार्वजनिक पुस्तकालय		
0099	सामान्य		
0221	सरकारी पुस्तकालय और वाचनालय जम्मू	31.17	

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
4202	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
04	कला और संस्कृति		
101	ललित कला शिक्षा		
0011	सामान्य		
0117	कला और संस्कृति	75.00	
104	अभिलेखागार		
0011	सामान्य		
0272	अभिलेखागारों का विकास	76.12	
105	सार्वजनिक पुस्तकालय		
0011	सामान्य		
1890	पुस्तकालय निदेशालय	40.00	

## अनुदान संख्या 32- उद्यान कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष  
2435

## अन्य कृषिगत कार्यक्रम

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,15		
		8,15	(-)8,15
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष  
4401

## फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,86,39		
		1,86,39	(-)1,86,39
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत ₹8.15 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2435	<b>अन्य कृषिगत कार्यक्रम</b>		
01	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण		
101	विपणन सुविधाएं		
0099	सामान्य		
0612	उद्यान कृषि योजना और विपणन	8.15	

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत ₹1,86.39 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
4401	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0222	बागवानी निर्माण कार्यक्रम	40.65	
2472	सोलर ड्रायर	1,45.74	

**अनुदान संख्या 33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245

**प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत**

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,77,00		
	6,77,00	-	(-)6,77,00
अनुपूरक-	-		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

शून्य		
राजस्व अनुभाग		
1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत ₹6,77.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।	
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
2245	<b>प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत</b>	
05	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)	
101	आरक्षित निधि जमा लेखाओं में हस्तांतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	
0099	सामान्य	
1076	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ)	6,77.00



**अनुदान संख्या 34- युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

2230 श्रम और रोजगार

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	11,10,40		
		11,10,40	-
अनुपूरक	..		(-)11,10,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	97,02		
		97,02	5,00
अनुपूरक	..		(-)92,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत ₹11,10.40 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	1,50.48	
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0244	निदेशन एवं प्रशासन	8,75.51	
<b>2230</b>	<b>श्रम और रोजगार</b>		
02	रोजगार सेवा		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण	84.41	

## अनुदान संख्या 34 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

2	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹92.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹97.02 लाख का मूल प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹92.02 लाख की अंतिम का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01	सामान्य शिक्षा			
201	प्रारंभिक शिक्षा			वस्तु शीर्ष- 115 के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1427	शारीरिक शिक्षा			
	ओ	36.26		
	एस	..	36.26	
			5.00	(-)31.26
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।			
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)			
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02	तकनीकी शिक्षा			
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान			
0011	सामान्य			
1551	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान		57.26	
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण		3.50	

## अनुदान संख्या 35- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,00		
		1,00	(-)1,00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

शून्य
-------

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी और पर्यावरण</b>		
04	प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
2172	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु अपर निदेशक	1.00	

## अनुदान संख्या 36- सहकारी विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष

	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
शून्य			

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	8,50		
		8,50	(-)8,50
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका और टिप्पणियाँ			
1	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में 31.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत ₹8.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		
	(₹ लाख में)		
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय		
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश		
0011	सामान्य		
0369	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	8.50	

---

# परिशिष्ट

---



## परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय
वर्ष की समाप्ति तक आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किये गये व्यय की निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

शून्य

**परिशिष्ट-**  
**वसूलियों के संबंध में अनुमानों एवं वास्तविकताओं का अनुदान-वार**  
**विवरण**  
**(को संदर्भित**

अनुदान का नाम और संख्या

बजट प्राक्कलन  
राजस्व राजस्व

(₹ हजार में)

05	लद्दाख मामले विभाग		45,60
12	कृषि विभाग	-	-
	कुल		45,60



**II**

व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित

पृष्ठ ix पर)

वास्तविक		बजट अनुमानों से तुलना किये गये वास्तविक	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत

(₹ हजार में)

			(-)	45,60
-	56,85	-	(+)	56,85
	56,85			11,25





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2020  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



<http://www.agjk.nic.in>